Tuesday, 25 July, 1967

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]

Second Session

Preservation ... Parliament Library

[खंड VII में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का अनुदित संस्करण

मंगलवार, 25 जुलाई, 1967 । 3 श्रावण, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
6456	प्रश्न संख्या * 1353 के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी रुपान्तर पढ़िये :

Rise in Prices of Imported Food grains consequent on devaluation

* 1353 Shri S.C. Samanta

Shri A.K. Kisku

Shri S.N. Maiti

Shri Tridib Kumar Chaudhari

Shri Yashpal Singh

Will the Minister of Food and Agricultural be pleased to state :-

(a) the percentage in rise in prices of imported wheat and other foodgrains as a result of devaluation and whether the incidence of it falls on the consumers and if so, the percentage thereof ;

(b) whether after devaluation, some exemption or decrease in prices of the imported wheat and other foodgrains has been allowed by the exporting countries and if so, the names of the countries and the percentage of exemption;

(c) the expenditure on imported foodgrains before and after devaluation ; and

(d) whether the rise in expenditure is due to the devaluation or due to more imports ?

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
	(b) Because the manager of Messers Samastipur Central Sugar Company Limited (Samastipur) have expressed their undesirability to run the Mill, so no action has been taken under Industries (Development and Regulations) Act, 1951.
	(c) The question does not arise.
6556	पंक्ति 16 के बाद निम्नलिखित पढ़िये :
	"श्री एस.एम.जोशी पीठासीन हुए
	S ri S.M. Joshi in the Chair

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
6541	अल्प सूचना प्रश्न संख्या 34 और उसके उत्तर के हिन्दी पाठ के स्थान पर निम्नलिखित अंग्रेजी रूपान्तर पढ़िये

Samastipur Sugar Mill

34 Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the term for which the Samastipur Central Sugar Co. Ltd., Samastipur was taken over under the Defence of India Rules expired on the 13th July, 1967 ;

(b) whether Government have initiated action to take over the mill under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 in view of the fact that the private management of the mill is not willing to run the mill; and

(c) if so, by when the action regarding the taking over of the Mill would be completed and whether arrangements have been made to ensure that the Mill does not close down in the mean time?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. But the period of control ended on 14.7.1967.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 48 मंगलवार, 25 जुलाई, 1967/3 श्रावण, 1889 (शक)

No 48–Tuesday, July 25, 1967/Sravana 3, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS:

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1352	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	6451–6456
1353	अवमूल्यन के बाद आयातित अनाज के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Imported Foodgrains Consequent on Devaluation	6456–6459
1354	चीनी की मिलों का बन्द होना	Closure of Sugar Mills	6459–6464
1355	खाद्यान्नों का उत्पादन	Food Production	6464–6468

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या/ S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1356	राज्यों द्वारा दुर्भिक्ष की घोषणा	Declaration of famine by States	6468–6469
1357	मूलभूत अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgment on Fundamental Rights	6469
1358	जपाज निर्माण उद्योग	Ship Building Industry	6469-6470
1359	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को घाटा	Losses of Indian Airlines Corporation ..	6470
1360	एयर इण्डिया के विमान चालक	Air India Pilots	6470–6471

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him,

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1362	पालम और दमदम के बीच इण्डियन एयर–लाइसेंस कारपोरेशन द्वारा केरेवल विमान सेवा	I. A. C. Caravelle Flight between Palam and Dum Dum Airports	6471
1363	उर्वरकों की खपत	Consumption of Fertilizers	6471–6472
1364	महाराष्ट्र में चीनी के कारखाने	Sugar Mills in Maharashtra	6472
1365	खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains	6472–6473
1366	स्वेज नहर के बन्द हो जाने के बाद खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains after the closure of the Suez Canal	6473
1367	चावल की कमी	Shortage of Rice	6474
1368	दक्षिण में गन्ना उद्योग की समस्याओं सम्बन्धी समिति	Committee on Problems of Sugarcane Industry in the South	6474
1369	कमी वाले राज्यों को खाद्यान्न का नियतन	Food Allocation to Deficit States	6475
1370	आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा चावल की सप्लाई	Supply of Rice by Andhra Government ...	6475
1371	तम्बाकू का उत्पादन	Production of Tobacco	6476
1372	भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का समाहार	Procurement of Foodgrains by Food Corporation of India	6476–6477
1373	उर्वरक निकाय (पुल)	Fertilizer Pool	6477
1374	राज्यों को अन्नाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to States	6477–6478
1375	व्यापारिक फसलों के लक्ष्य	Targets for Commercial Crops	6478

1376	खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भरता	Self Sufficiency in Foodgrains	6479
1377	बहु–विवाह	Polygamy	6479–6480
1378	विदेशी गैर–सरकारी पार्टियों से गेहूं अथवा चावल की खरीद	Purchase of Wheat or Rice from Private foreign parties	6481
1379	दिल्ली में देशी गेहूं का वितरण	Distribution of Indigenous Wheat in Delhi	6481–6482
1380	चीनी पर से नियन्त्रण हटाना	Decontrol of Sugar	6482

अतारांकित प्र. संख्या/U.S.Q.Nos.

6562	गुजरात में मछली पालन उद्योग का विकास	Development of Fishing Industry in Gujarat	6482–6483
6563	गुजरात में उत्तरी मरुस्थल का विस्तार	Expansion of Northern Desert Area in Gujarat	6483
6564	गुजरात में हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियां	Aerodromes and Air Strips in Gujarat	6483–6484
6565	गुजरात में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Gujarat	6484–6485
6566	गुजरात में पर्यटन केन्द्र	Tourist Centres in Gujarat	6485
6567	वनस्पति घी निमाता	Vanaspati Manufacturers	6486
6568	मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए आकर्षण के स्थान	Places of Tourist Interest in Madhya Pradesh	6486
6569	केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund	6486
6570	मध्य प्रदेश को पम्पिग सेटों की सप्लाई	Supply of pumping sets to M. P. ... –	6486–6487

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.-Contd.

6571	इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैन्डर्ड बैटरियां	Standard Batteries used by I. A. C.	6487-6488
6572	प्रचार तथा पर्यटन	Publicity and Tourism	6488-6489
6573	भारत में चीनी की मिलें	Sugar Mills in India	6489-6490
6574	नवलखी पत्तन का विकास	Development of Port of Navalkhi	6490-6491
6575	महाराष्ट्र में आरक्षित तथा सामान्य चुनाव क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या	Scheduled Tribe Population residing in Reserved and General Constituencies in Maharashtra	6491
6576	महाराष्ट्र में वसन्त भण्डारे	Vasant Bandhare in Maharashtra	6492
6577	महाराष्ट्र के लिये दीर्घ-कालीन कृषि-ऋण	Long Term Agricultural Loan to Maharashtra	6492
6578	महाराष्ट्र में बागवानी का विकास	Development of Horticulture in Maharashtra	6492-6493
6579	महाराष्ट्र में सहकारिता आन्दोलन	Co-operative Movement in Maharashtra	6493
6580	विमान दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले व्यक्तियों के लिये प्रतिकर	Compensation for Air Crash Victims... ...	6493
6581	अपीजे शिपिंग लाइन्स	Appejay Shipping Lines	6493-6494
6582	कृषि औजारों का आयात	Import of Agricultural Implements	6494
6583	उड़ीसा में बीज फार्म	Seed Farms in Orissa	6494
6584	राष्ट्रीय राजपथ	National Highway	6494-6495

6585	कटक तथा पारादीप पत्तन के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Cuttack and Paradeep Port ...	6495–6496
6586	भारत में बेकार पड़े ट्रैक्टर	Tractors lying idle in india ..	6496–6497
6587	गोदामों में अनाज जमा करना	Storing of Foodgrains in Godowns	6497
6588	खरीफ तथा रबी की फसलों के लिये बीज	Seeds for Kharif and Rabi Crops	6498
6589	केरल में नौका निर्माण कारखाना	Boat Building Yard in Kerala	6499
6591	सस्ती दरों पर पंजाब को बीज और उर्वरकों की सप्लाई	Supply of seeds and fertilizers to Punjab at Cheap Rates	6499–6500
6592	गन्ना उत्पादकों को बकाया राशि का भुगतान	Payment of Arrears to Sugarcane Growers	6500
6593	फ्लाइंग क्लब	Flying Clubs	6500
6594	नई विमान सेवायें	New Air Services	6500
6595	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं मे दिये जाने वाले खाद्य पदार्थ	Food Served on I. A. C. Flights	6501–6502
6596	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6	National Highway No. 6	6502
6597	राजस्थान में प्रयोगात्मक नलकूप	Exploratory Tube wells in Rajasthan ...	6502–6503
6598	हरयाना में प्रयोगात्मक नलकूप	Exploratory Tube wells in Haryana.. ..	6503–6504
6599	बम्बई-कलकत्ता जेट विमान सेवा	Bombay-Culcutta Jet Air Lines Service ...	6504

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

6600	दिल्ली दुग्ध योजना की बोतल में कीड़े	Insects in D. M. S. Milk Bottle	6504
6601	दिल्ली में राशन की मात्रा	Quantum of Ration in Delhi	6504–6505
6602	चौथे आम चुनावों में डाले गये जाली मत	Bogus Votes Cast during Fourth General Elections	6505
6603	दिल्ली में विदेशी दूतावासों के लिये चीनी का कोटा	Sugar quota of Foreign Missions in Delhi	6505-6506
6604	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	6506
6605	दोहरीघाट (उत्तर प्रदेश) मे घागरा नदी पर पुल	Bridge over River Ghagra at Dohrighat (U. P.)	6506
6606	उत्तर प्रदेश में पशुपालन के विकास के लिये सहायता	Assistance for development of Animal Husbandry in U. P.	6506-6507
6607	विदेशों से खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains from abroad	6507
6608	अमरीका में एयर इण्डिया द्वारा कागज की साड़ियों की बिक्री	Sale of Paper Saris by Air India in USA	6507–6508
6609	मध्य प्रदेश के आदिम जातीय क्षेत्रों मे सहायता कार्य	Assistance for Relief Measures in Tribal Areas of M. P.	6508–6509
6610	मलयेशिया के साथ सेवाओं सम्बन्धी करार	Air Agreement with Malaysia	6509
6611	राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों की संख्या	Strength of Members of State Legislatures	6509–6510
6612	राशन व्यवस्था से सम्बन्धित काम करने वाले दिल्ली के अध्यापकों को भत्ता	Allowances to Delhi Teachers entrusted with work connected with Rationing	6510

6613	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	6510-6511
6614	खेतों की उपज बढाने के लिये जर्मनी से सहायता	German aid for Farm Output	6511
6615	खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Movement of Food Articles	6511-6512
6616	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Madhya Pradesh ...	6512
6617	मद्रास में आत्म-सम्मान विवाहों को वैध बनाना	Legalisation of Self-respect Marriages in Madras	6512-6513
6618	ट्रैक्टरों का आयात	Manufacture of Tractors	6513
6619	एपीजे शिपिंग लाइंस	Apeejay Shipping Lines ...	6513-6514
6620	बन संसाधनों का विकास	Development of Forest Resources	6514-6515
6621	भूमिगत जल संबन्धी राष्ट्रीय निगम	National Underground water Corporation	6515-6516
6622	हाथियों की संख्या में वृद्धि	Increase in Population of Elephants ...	6516
6623	पश्चिम बंगाल को अनाज और चीनी की सप्लाई	Supply of Foodgrains and Sugar to West Bengal	6516
6624	विमानों से उर्वरक छिड़कना	Fertilizer Spraying by Planes	6516-6517
6625	विदेशी दर्शकों के द्वारा अध्ययन दौरे	Study Tours by Foreign Visitors	6517
6626	चावल मिलों के लिये नये लाइसेंस	New Licences for Rice Mills	6517-6518
6627	हरियाना में नलकूपों के लिये ऋण	Loans for Tubewells in Haryana	6518
6628	समस्तीपुर शूगर फैक्ट्री	Samastipur Sugar Factory	6518-6519
6629	चुंगी हटाना	Abolition of Octori	6519

6630	केरल में पंचायती राज संस्थाएं स्थापित करना	Setting up of Panchayati Raj Institution in Kerala	6519-6520
6631	राज्यों का चीनी का कोटा	Sugar Quotas of States	3520
6632	मंगलौर पत्तन परियोजना	Mangalore Port Project ...	6520-6521
6633	पालम हवाई अड्डे पर जलपानगृह	Palam Airport Restaurant	6521-6522
6634	खाद्य शिल्प (क्राफ्ट केन्द्र	Food Craft Centre	6522
6635	अतिथि नियंत्रण आदेश	Guest Control Order ..	6522-6523
6636	वाणिज्यक बैंकों द्वारा सिंचाई कार्यों के लिये ऋण	Loans from commercial Banks for Irrigation works –	6523
6637	इम्फाल में सुपर बाजार	Super Bazar at Imphal ..	652 -6524
6638	बम्बई पत्तन न्यास के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Bombay port Trust Employees ...	6524
6639	आसाम और पश्चिम बंगाल में चाय बागानों को गेहूं तथा चावल की सप्लाई	Supply of Wheat and Rice for Tea Gardens in Assam and West Bengal	6524
6640	काश्मीर जाने वाले पर्यटक	Tourists to Kashmir	6524-6525
6641	पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पर्यटक केन्द्रों के रूप में रमणीय स्थल	Beauty Spots in Western Himalayas as Tourist Centres	6525-6526
6642	आसाम में पाण्डू पत्तन	Pandu Port (Assam)	65 6
6643	आसाम में देशाभ्यन्तर जल परिवहन	Inland Water Transport of Assam ..	6526
6644	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा नये टोकन जारी किया जाना	Issue of new tokens by D, M. S. – ..	6526-6527

6645	पश्चिम बंगाल में चावल के मांड के लंगर	Gruel Kitchen in West Bengal	6527
6646	दिघा समुद्र तट (पश्चिम बंगाल) का विकास	Development of Digha Sea Beach (West Bengal)	6527-6528
6647	दीवान शूगर मिल्स, सखोती	Diwan Sugar Mills, Sakhoti	6528
6648	चालू वर्ष में गेहूं का आयात	Import of Wheat during Current Year ...	6528-6529
6649	नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	Nehru Agricultural University, Jabalpur ..	6529
6650	उत्तर प्रदेश में नलकूप	Tube Wells in Uttar Pradesh	6529-6530
6651	मनीपुर में सहकारिता आन्दोलन	Co-operative Movement in Manipur ...	6530
6652	दिल्ली के चावल के कोटे में कटौती	Cut in Rice quota for Delhi	6530-6531
6653	चीनी का निर्यात	Export of Sugar	6531
6654	दिल्ली में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या	Voting Strength of Different Constitutencies in Delhi	6532
6655	भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Land	6532
6656	उटकमण्ड में हवाई अड्डा	Airport at Ootacumund ..	6533
6657	बिहार को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Bihar	6533-6534
6658	केन्द्रीय फार्म	Central Farms	6534
6659	सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये नेपाल से सहायता	Assistance from Nepal for Drought Areas ..	6534
6660	कलकत्ता-लन्दन बस सेवा	Calcutta-London Bus Service	6534-6535
6661	एपीजे शिपिंग कम्पनी	Appeejay Shipping Co.	6535

अता. प्र संख्या / U. S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages.
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.	
6662 तूतीकोरिन पत्तन परि–योजना	Tuticorin Port Project	6535–6536
6663 दिल्ली में राशन में की गई कटोती को हटाना	Restoration of cut in Ration in Delhi –	6536
6664 राजस्थान में भाण्डागार	Warehouses in Rajasthan ...	6536–6536
6665 कृषिकों से कर की वसूली	Collection of Levy from Agriculturists ..	6'37
6666 एयर इण्डिया के विमान में बम होने का भय	Bomb Scare in A. I. Plane	6537–6538
6667 अखिल भारतीय महिला स्वयं सेवी संस्था	All India Women Self service Comittee ...	6538
6668 उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers ...	6538–6539
6669 शीतागार	Cold Storages ... –	6539
6670 रुसी ट्रैक्टरों के लिये माग	Demand for Russian Tractors .. –	6539
6671 भारत का खाद्य निगम	Food Corporation of India	6540
6672 मलयेशिया के लिये दिल्ली दुग्ध योजना का घी	D. M. S. Ghee for Malaysia	6540–6541
अल्प सूचना प्रश्न	SHORT NOTICE QUESTION	
34 समस्तीपुर चीनी मिल	Samastipur Sugar Mill ...	6541
गंधक का ठेका दिये जाने के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा जांच के बारे में घोषणा	Announcement Re. Examination of Sulphur Contract by Public Undertakings Committee	6541
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ...	6542
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	6544
दसवां प्रतिवेदन	Tenth Report	6545

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

विषय	Subject	Pages
प्राक्कलन समिति	Estimate Committee	6544
नौवां प्रतिवेदन	Ninth Report	6544
जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में	Re. Strike by L. I. C. Employees	6545
आस्ट्रेलिया से उपहार के रूप में भेजे गये गेहूँ के बारे में वक्तव्य	Statement Re. gift of wheat from Australia	6545
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	6545
नियम 357 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal Explanation by Member under Rule 357	6545
डा. गोविन्द दास	Dr, Govind Das	6545
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	
(1) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक	(i) Food Corporation (Amendment) Bill ...	6546
(2) काटन फैब्रिक्स (एडिशनल एक्साइज ड्यूटी) (निरसन) विधेयक	(ii) Cotton Fabrics (Additional Excise Duty) (Repeal) Bill	6547
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	6550
मध्य प्रदेश विधान सभा के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा कथित गलत वक्तव्य	Alleged incorrect statement by the Home Minister re, M. P. Legislative Assembly...	6550
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1967	Finance (No. 2) Bill, 1967 .. —	6547
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	6547
श्री तेन्नटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	6547
श्रीं शशिरंजन	Shri Shashi Ranjan	6548
श्री क.कृ.नायर	Shri K. K. Nayar	6552
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	6554
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	6556
श्री राम किशन गुप्त	Shri Ram Kishan Gupta	6558

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

श्री शिव शर्मा	Shri Shiv Sharma	6559
श्री राजशेखरन	Shri Rajasekharn	6561
श्री बदरुद्दजा	Shri Badrudduja	6562
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad ...	6563
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	6564
डा. धर्म तेजा के स्वदेश प्रत्यावर्तन के बारे सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर चर्चा	Discussion on statement Laid on the Table Re. Repatriation of Dr. Dharma Teja	6566
डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	6566
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	6570
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy ..	6570
श्री गोविन्द मैनन	Shri Govinda Menon	6571
डा. वी. के. आर. वी. राव	Dr. V. K. R. V. Rao	6572

लोक-सभा

LOK-SABHA

मंगलवार, 25 जुलाई, 1967/ श्रावण 3, 1889 (शक)
Tuesday, 25 July, 1967/Sravana 3, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1351 औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री द्वारा उत्तर दिये जाने के लिये 28 जुलाई की प्रश्न सूची में रख दिया गया है। अतः अब हम प्रश्न संख्या 1352 को लेंगे।

Delhi Milk Scheme

+

*1352. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that huge quantity of toned milk was destroyed by the Delhi Milk Scheme authorities after taking out about 25,000 maunds of cream in the last three years;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is a fact that the Delhi Milk Scheme suffered a loss last year;

(d) whether Government have received complaints regarding its management; and

(e) whether the recommendations of the Committee, set up by Government to suggest improvements in the Delhi Milk Scheme have been implemented ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वित्तीय वर्ष 1966–67 के दौरान केन्द्रीय डेरी में 23,10,763 लिटर दूध खट्टी हालत में प्राप्त किया गया और 3,77,364 किलो ग्राम क्रीम खट्टे दूध में से निकाली गई। केवल 1,65,331 लिटर स्प्रेटा दूध को जो सुखाया नहीं जा सका नाली में फेंकना पड़ा।

(ख) ऐसी हानि से बचने के लिए सभी प्रकार की सावधानी बर्तने के बावजूद भी दूध सम्भालते समय खट्टेपन के कारण दूध खराब हो ही जाता है। जितना दूध सम्भाला जाता है उसमें से खराब होने वाले दूध की प्रतिशतता बहुत मामूली है।

(ग) 1966–67 वर्ष के लिए हिसाब अभी अन्तिम रूप से नहीं किया गया है। फिर भी पूर्वानुमान है कि दिल्ली दुग्ध योजना को लाभ होने की गुंजायश है।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष समिति की अधिकतर सिफारिशों को या तो क्रियान्वित कर दिया गया है या उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है। एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है जिसमें विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें हैं और जो उन सिफारिशों पर कार्यवाही की गई है वह भी वर्णित है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी 1174/67]**

Shri Kanwar Lal Gupta : Hon. Minister has told that one lakh sixty five thousand litre skimmed milk, for which no customer was available, had to be drained. It is really strange that no customer for skimmed milk was available in Delhi. If you had distributed the skimmed milk to the people free of cost they would have drunk it. I want to know whether contacts were made in this regard with the formed advisory committee or the people who wanted to purchase skimmed milk but could not get, so that this milk might have not been drained and some money might have been obtained. Whether the minister is aware of the number of the persons who are in the waiting list for getting their card prepared, but it could not be done. I also want to know when will you supply the milk to them and the number of people getting the milk at present ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे दुख है कि माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को गलत समझा मैंने कहा था कि कुछ खराब दूध को नाली में फैंका गया। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण को बरबाद या इस तरह फेंक दिया गया। मैं इसका मुख्य कारण बताऊंगा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इस सम्बन्ध में कुछ भ्रम हो गया है। दिल्ली दुग्ध योजना प्रति दिन 2 लाख लिटर दूध सप्लाई करती है। हमें कुछ दूध दिल्ली के पास के केन्द्रों से मिल जाता हैं, कुछ केन्द्र 300 मील, कुछ 200 मील और कुछ 100 मील की दूरी पर स्थित हैं दूध ठंडा करने के भी केन्द्र हैं। कभी-कभी बिजली फेल हो जाती है और इसके परिणामस्वरूप जो दूध ठंडे करने वाले केन्द्रों में रखा होता है वह बिगड़ जाता इसके अतिरिक्त यदि दूध को टंकियों में भर कर लाया जाता है और यदि परिवहन रास्ते में खराब हो जाता है तो विलम्ब हो जाती है। कभी-कभी बेईमान ठेकेदार पहले दिन का दूध ताजे दूध में मिला देते हैं जिसके परिणामस्वरूप सारा दूध खराब हो जाता है। यदि दूध खराब हो जाता है तो दिल्ली दुग्ध योजना के पास ऐसी व्यवस्था है कि उस खराब दूध को स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण में परिवर्तित किया

जा सके । परन्तु उसकी क्षमता इस समय केवल 15,000 लिटर प्रति दिन है । यदि अधिक दूध खराब हो जाता है तो हम इसे बाजार में बहुत सस्ते मूल्यों पर बेच देते हैं । यदि हमें कोई खरीददार उपलब्ध नहीं होता तो अन्त में हम उसको नाली में फेंक देते हैं । परन्तु यह मात्रा बहुत सीमित और बहुत कम ऐसा होता है । प्रतीक्षा सूची में इस समय 33,000 व्यक्तियों के नाम हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Twenty thousand maunds of skimmed milk has been thrown in drains. Some time before there was also a suggestion that the Delhi Milk Scheme should be handed over to Delhi Administration. I want to know the reaction of the Government in this regard. Whether Government would give an assurance to the Delhi Administration that it would compensate D. M. S. for any loss which might be suffered within ten years and this scheme would be handed over to Delhi Administration ? You have told that some complaints have been received against some officers, I want to know the nature of the complaints and the action taken by you in this regard ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि हम दिल्ली दुग्ध योजना के प्रबन्ध को दिल्ली प्रशासन को सौंपने की सम्भावना के सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं, परन्तु हम यह भी चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन भी अपना दायित्व स्वीकार करे । यह नागरिक सुविधा का महत्वपूर्ण विषय है । चूंकि बहुत से नागरिक सुविधाओं के मामलों की दिल्ली प्रशासन व्यवस्था करता है, अतः दिल्ली दुग्ध योजना का प्रबन्ध भी उसे सौंप दिया जाये तो यह उचित होगा । परन्तु कोई भी 10 वर्ष तक हानि सहन करने का दायित्व किस प्रकार ले सकता है । एक विशेषज्ञ समिति ने इस समस्या का अध्ययन किया है और यह सुझाव दिया है कि दिल्ली दुग्ध योजना को व्यापारिक आधार पर चलाया जाये ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का कोई उत्तर नहीं दिया गया है । क्या उन्हें कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं । वे शिकायतें क्या हैं और जिम्मेवार पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमें समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं । प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या 200 से 300 के बीच प्रति मास है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : वे शिकायतें क्या हैं और आपने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इन शिकायतों की जांच करने के लिये हमने एक सैल बनाया हुआ है और इस सम्बन्ध में हम आवश्यक कार्यवाही करते हैं । यदि ऐसा पता लगता है कि कुछ पदाधिकारी इसके लिये जिम्मेवार हैं तो हम उस सम्बन्ध में अवश्य कार्यवाही करते हैं । हमने वास्तव में दिल्ली दुग्ध योजना के बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है ।

श्री शशि रंजन : दूध में बहुत से गुणकारी तत्व होते हैं । यहां तक कि क्रीम निकाल लिये जाने के बाद भी बहुत से गुणकारी तत्व उसमें बच जाते हैं जिन्हें और प्रायोजनों के लिये प्रयोग किया जा सकता है । चूंकि दिल्ली दुग्ध योजना बहुत बड़ी मात्रा में दूध का

व्यापार करती है अतः इसका स्टाक करने या इसको बरबाद करने के मुकाबले इसके बेचे जाने की अधिक सम्भावना हे । इसके सब गुणों को एक तरीके या दूसरे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है ।

क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि दूध के गुणों का प्रयोग और तरीके से भी किया जा सकता है ताकि उसको नाली में फेंकने से बचाया जा सके । इसका प्रयोग उद्योगों में भी किया जा सकता है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मनुष्य के लिये आवश्यक सब तत्व पहले ही इसमें से निकाल लिये जाते हैं ।

Shri Ram Charan : Since this scheme has bee› started there has been a loss of 5 lakh rupees. I want to know whether this loss is also due to throwing the milk on account of sourage. Whether it is also caused by overtime and deputation allowance of rupees eighty thousand ? Hon. Minister has told that by products from the sourage milk could be prepered then why does he not like to make them from it ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं प्रश्न समझ नहीं पाया । जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच की जायेगी ।

Shri Ram Charan : When the by products from the skimmed milk can be prepared. I want to know whether we have not the experts or we do not like to prepare them ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उनका प्रश्न बहुत सीधा है । वह यह जानना चाहते हैं कि फेंके गये दूध से और कोई चीज नहीं बनाई जा सकती थी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुके हैं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने कहा था कि वह प्रश्न नहीं समझ सके ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : शायद माननीय मंत्री इस समय सभा में उपस्थित नहीं थे जब मैंने स्थिति स्पष्ट की थी । सामान्यता यदि दूध खराब हो जाता है तो सब से पहले उसमें से घी या मक्खन निकालने का प्रयास करते हैं । इसके बाद जो बच जाता है उससे स्प्रेटा दूध का चूर्ण बनाया जाता है परन्तु इस समय दिल्ली दुग्ध योजना की खट्टे दूध का स्प्रेटा चूर्ण बनाने की क्षमता सीमित है । हम इस क्षमता को बढ़ा रहे हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : इस बात का ध्यान रखते हुए कि आज के जमाने में जबकि कीमतें इतनी ऊंची है, दूध एक विलास की वस्तु है, क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि ऐसी असावधानी भविष्य में फिर नहीं होगी ? खराब दूध को और कई तरीकों से जैसे स्प्रेटा चूर्ण, पनीर या मक्खन इत्यादि बना कर प्रयोग किया जा सकता है । अतः डेरी में दूध का प्रयोग और कई तरीके से किया जा सकता है । क्या इस पहलू पर भी विचार किया जायेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अब हमारी ऐसी योजना है कि हम खट्टे और खराब दूध को किसी भी उपयोगी वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं। जहां तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है, दिल्ली दुग्ध योजना देश में सब से सस्ता दूध सप्लाई कर रही है।

यहां तक कि बम्बई में भी एक लिटर दूध का मूल्य 1.70 पैसे है जबकि दिल्ली में केवल 84 पैसे है।

दिल्ली में दूध की इतनी अधिक मांग है कि इस समय लगभग 32,000 व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। मुझे प्रसन्नता होगी यदि और अधिक दूध प्राप्त हो सके और हम और अधिक नागरिकों को संतुष्ट करने की स्थिति में हों।

डा० रानेन सेन : माननीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली दुग्ध योजना को कुछ हानि हो रही है। उन्होंने इसके लिये बहुत से स्पष्टीकरण दिये हैं। विवरण के अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इस संगठन ने बहुत अधिक पदाधिकारी नियुक्त किये हुए हैं, जिनके ही कारण यह हानि में चल रही है। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत धोखाधड़ी है। इसमें 1300, 1100 इत्यादि रुपये प्राप्त करने वाले पदाधिकारी नियुक्त हैं। वे वहां क्या करते हैं। उन्हें बहुत अधिक वेतन मिल रहा है। जब आपका संगठन हानि में चल रहा है तो इतना अधिक प्रशासन पर व्यय करने का क्या लाभ ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं यह बता दूं कि भारत के डेरी विशेषज्ञ डा० कुरियेन को, इस समस्या के सम्बन्ध में जांच कर रही एक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस डेरी को अच्छी प्रकार चलाने के लिये इन पदाधिकारियों को नियुक्ति किया जाना चाहिये। डा० कुरियेन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप ही इन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। मेरे विचार से उसके बाद इसके कार्य में बहुत प्रगति हुई है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Whether the Minister is aware that there is a great rush at the milk depot and the people have to stay in queue for hours. It results in complaints and disputes. In these circumstances whether he will consider that the depot may remain open for some more hours and if posssible throughout the day so that the people may bring the milk as they feel convenient to them.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे विचार में माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव क्रियान्वित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे दिल्ली दुग्ध योजना के प्रशासन व्यय में वृद्धि होगी। जहां तक दूध को समय पर बांटे जाने का सम्बन्ध है, इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या दिल्ली दुग्ध योजना के पास केसीन प्लान्ट है। यदि नहीं तो क्या सरकार आवश्यकता से अधिक दूध के प्रयोग के लिये इस प्लान्ट को प्राप्त करने की सम्भावना पर विचार कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वह एक अच्छा सुझाव है। हम इसका अध्ययन करेंगे।

Shri Achal Singh : Whether the Minister will tell the percentage of skimmed milk and how much it is drained.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : खट्टे दूध का अनुपात इसमें तीन प्रतिशत से भी कम है। इसमें से 60 से 70 प्रतिशत मक्खन, घी इत्यादि बनाने के लिये प्रयोग किया जाता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Thirty thousand maunds of milk has been drained in winter, Please inquire into it.

अवमूल्यन के बाद आयातीत अनाज के मूल्यों में वृद्धि

\+

*1353. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री अ० कु० किस्कु : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श० ना० माइती :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन के कारण आयातीत गेहूँ तथा अन्य अनाजों के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और क्या इससे उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले अनाजों के मूल्य भी बढ़े हैं और यदि हां, तो कितने प्रतिशत;

(ख) क्या अनाज का निर्यात करने वाले देशों ने अवमूल्यन के पश्चात आयातित गेहूं तथा अन्य अनाजों के मूल्यों में कुछ छूट दी है अथवा उनमें कुछ कमी की है और यदि हां, तो ऐसे देश कौन-कौन से हैं तथा उन्होंने कितने प्रतिशत छूट दी है;

(ग) अवमूल्यन से पहले तथा उसके बाद अनाज आयात करने पर कितना धन व्यय किया गया; और

(घ) क्या व्यय में वृद्धि अवमूल्यन के कारण हुई है अथवा अधिक अनाज आयात करने के कारण ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मुद्रावमूल्यन के कारण आयातित खाद्यान्नों का लागत तथा भाड़ा मूल्य गेहूँ तथा माइलों के बारे में 57.5 प्रतिशत बढ़ गया है। चावल के बारे में यह वृद्धि लगभग 61.1 प्रतिशत थी जो कि अंशत: चावल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुई थी। इस वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ा क्योंकि मुद्रावमूल्यन के तुरन्त बाद इन खाद्यान्नों के निर्गम मूल्य में वृद्धि नहीं की गयी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) मुद्रावमूल्यन से पूर्व के पांच महीनों में आयातित खाद्यान्नों के लागत और भाड़ा पर अनुमानत: 159.73 करोड़ रुपये खर्च हुये और मुद्रावमूल्यन के बाद के पांच महीनों में अनुमानत: 260.14 करोड़ रुपये खर्च हुये थे।

(घ) उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित खर्च में वृद्धि मुख्यतः मुद्रावमूल्यन किन्तु अंशतः चावल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने तथा थोड़ी ज्यादा मात्रा में खाद्यान्न मंगाने के कारण हुई थी ।

श्री स०चं० सामन्त : क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय गेहूं करार अगली जुलाई की 31 तारीख तक वैध है और क्या कोई नया करार किया गया है और यदि हां, तो मूल्य ढांचा क्या है और क्या मूल्य स्थिर और उचित रहेंगे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अग्रेतर करारों के लिये बातचीत चल रही है । संभरण आयोग तथा दूतावास इन मामलों पर सम्बन्धित सरकारों से बातचीत कर रहे हैं । जहां तक मूल्य का सम्बन्ध है, हम खुले टैन्डर मंगा कर खाद्यान्न खरीदते हैं ।

श्री स० चं० सामन्त : चतुर्थ योजना के लिये आयात के अस्थायी आंकड़े क्या हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गत वर्ष हमने 104 लाख टन खाद्यान्न आयात किया और इस वर्ष यह संख्या शायद 90 या 95 लाख टन पहुँच जाये । पुराने आँकड़ों के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

श्री स० चं० सामन्त : मैंने चतुर्थ योजना की शेष अवधि के लिये पूछा है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वास्तव में हम अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम आयात पर अधिक निर्भर न करें ।

Shri Yashpal Singh : Are Government aware that wheat is selling at Rs. 55 and 60 per maund in the villages and if so what steps are being taken to relieve the rural population of the exorbitant prices ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : आयातित गेहूं हम सभी राज्य सरकारों को काफी रियायती दामों पर दे रहे हैं । गेहूं का मूल्य 55 रुपये प्रति क्विटल माइलों का 40 रु० प्रति क्विटल और चावल का 15 जुलाई, 1967 से समान रूप से 80 रु० प्रति क्विटल है ।

Shrimati Jayaben Shah : Is it a fact that the dealers of imported. Wheat mix stones and sand in the wheat as a result of which the consumers have to pay more ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज्य सरकारों को इसकी जांच करनी चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri : Have Government received any proposal to the effect that affluent sections of the populace should be asked to purchase their food requirements from the open market so that the consumers may be enabled to have imported wheat in adequate quantity and at cheaper rates as in Delhi ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं नहीं समझता ऐसा कोई प्रस्ताव हैं । जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, इसकी जांच की गई थी । और दिल्ली के नागरिकों को दिल्ली तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्वदेशी गेहूँ खरीदने की अनुमति है ।

श्री नायनार : माननीय मंत्री ने कहा कि अवमूल्यन के बाद जो मूल्यों में वृद्धि हुई है उसका उपभोक्ताओं पर प्रभाव नहीं पड़ा है। अवमूल्यन के पश्चात सरकार ने गेहूँ के मूल्य तीन बार बढ़ाये हैं। मार्च 1967 के पश्चात केरल सरकार ने कहा कि वह गेहूँ के मूल्य में वृद्धि करने के लिये तैयार नहीं है तो उसे 6 करोड़ रु० का घाटा उठाना पड़ा और केन्द्रीय सरकार को उसने सहायता के लिये अपील की। माननीय मंत्री ने ऐसा उत्तर क्यों दिया ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने यह नहीं कहा कि बिल्कुल वृद्धि नहीं हुई। वास्तव में मैंने तथ्य दिये हैं।

श्री नायनार : सरकार ने वह राज सहायता बन्द कर दी है जो केरल को दी जा रही थी ? क्या अवमूल्यन के बाद दाम बढ़े हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हाल ही में अमरीकी सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वह भविष्य में पुराने पी० एल० 480 अन्तर्गत गेहूँ नहीं देगा, अपितु उसका भुगतान भारत को डालर में करना होगा। अब क्या स्थिति है और अवमूल्यन के पश्चात विशेष रूप से इसका हम पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अमरीका के साथ किये गये नये करार का सारा ब्यौरा सभा को पता है। इसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई थी। 'न्यू फूड फार पीस ऐक्ट' के अन्तर्गत भी कुछ वर्षों के पश्चात डालरों में भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : आयात स्थिति और खराब हो जायेगी क्योंकि दाम बहुत बढ़ रहे हैं। दामों में वृद्धि केवल अवमूल्यन के कारण नहीं हुई। माननीय मंत्री ने कहा है कि गेहूं के अन्तर्राष्ट्रीय दाम बढ़ गये हैं। क्या मंत्री जी यह कह सकते हैं कि देश में गेहूं का उत्पादन तुरन्त खूब बढ़ाया जाना चाहिये ? सरकार इसके लिये क्या प्रभावी कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री समेत सभी इस बात से सहमत हैं।

Shri George Fernandes : May I know whether any agreement has been signed with Australia for the import of wheat, if so, the price and the quantity thereof ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : आस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा उपहार स्वरूप गेहूं दिये जाने के सम्बन्ध में मंत्री एक वक्तव्य देने जा रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : How much foodgrains have been imported during the last two years, and how much out of that has rotten, resulting in increase in prices ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : एक अन्य तारांकित प्रश्न के उत्तर में ये बातें आजाएगी।

Shri O. P. Tyagi : When our food problem is a national problem, why do the Government no solve it at the national solve ? Why the zonal system is not done away with ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में मैं पूरी तरह सहमत हूं। क्या उपाय किये जायें यह एक विस्तार का मामला है। इसके लिये माननीय सदस्य को शायद एक पृथक प्रश्न पूछना होगा।

Closure of Sugar Mills.

***1354. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether some of the sugar mills are likely to remain closed next year also due to the non-availability to them of sugar-cane in adequate quantity;

(b) if so, the estimated number of workers who would be thrown out of employment as a result thereof; and

(c) the action Government propose to take in the matter in view of the scarcity of sugar ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) and (b) Running or closure of sugar factories depend upon availability of sugarcane to them for crushing. It is yet premature to make any firm estimate in this regard for the next season. However, according to information received from the State Government, all the five factories in Madhya Pradesh and one factory in Maharashtra may not work, and four sugar factories in South Bihar and five sugar factories in North Bihar are contemplating closure in the next season. If all the said factories remain closed. the number of workers affected may be approximately 11,000.

(c) Measures to maximise sugar production during 1967-68 are under consideration in consultation with the State Governments.

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that the closure of about 30 small units is apprehended in Uttar Pradesh also that the owners of those units have by way of representation suggested to the Central Government to raise the price of sugarcane and to decontrol sugar, if so, the reaction of the Government thereto ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें सूचना दी है कि यद्यपि गन्ने की उपलब्धता कम होने के परिणामस्वरूप कारखानों में काम की अवधि कम हो सकती है, किसी कारखाने के बन्द होने की संभावना नहीं है। परन्तु कुछ कारखानों ने हमें जानकारी दी है कि आने वाले मौसम में गन्ने की उपलब्धता में काफी कठिनाई होगी और उनके बन्द होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार से यह भी बताया है कि पिछले वर्ष 20 लाख एकड़ भूमि में गन्ने की खेती हुई थी जबकि उससे पिछले वर्ष 25 लाख एकड़ में गन्ना बोया गया था और इस वर्ष 15 लाख एकड़ भूमि में गन्ने की खेती की गई है।

Shri Prakash Vir Shastri : I wanted to know whether they have received any suggestion to increase the price of suggar cane and to decontrol sugar, if so what is the reaction of the Government thereto ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार को ये सब सुझाव प्राप्त हो गये हैं और सरकार उन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

Shri Prakash Vir Shastri . It is their after repeated reply that it is under active consideration.

अध्यक्ष महोदय : खाद्य मंत्री ने कहा है कि वह 10–15 दिन में इस पर एक वक्तव्य दे देंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : When an announcement will be made in this regard ?

The Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Jagjiwan Ram) : The sowing season of sugar cane is over now, therefore the increase in price at this stage is not likely to have any bearing on the production.

Shri Prakash Vir Shastri : If the cane is diverted to Khandsari, it will surely affect the production of sugar.

Shri Jagjiwan Ram : Crushing season begins in November. As already stated the whole question relating to sugar is under consideration and hence the second increase in the price of sugar cane could not be announced. The annoucement in this regard will be made at a time when it is likely to bear upon the next crushing season.

Shri Prakash Vir Shastri ; May I know the number of workers rendered idle due to the non-availability of sugar cane to the mills last year and the extent of economic hardship suffered by them ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह जानकारी हम राज्य सरकारों से प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और केरल के बहुत से सरकार ने बहुत थोड़े समय के लिये चले थे और मजदूरों पर इसका असर अवश्य पड़ा होगा।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Has the Government of Uttar Pradesh forwarded a suggestion to the Central Government that a corporation should be constituted to ameliorate the conditions of some financially unsound mills and that they should be given some financial assistance and that sugar also be decontrolled ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण के बारे में कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। डा० कुरियन की अध्यक्षता में एक समिति ने इस समस्या पर विचार किया है और अनेक सुझाव दिये हैं। सिफारिशों के बारे में हम राज्य सरकारों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अन्य बातों के बारे में मंत्री ने उत्तर दे दिया है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : हमारा यह कटु अनुभव हैं कि जब भी राज्यों से मुख्य मंत्रियों द्वारा केन्द्रीय सरकार पर किसी ऐसे निर्णय के लिये जोर दिया जाता है जिसे केन्द्रीय सरकार पसन्द नहीं करती, तो इस सभा में उस विषय के बारे में प्राय: यह कह दिया जाता है कि विषय विचाराधीन है तथा किसी भी दिन आशा के विपरीत निर्णय दिया जाता है।

इस बार सरकार क्या वास्तव में चीनी पर से नियंत्रण हटाने के सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है ? क्या सरकार चीनी के लिये बने क्षेत्रों में पुनर्निधारण पर भी विचार कर रही है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य के इस कथन का मैं आशय नहीं समझ पाया कि सरकार निर्णय यकायक कर लेती है। हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है और केन्द्रीय सरकार को राज्यों से भी परामर्श लेना पड़ता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप चीनी से नियंत्रण हटा रहे हैं या नहीं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जब तक सम्पूर्ण विषय विचाराधीन है तब तक मैं यह कैसे बता सकता हूं ?

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं आया।

श्री जगजीवन राम : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सम्पूर्ण चीनी नीति पर सरकार विचार कर रही है। इससे आगे मैं कुछ भी नहीं बता सकता।

Shri Rabi Ray : Hon. Minister says that we are consulting the State Governments, In this connection I would like to draw his attention to the complaint made by Shri Kapil Deo, the Chief Minister of Bihar State that the Central Government do not pay due attention to what the State Government propose in connection with the raising of sugarcane prices. Is it right ?

Shri Jagjivan Ram : Shri Kapil Deo may have many complaints. But the fact is that nothing out the sugarcane cess imposed in Bihar for having increase in the production of sugarcane was spent for this purpose which put the sugarcane industry in very much deplorable condition. It is also a fact that the letter which was addressed to all the States on this subject, was also sent to Bihar State. Now if the Chief Minister of that State denies it, what can I do ?

Shri Bibhuti Mishra : Is it not a fact that the prices of sugarcane have not increased in proportion to the increase in the prices of foodgrains ? Is it also a fact that it led to the decrease in the sugarcane acreage and that the sum of excise duty collected by the Central Government and the cane cess collected by the State Government, is not spent for having increase in the sugarcane production ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गत दो वर्षों में गल्ले का मूल्य बढ़ा है और इससे गल्ले का मूल्य भी प्रभावित हुआ है। इस पहलू पर भी सरकार का ध्यान गया है। इसीलिये मन्त्री महोदय ने बताया कि गन्ने का मूल्य कितना बढ़ाया जाये, आदि सभी बातों पर सरकार विचार कर रही है। दूसरे, हम यही अपेक्षा करते हैं कि जितना उपकर (सेस) गन्ने के विकास के लिये वसूल किया जाये वह सब गन्ने के विकास पर ही खर्च किया जाये।

श्री नाथपाई : सरकार विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिये चीनी का निर्यात करती है। इस सौदे में सरकार को अब तक कितना घाटा उठाना पड़ा है ? चीनी के घटते हुए उत्पादन को देखते हुए क्या सरकार चीनी का निर्यात जारी रखेगी।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम भविष्य में चीनी का निर्यात नहीं करना चाहते । गत वर्ष जो निर्यात किया गया वह पहले समझौते की शर्तों के लिये किया गया था । भविष्य में चीनी के निर्यात के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा । परन्तु हमारा विचार यह है कि पहले देश की आवश्यकता को पूरा किया जाये और फिर देखा जाये कि चीनी का निर्यात किया जा सकता है या नहीं ।

श्री नाथपाई : निर्यात के फलस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई हैं ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसके लिये सूचना अलग से दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा भी ऐसा ही विचार है :

Shri Sheo Narain : Being the sugarcane producer I would like to point out that the sugar is fetching the rate of Rs. 4/- to 6/- per Kilogram in blackmarket and the producers are paid at the rate of Rs. 1.75 per maund, while 3.75 Kilograms of sugar are extracted out of one maund of sugarcane that the Government have failed to give reasonable price of sugarcane to the producers. In view of it I suggest that the Government should leave the matter on the producers and mill-owners and they will mutually come to our agreement. May I know the views of the Government about it ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : चीनी एक नियंत्रित वस्तु है । इसलिये चीनी और गन्ने के दाम भी अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन नियंत्रित हैं । अधिकतर चीनी राशन या कार्ड व्यवस्था के आधार पर वितरित की जाती है । फिर भी थोड़ी बहुत चीनी चोरबाजारी से बिकती है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : चीनी कारखानों को जो गन्ना जाता है उसके दाम नियंत्रित और जो गन्ना खांडसारी तथा गुड़ बनाने वाले कारखानों को जाता है उसके दाम नियंत्रित नहीं होते । दूसरे चीनी कारखानों में गन्ने से 90 प्रतिशत चीनी निकाली जाती है जबकि खांडसारी में यह मात्रा केवल 60 प्रतिशत रह जाती है । इस प्रकार चीनी खांडसारी और गुड़ का कुल उत्पादन कम होता है । क्या यह सच है कि खांडसारी उद्योग को अधिक गन्ना जाने से उपलब्ध गन्ने की मात्रा की तुलना में चीनी का उत्पादन घट गया है । चीनी, खांडसारी तथा गुड़ तीनों ही क्षेत्रों को नियंत्रित करने या तीनों को ही नियंत्रण से मुक्त करने में सरकार के सामने क्या बाधा आती है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह सच है कि खांडसारी, गुड़ तथा चीनी के मूल्यों में असन्तुलन होने के कारण गन्ना अधिक मात्रा में गुड़ और खांडसारी उद्योग को दिया जा रहा है और इसका चीनी मिलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, परन्तु साथ ही यह बात माननीय सदस्य को भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि खांडसारी और गुड़ का उद्योग पूरे देश में इस प्रकार से फैला हुआ है कि इस पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : गुड़ आदि बनाने में गन्ने से कम मात्रा में शर्करा मिलता है जबकि चीनी बनाने में शर्करा (सुक्रोज) अधिक उपलब्ध होता है । क्या इस दृष्टि से भी चीनी के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे : यह बात सच है कि इस वर्ष गन्ने के अ धिक मात्रा में खांड-सारी उद्योग को जाने के कारण चीनी का उत्पादन कम हुआ है ?

Shri Sitaram Kesri : May I know whether there is any proposal under considerat-ion to shift those factories of Bihar which are go ing to be closed, to Mysore or Andhra Pradesh so that they may go or running ?

श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे : ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे या राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कड़ी निगरानी रखने के बावजूद चीनी चार तथा साढ़े चार रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है । सरकार ने ऐसे कौन से ऐसे उपाय किये हैं या राज्य सरकारों को ऐसी क्या हिदायतें दी हैं जिससे चीनी का मूल्य 2 रुपये प्रति किलो-ग्राम तक ही रहे ?

श्री जगजीवन राम : चीनी कारखानों से चीनी सीधे राज्यों को दे दी जाती है और राज्यों से चीनी वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारें ऐसी व्यवस्था कर सकती है जिससे चीनी उचित मूल्यों पर मिले । यह हो सकता है कि लोगों को चीनी का कोटा अपेक्षाकृत कम मिले ।

श्री स० मो० बनर्जी : दिल्ली में क्या हो रहा है ?

Shri Kanwar Lal Gupta : In Delhi Central Government is ignoring Delhi Admi-nistration and supplying sugar to persons directly.

श्री जगजीवन राम : दिल्ली में राशनिंग व्यवस्था है और सब लोगों को चीनी मिल रही है ।

श्री विश्वनाथ राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब गन्ना कम क्षेत्र में बोया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप अगली फसल में चीनी का उत्पादन भी कम होगा, सरकार ने देश में चीनी की मांग को पूरा करने के क्या कदम उठाये हैं ।

श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे : गन्ने का उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने के उपायों पर जिससे कारखानों को गन्ना उपलब्ध होता रहे विचार किया जा रहा है ।

श्री कृष्ण मूर्ति : चीनी पर से नियंत्रण हटाने या गन्ने का अत्यधिक मूल्य बढ़ाने से समस्या हल होने वाली नहीं हैं, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं को भार बढ़ेगा । यह समस्या हल हो सकती है यदि नये खांडसारी मिलों को लाइसेंस न दिये जायें और खांडसारी के मिलों का गन्ना भेजने पर रोक लगा दी जाये । क्या सरकार का इस प्रकार की कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री ग्रन्नासाहिब शिन्दे : यह समस्या इतनी सुगम नहीं है जितनी कि सदस्य महोदय समझ बैठे हैं । सरकार की सामान्य नीति यह है कि चीनी मिलों के आसपास के क्षेत्र में, जहां से मिलों को गन्ना दिया जाता है, खांडसारी मिलों को अनुमति न दी जाये ।

श्री गार्डिलिंगन गौड़ : चीनी के अभाव को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उन क्षेत्रों में जहां चीनी मिल नहीं हैं, खांडसारी मिल लगाने के लिये सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज्य सरकारें इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रोत्साहन दे सकती हैं।

Shri B. D. Deshmukh : May I know whether the Government intend to finance those newly licensed sugar factories, which are not being financed by the Finance Commission ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मुझे यह मालूम है कि विद्यमान लाइसेंसशुदा कुछ चीनी मिलों के सामने अपनी अपनी दीर्घावधि योजनाएं पूरी करने में कठिनाई आ रही है । सरकार इस समस्या पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

खाद्यान्नों का उत्पादन

\+
*1355. **श्री रा० बरुआ :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1950–51 की तुलना में जब कि देश में खाद्यान्न की कमी नहीं थी, इस समय खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धि अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस समय खाद्यान्न की अत्यन्त कमी होने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले 10 वर्षों में भण्डारों में तथा ढुलाई में कितनी मात्रा में खाद्यान्न नष्ट हुए तथा विश्व के प्रमुख देशों की तुलना में यह क्षति कितनी है; और

(घ) भविष्य में इस क्षति को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) प्रति व्यक्ति उपलब्धता अब 1950–51 की अपेक्षा अधिक है। परन्तु यह कहना गलत है कि 1950–51 में अनाज का अभाव नहीं था। वर्ष 1951 में भारत ने 40.7 लाख टन अन्न का आयात किया था।

(ख) प्रति व्यक्ति उपलब्धता में परिवर्तन मात्र से ही अनाज के अभाव का पता नहीं चलता बल्कि इसका पता प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, अर्थव्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति के दबाव तथा उत्पादन में यकायक कमी जैसे अन्य पहलुओं से भी चलता है।

(ग) चूंकि देश में अनाज का अधिकांश भण्डार गैर-सरकारी लोगों के हाथ में रहता है, इसलिये भंडारण तथा यातायात के दौरान कितना अन्न बर्बाद हुआ, यह ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है।

(घ) जहां तक सरकारी खाद्यान्नों का सम्बन्ध है, उसमें होने वाली बर्बादी को रोकने के लिये अनेक उपाय किये जाते हैं, जैसे अन्न-कीड़ों को नियमित रूप से नष्ट करना, पक्षियों से अन्न की रक्षा के उपाय अपनाना, वर्षा से पूर्व निरीक्षण करना जहाजों में रक्षक-पट्टो (डनेज) की व्यवस्था, माल चढ़ाते उतारते समय रक्षात्मक उपाय उपयोग में लाना, मार्ग-रक्षा के उपाय आदि करना। उत्पादकों और व्यापारियों को अनाज के वैज्ञानिक रूप से भंडारण की अधिकाधिक सुविधाएं दी जा रही हैं।

श्री रा० बरुआ : गत दश वर्षों में एक ऐसी धारणा बन गई है कि सरकार देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाने की अपेक्षा अन्न बाहर से मंगाने में अधिक रूचि लेती है जिस कारण से आज हम द्विधा में पड़ गये हैं। क्या सरकार अगले दो वर्षों में सिंचाई व्यवस्था और उत्तम बीजों की सप्लाई में सुधार करने के कोई कारगर उपाय करेगी, जिन बातों के आधार पर ही देश का उत्पादन दुगना हो सकता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे ; इस बात का उत्तर हमारे खाद्य तथा कृषि मंत्री अनुदानों पर बहस के उत्तर के दौरान दे चुके हैं। साथ ही मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं पिछले दो वर्षों भारत के इतिहास बहुत की कठिन गुजरे हैं, जिसमें सरकार के पास अनाज के आयात के सिवाय और कोई चारा नहीं था। परन्तु इन्हीं दो वर्षों में कृषि विकास कार्यक्रम पर जितना बल दिया गया है, वह भी सराहनीय है। उदाहरणार्थ इस समय में उत्तम बीजों को लोकप्रिय बनाया गया। इन विकास प्रयासों का परिणाम भी हमें प्राप्त हो रहा है।

श्री रा० बरूआ : दूषित भंडारण व्यवस्था ही अधिकांश अन्न बर्बादी का कारण है। क्या सरकार इस प्रकार के उपाय करेगी जिससे अधिकतर गैर-सरकारी लोग भी भंडारण की वैज्ञानिक पद्धति को अपनायें ? इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्रालय की इस सलाह पर भी गौर किया जा सकता है कि छिपे हुए धन को निकाल कर उसका ऐसो सुविधाओं के जुटाने में उपयोग किया जा सकता है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) - माननीय सदस्य उन्हें इसके लिये प्रेरित करें।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : भंडारण क्षमता समस्या का प्रधान अंग है, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। अब सहकारी क्षेत्र में हमारे पास 40 लाख टन की भंडारण क्षमता है, भाण्डागार निगम तथा गोदाम केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन है। फिर भी इसमें विस्तार की आवश्यकता है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत की आर्थिक जानकारी 1966 नामक मेरे पास एक पुस्तिका है उसमें लिखा है कि 1950 में 500 लाख टन अन्न पैदा हुआ तथा मंत्री महोदय के कथनानुसार 40 लाख टन अन्न का आयात किया गया। इसका अर्थ यह है कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता 415 ग्राम थी। परन्तु इस वर्ष 760 लाख टन के उत्पादन के आधार पर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता 450 ग्राम है। इस प्रकार यह समझ में नहीं आता है कि उत्पादन अधिक होते हुए और प्रति व्यक्ति उपलब्धता अधिक होते

हुए भी यह कहा जा रहा है कि अन्नाभाव के कारण 100 लाख टन अन्न मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या ये आंकड़े अविश्वासनीय और गलत हैं, यदि नहीं, तो मंत्री महोदय द्वारा बताये गये तथा इन आंकड़ों में इतना बड़ा अन्तर क्यों है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे पास जो अधिकृत आंकड़े हैं उनके अनुसार 1950–51 में जनसंख्या 3600 लाख थी जबकि उत्पादन 540.9 लाख टन हुआ था और प्रति व्यक्ति अन्न की उपलब्धता 13.9 औंस थी। 1963–64 में यह 15.8 औंस और 1964–65 में यह 16.8 औंस थी। परन्तु उत्पादन में गिरावट की वजह से उपलब्धता भी कम हो गई है और अब यह 14.4 औंस है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या आप आंकड़ों की तुलना करके तथ्य बतायेंगे।

Shri Jagannath Rao Joshi : Is it a fact that a quantity of 18 thousand maunds of wheat was destroyed at Patna Junction ? If so, may I know whether the action against the person responsible for this damage has been taken ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इसके बारे में हम राज्य सरकार तथा अन्य सूत्रों से जानकारी प्राप्त करेंगे।

Shri Tulsidas Jadhav : The rates of foodgrains vary from state to state. In states where the rates are lower the producers do not get the incentive to produce more. May I know the measures being taken to provide full cost of production to the producers so that they may grow more ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक वसूली दामों का सम्बन्ध है वे विभिन्न राज्यों के परामर्श से स्थिर किये जाते हैं। बहुतायत वाले तथा कमी वाले राज्यों में भावों में अन्तर होना स्वाभाविक है।

श्री स० कुण्डू : प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने देश में अन्न के उत्पादन और आयातित अन्न को मिला दिया है। क्या वह बतायेंगे कि देश के अपने उत्पादन के आधार पर प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी बढ़ी है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सामान्यतः प्रति व्यक्ति उपलब्धता का हिसाब अन्न की उस मात्रा के आधार पर लगाया जाता है जो शुद्ध उत्पादन और शुद्ध आयात के जोड़ में से सरकारी भंडारों में हुए परिवर्तन को घटाकर शेष बचती है। शुद्ध उत्पादन कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत लिया जाता है तथा 12½ प्रतिशत बीजों तथा 12½ प्रतिशत बर्बादी के लिये छोड़ दिया जाता है। इस आधार पर मैंने आंकड़े दिये हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या यह सच है कि भूमि सुधारों पर अमल न किये जाने के कारण उतनी अधिक भूमि पर खेती नहीं की जा सकी है जितनी पर होनी चाहिये थी ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य सरकारों को यह निदेश देगी कि भूमि सुधारों को क्रियान्वित करने में शीघ्रता की जाये ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस बारे में हमारे खाद्य तथा कृषि मंत्री विवाद का उत्तर देते हुए पहले ही बता चुके हैं। तथा मैं माननीय सदस्य से इस बात पर सहमत हूं।

श्री हेम बरुआ : इस समय देश में अन्न की कुल कितनी कमी है ? क्या यह सच है कि अमरीका भारत की अन्न सम्बन्धी आवश्यकता को 50 प्रतिशत तक पूरा करने को तैयार है बशर्ते कि भारत अन्य देशों से भी उनकी ही सहायता प्राप्त करें ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कुछ समय पूर्व पैरिस में उन देशों की एक बैठक हुई थी जो भारत की सहायता करने को इच्छुक हैं। इसमें भारत के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। उसमें अमरीका ने यह सुझाव दिया था कि अमरीका भारत को उतनी ही सहायता देने को इच्छुक है जितनी कि अन्य देश खाद्यान्न और उर्वरक के रूप में भारत को देंगे।

श्री हेम बरुआ : मैंने यह भी पूछा था कि भारत में अन्न की कुल कितनी कमी है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उस बैठक में हमारे प्रतिनिधि भी थे।

श्री जी० एस० रेड्डी : बर्मा तथा पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के उत्पादन की तुलना में हमारे देश का उत्पादन कितना है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : एशिया में कुछ देशों की अपेक्षा भारत की उत्पादक अधिक है और कुछ देशों की अपेक्षा कम है। जहां तक बर्मा और पाकिस्तान की उत्पादकता का सम्बन्ध है, उसके लिये पृथक से सूचना दी जानी चाहिए।

Shri Madhu Limaye : What has been the per capita availability of foodgrains in different States during the last five years ? Will the Minister be pleased to lay a copy of National Food Budget on the Table of the House for the information of the Members ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : अन्न की उपलब्धता प्रत्येक राज्य में क्या है, ये आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है माननीय सदस्य सभा की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचना दें।

Shri Madhu Limaye : I have already given several notices. I am told repeatedly that the information is being collected. By what time will this work be completed ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य निश्चित प्रक्रिया के अन्तर्गत इसकी सूचना दे सकते हैं।

श्री बलराज मधोक : क्या मंत्री महोदय विभिन्न राज्यों में चावल, गेहूं और गन्ने की उत्पादकता का तुलनात्मक अध्ययन सभा पटल पर रखेंगे और साथ ही यह भी बतायेंगे कि इस अन्तर का कारण क्या है जबकि भूमि की किस्म एक ही है और कृषकों को अन्य सुविधाएं भी समान ही उपलब्ध होती हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य किसी एक विशेष बात के बारे में पूछें तो मैं बताने को तैयार हूं।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मंत्री महोदय ने बताया है कि 1961–62 में अनाज का उत्पादन सर्वाधिक था तथा उसी वर्ष खाद्यान्नों का आयात भी सर्वाधिक किया गया था। ये दोनों बातें एक साथ सम्भव कैसे हो सकती हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गत वर्ष सबसे अधिक अन्न आयात किया गया था।

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार यह अनुभव करती है कि अन्न संकट का कारण दूषित वितरण व्यवस्था और गैर-सरकारी व्यापार में व्याप्त कदाचार है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कड़ी कार्यवाही करेगी जिससे लोगों को उतना अन्न तो बराबर मिलता रहे जो देश में अन्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं मानता हूं कि वितरण व्यवस्था दोषपूर्ण है और इसमें बहुत अधिक सुधार करना होगा। इसे सरकारी क्षेत्र के अधीन लाने के लिये प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न–श्री योगेन्द्र झा। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों द्वारा दुर्भिक्ष की घोषणा

***1356. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री चं० चु० देसाई :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्य के कुछ क्षेत्रों को दुर्भिक्षग्रस्त घोषित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये हैं; और

(ग) ऐसी घोषणाओं का क्या प्रभाव हुआ है और इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। परन्तु अभी तक केवल बिहार ने ही कुछ क्षेत्रों को दुर्भिक्षग्रस्त घोषित किया है।

(ख) किसी क्षेत्र को दुर्भिक्षग्रस्त घोषित करने का मामला पूर्णतः राज्य का मामला है और यह आवश्यक नहीं है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई निदेश दें।

(ग) बिहार सरकार द्वारा राज्य के कुछ क्षेत्रों को दुर्भिक्षग्रस्त घोषित किये जाने के बाद राहत कार्य तेजी से किये गये हैं। जो राहत कार्य किये गये हैं उनका विस्तृत ब्यौरा 'खाद्य तथा अभाव की स्थिति का पुनर्विलोकन" में दिया गया है, जो 10 जुलाई 1967 को सभा पटल पर रखा गया था।

मूलभूत अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

1357. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या विधि मंत्री 6 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1546 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूलभूत अधिकारों के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने संविधान को संशोधित करने कीं ऐसी प्रस्थापना को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि संसद को मूल अधिकारों से सम्बन्धित भाग 3 सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जहाज निर्माण उद्योग

*1358. **श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तथा वर्तमान स्वेज संकट के कारण माल भाड़े में हुई वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा के भारी व्यय को देखते हुए जहाज निर्माण उद्योग के लिये अधिक धन की व्यवस्था करने के हेतु क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ख) धन के नियतन में कितनी वृद्धि की गई है; और

(ग) देश में निर्मित जहाजों के प्रति वर्ष कितने टन अधिक माल ले जाने की क्षमता बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) विशाखापतनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के विस्तार हेतु चौथी योजना के प्रारूप में

15.86 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसका लक्ष्य 30,000 डी० डबल्यू० टी/40,000 डी० डबल्यू० टी के स्थान पर 50,000 डी० डबल्यू० टी वार्षिक उत्पादन था।

चौथी योजना के प्रारूप में कोचीन में दूसरा जहाज निर्माण कारखाना की स्थापना के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस परियोजना के सम्बन्ध में आगे की जाने वाली कार्यवाही पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को घाटा

***1359. श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वोच्च स्तर पर अधिक व्यय, धोखा-धड़ी तथा कुप्रबन्ध के कारण इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या कम व्यय से अधिक कार्यदक्षता लाने की दृष्टि से इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के दिन प्रतिदिन के काम काज की जांच करने के लिये सरकार का विचार संसद् सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एयर इन्डिया के विमान चालक

***1360. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री शिवचन्द्र झा :
श्री मधु लिमये :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री राम सेवक यादव :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के विमान चालकों के बारे में श्री सलीम मर्चेन्ट का 5 जुलाई, 1967 का मध्यस्थ निर्णय लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1967 से कितना अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा ;

(ग) क्या विमान चालकों तथा प्रबन्धकों के बीच कोई विवाद अब भी शेष है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन विवादों को हल करने के लिये कोई नयी सामूहिक समझौता वार्ता की जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) यह फैसला इसके प्रकाशित होने से 30 दिन बाद लागू हो जायेगा।

(ख) लगभग 3 लाख रुपये वार्षिक अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है ।

(ग) इस समय कोई नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पालम और दमदम के बीच इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा कैरेवल विमान सेवा

1362. श्री रवि राय :
श्री राम सेवक यादव :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 जुलाई, 1967 को पालम हवाई अड्डे और दमदम हवाई अड्डे के बीच इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की नियमित कैरेवल विमान सेवा में गड़बड़ हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) इस विमान में यात्रा करने के लिये कितने भारतीय तथा विदेशी लोगों ने टिकट लिये थे;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को किसी संसद सदस्य से कोई शिकायत मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो यह शिकायत किस बारे में थी तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) 4 जुलाई, 1967 को दिल्ली से कलकत्ता की कारवेल उड़ान 'आई सी–401' तकनीकी कठिनाइयों के कारण रद्द करनी पड़ी । 36 भारतीय और 8 विदेशी थे ।

(ग) से (ङ) इस विषय पर एक सदस्य द्वारा लोक सभा सचिवालय को भेजी गयी ध्यानाकर्षण सूचना की एक प्रतिलिपि इस मंत्रालय में प्राप्त हुई थी । मामले की जांच की गयी है और यात्री को असुविधाएं न होने देने के लिए हर एहतियात बरती जायेगी ।

उर्वरकों की खपत

***1363. श्री म० ला० सोंधी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में देश में उत्पादित तथा आयातित, दोनों प्रकार के उर्वरकों की कुल कितनी खपत हुई है; और

(ख) पिछले दो वर्षों में किन देशों से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उर्वरकों का आयात किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1175/67]

Sugar Mills in Maharashtra

***1364. Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri P. N. Solanki :
Shri D. S. Patil :
Shri George Fernandes :
Shri J. H. Patel :
Sari Madhu Limaye :
Shri A. Sreedharan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the sugar mills in Maharashtra have stopped selling sugar to Government with effect from the 1st July, 1967;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) to (c) According to the information received from the Maharashtra Government the Maharashtra Cooperative Factories stopped deliveries of sugar on the 2nd July, 1967 i. e., soon after the revision of ex-factory prices for North Indian factories on the 2 th June, 1967. They desired immediate increase in their ex-factory price also, before they could deliver the sugar. The ex-factory price of Maharashtra sugar factories could not be revised by then as final working results of these factories had not been received in time. The ex-factory price for Maharashtra was revised on the 14th July, 1967 and the Cooperative factories decided to resume deliveries.

Procurement of Foodgrains

***1365. Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Das :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the rates at which the Central and State Governments procured the food-grains recently;

(b) the rates at which Government propose to distribute it ;

(c) the quantity of the foodgrains which has been procured so far and the quantity proposed to be procured further; and

(d) when the distribution of procured foodgrains would commence and the period for which it would continue to be supplied ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) The rates at which Central and State

Governments procure foodgrains are the same. A statement showing the different prices for different foodgrains is laid on the table of the Sabha.

(b) A statement showing the prices at which the foodgrains are issued from Central pool is laid on the table of the Sabha. [Placed in Library See No. LT-1776/67]

(c) Procurement of about 36 lakh tonnes of foodgrains has so far been reported during the current season. Further procurement will depend on availability of foodgrains and steps taken by the State Governments to procure the same.

(d) Distribution of procured foodgrains is a continuous process.

स्वेज नहर के बन्द हो जाने के बाद खाद्यान्नों का आयात

***1366. श्री विश्वम्भरन :**
श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री अदिचन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण खाद्यान्नों के आयात में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या वैकल्पिक कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या स्वेज नहर के बन्द हो जाने के बाद सरकार ने पूर्वी देशों से अतिरिक्त खाद्यान्न खरीदा है और यदि हां तो इस प्रकार खरीदे गए गेहूं और चावल की कितना मात्रा किस किस देश से खरीदी गई है; और

(ग) क्या ये अतिरिक्त खाद्यान्न भारतीय बन्दरगाहों में पहुँचने शुरू हो गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 6 जून 1967 से स्वेज नहर बन्द हो जाने का तात्कालिक प्रभाव उन जहाजों पर पड़ा जो खाद्यान्न से लदे थे और उस तारीख को समुद्रीय मार्ग में थे तथा जो स्वेज नहर के माध्यम से भारतीय बन्दरगाहों पर पहुँचने वाले थे। खाद्यान्न से भरे इन जहाजों के दूसरे रास्ते अर्थात कुमारी अन्तरीप से होकर अपने आने में जो देरी हुई उसका प्रभाव जून के अन्त और जुलाई के प्रारम्भ में भारत में अन्न की उपलब्धता पर पड़ा। समयाभाव के कारण इस कमी को किसी भी अन्य सूत्र से पूरा नहीं किया जा सकता। स्वेज नहर के बन्द हो जाने के कारण अनाज लोन के लिये टंकी वाले जहाज न मिल सके और इसी वजह से जुलाई तथा अगस्त में आयातित अनाज को लाकर अन्न की कमी पूरी न की जा सकी। आस्ट्रेलिया से खाद्यान्न खरीदे गये थे। आस्ट्रेलिया से अन्न से लदे जहाजों को अन्य रास्तों से लाने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया गया था परन्तु उसका कोई दोष परिणाम अभी नहीं निकला है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चावल की कमी

***1367. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चावल की कितनी कमी है; और

(ख) चावल के उप्पादन के मामले में देश को आत्म निभर बनाने के बारे में सरकार में क्या ठोस कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारत में खाद्यान्न की खपत के बारे में वैज्ञानिक तथा सर्व व्यापक आधार पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है इसलिये यह बताना कठिन है कि भारत में कुल कितने अन्न की खपत होती है या वहां कितने अन्न की कमी है। विभिन्न प्रकार के अन्नों की मांगें परस्पर सम्बद्ध होती हैं। इसलिये प्रत्येक प्रकार के अन्न की कमी का अलग से अनुमान लगाना और भी अधिक कठिन हो जाता है।

(ख) 1966-67 प्रारम्भ से बहुत बड़े क्षेत्र में धान की अधिक उपज वाली किस्मे बोई जा रही है तथा बहु-फसल कार्यक्रम के अधीन उन क्षेत्रों में जहां पहले एक या दो फसलें बोई जाती थीं, अब दो से तीन फसलें तक उगायी जाती हैं। ये कुछ ठोस कार्य हैं जो 1970-71 तक उप्पादन के मामले में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये नई कृषि विधि के अधीन किये गये हैं।

दक्षिण में गन्ना उद्योग की समस्याओं सम्बन्धी समिति

***1368. श्री मरण्डी : श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : श्री पार्थ सारथी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार की समिति ने जिसे दक्षिण भारत में गन्ना उद्योग की समस्याओं की जांच करने के लिये कहा गया था, दक्षिण भारत में एक चीनी अनुसंधान संस्था स्थापित करने की सिफारिशें की है;

(ख) इस समिति ने और क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) समिति द्वारा दी गई सिफारिशों और निष्कर्षों के सारांश का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1177/67**]

(ग) सरकार प्रतिवेदन का अध्ययन कर रही है।

कमी वाले राज्यों को खाद्यान्न का नियतन

***1369. श्री गा० शं० मिश्र :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अत्यधिक सूखाग्रस्त, राज्यों को राज्यवार जुलाई के महिने के लिये केन्द्र ने कितनी कितनी मात्रा में खाद्यान्न का नियतन किया है; और

(ख) इन राज्यों में कुल कितनी कमी है तथा इस कमी को पूरा करने के लिये केन्द्र ने क्या उपाय करने का सुझाव दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) दुर्भिक्ष से प्रभावित राज्यों में सर्वाधिक प्रभावित राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य हैं। अनाज की खपत का विश्वसनीय अनुमान न होने के कारण यह बताना असम्भव है कि किस राज्य में अन्न की कितनी कमी है। फिर भी केन्द्र के पास उपलब्ध अन्न की मात्रा तथा अभाव वाले राज्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन दो राज्यों जितना अधिक सम्भव होगा, उतना अधिक अन्न देने का प्रबन्ध किया जा रहा है। जुलाई के लिये बिहार को 2.1 लाख टन तथा उत्तर प्रदेश को 91000 टन अन्न दिया गया है ?

आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा चावल की सप्लाई

***1370. श्री पार्थसारथी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश की सरकार केन्द्रीय भण्डार को इस वर्ष 6,00,000 मीट्रिक टन चावल देने के लिये सहमत हो गई है; और

(क) आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने वाले किन किन अन्य राज्यों ने केन्द्रीय भण्डार में चावल देने का वचन दिया हैं तथा उनके लिये कितनी मात्रा निर्धारित की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अप्रैल 1967 में आन्ध्र प्रदेश सरकार इस बात के लिये सहमत हो गई थी कि वह केन्द्र को 6 लाख टन चावल देगी। अब उन्होंने घटाकर चावल की मात्रा 5 लाख टन कर दी है।

(ख) उड़ीसा ने 75000 टन चावल बिना शर्त देने का वायदा किया है तथा गेहूं के बदले में वह और अधिक चावल भी देने को तैयार हैं। पंजाब ने 6 लाख टन खाद्यान्न देने का वायदा किया है। किसी अन्य राज्य कोई निश्चित वायदा नहीं किया है।

तम्बाकू का उत्पादन

***1371. श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस राज्य में सर्वाधिक तम्बाकू पैदा किया जाता है;

(ख) तम्बाकू का उत्पादन और उसका निर्यात बढ़ाने के लिये कौन कौन सी संस्थाएं काम करती हैं; और

(ग) बाजार में माल का जो स्टाक जमा हो गया है उसको निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश ।

(ख) राज्य कृषि विभाग मुख्यतः तम्बाकू उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं । तम्बाकू सम्बन्धी विकास तथा विपणन कार्यों की देखरेख के लिए भारत सरकार ने भारतीय तम्बाकू विकास परिषद स्थापित की है जिसमें केन्द्र राज्यों तथा उत्पादकों के प्रतिनिधि शामिल हैं और जिसका मुख्य कार्यालय मद्रास में हैं । केन्द्रीय कृषि विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, तम्बाकू विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों की क्रियान्विति में तम्बाकू विकास परिषद् की सहायता करता है । वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन तम्बाकू निर्यात वृद्धि परिषद् निर्यात वृद्धि सम्बन्धी सभी मामलों की देखरेख करता है ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में सनक्यूर्ड (नाटू) तम्बाकू के बाजार में मन्दा आ जाने के कारण वहां लगभग 10 मिलियन कि० ग्रा० इकट्ठा हो गया । मालूम हुआ है कि जो स्टाक अब बिना बिका रह गया है वह 5 मिलियन कि० ग्रा० से अधिक नहीं है । स्टाक को निपटाने के लिए निम्न उपाय किए जा रहे हैं:–

1. बिक्री योग्य मात्रा तथा किस्म का पता लगाने के लिए स्टाक का सर्वेक्षण ।
2. बिक्री योग्य मात्रा को खरीदने के लिए सिग्रेट, बीड़ी तथा चिरुट निर्माताओं को तैयार करना । कलकत्ता में मजदूर न मिलने की कठिनाई के कारण *कम्पनी* ने जो लगभग 2 से 5 मिलियन कि० ग्रा० प्रत्येक वर्ष खरीदती है *बिल्कुल नहीं* खरीदा जिसके कारण काफी परेशानी उत्पन्न हुई । अब *यह मालुम* हुआ है कि यह फर्म बहुत शीघ्र ही बाजार में शामिल होगी ।
3. सीरिया और यू० ए० आर० को निर्यात करने की सम्भावना पर विचार हो रहा है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न का समाहार

***1372. श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फालतू खाद्यान्न वाले राज्य भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन राज्यों में बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का समाहार करने के प्रयत्नों का विरोध कर रहे हैं क्योंकि निगम द्वारा दिए गए मूल्य लाभप्रद नहीं हैं;

(ख) क्या फालतू खाद्यान्न वाले राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि उन्हें आवश्यक निर्मित वस्तुयें उचित मूल्य पर दिलायें अथवा उन मूल्यों पर दिलायें जो समाहार मूल्यों के ही अनुरूप हों; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक निकाय (पूल)

***1373. श्री रा० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरक निकाय को समाप्त करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा इसके स्थान पर अन्य कौन-सी विपणन व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Supply of Foodgrains to States

***1374. Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Rane :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have supplied lesser quantity of foodgrains including rice than the quotas fixed for some State Governments during the last three months;

(b) if so, the reduction made in respect of each State separately;

(c) the reasons therefor; and

(d) whether Government propose to supply foodgrains including rice to all the States according to the quota fixed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) No specific monthly quota of foodgrains has been fixed for any State. Allocations are made each month depending on the availability of grains with the Centre for that month. It is a fact that there has been a shortfall in the actual supplies of foodgrains to certain States against allocations made.

(d) A statement showing the allocations of foodgrains and the actual supplies made to each State from the Central pool during the last three months is laid on the table of the Sabha. [**Placed in Library See No. L T-1178/67**]

(c) Low arrivals of foodgrains from abroad and inadequate availability of rice from internal sources.

(d) Actual supplies to the different States in the coming months will naturally depend on the actual availability with the Centre both from internal and external sources.

व्यापारिक फसलों के लक्ष्य

1375. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री य० प्र० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० अमात :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 के लिये व्यापारिक फसलों के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पटसन, चाय, मेस्टा, मुंगफली और तम्बाकू के सम्बन्ध में पहले वाले तीन वर्षों की तुलना में ये लक्ष्य कितने कम अथवा अधिक हैं;

(ग) इन फसलों के निर्यात के बारे में क्या अनुमान है; और

(घ) अधिक भूमि में गन्ने की खेती करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, सिवाय चाय के ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1179/67**]

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) गन्ने की खेती को बढ़ाने के लिये, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

1. गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में लघु सिंचाई सुविधाओं को तीव्र करना :

2. गन्ने के लिए उच्च मूल्य निर्धारित करना

3. गन्ने की फसल के लिए उर्वरक का विशेष कोटे की अलाटमेन्ट

खाद्यान्न के बारे में आत्मनिर्भरता

1376. श्री पार्थसारथी : श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :
श्री श्रीचन्द गोयल : श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन के बाद सरकार का यह विश्वास हो गया है कि 1970–71 तक 12 करोड़ टन अनाज का उत्पादन करके खाद्यान्न के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) क्या 1970-71 तक रुई के मामले में आत्म निर्भर हो जाने और उसके बाद रुई का आयात बन्द कर देने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग)

The Government of India had already decided to achieve by 1970-71 a level of 120 million tonnes of foodgrains production where it would match the country's requirements. The Chief Ministers' Conference indicated its general support to the programme for self-sufficiency by 1970-71 and the production programmes for 1967-68 were drawn up in this context.

The detailed State wise targets of production of foodgrains were not considered at the Conference. Final State-wise targets of foodgrains production will be known when the Report of the Fourth Five Year Plan is finalised.

No, Sir. But at the Chief Ministers' Conference, several Chief Ministers expressed the view that it would be desirable to aim at achieving self-sufficiency in cotton by 1970-71 and to stop imports of cotton, thereafter. These suggestions will be examined by the Govt.

बहु-विवाह

*1377. श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री एस० एम० जोशी :
श्री जार्ज फर्नेन्डीज : श्री बाबूराव पटेल :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुस्लिम महिलाओं की संख्या समेत भारत की किसी मुस्लिम संस्था ने बहु–विवाह पर प्रतिबन्ध अथवा रोक लगाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ग) कौन कौन से अन्य मुस्लिम देशों ने बहु–विवाह पर प्रतिबन्ध अथवा रोक लगाने के उपाय किए हैं ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारत के किसी भी मुस्लिम संगठन की ओर से ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया था जिसमें मुसलमानों में बहुपत्नीत्व पर रोक या निर्बन्धन लगाने की मांग की गई हो। किन्तु 19–4–1966 को फ्री प्रेस जर्नल, मुम्बई में प्रकाशित एक प्रेस रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि सैकुलर फोरम, मुम्बई द्वारा प्रायोजित प्रदर्शन सात मुस्लिम महिलाओं द्वारा किया गया था, जिसमें मुसलमानों में बहुपत्नीत्व पर रोक लगाने और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में विभिन्न समुदायों को लागू सिविल विधियों में विभेद की समाप्ति करने की मांग की गई थी। प्रदर्शनकारियों को महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए उनके पास एक शिष्ट मंडल के रूप में जाने की अनुज्ञा दी गई थी।

पश्चिमी बंगाल से मई, 1966 में एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा एक तार प्रधान मंत्री को भेजा गया था जिसमें मुसलमानों में बहुपत्नीत्व के उत्सादन का आग्रह किया गया था।

(ख) इससे पूर्व कि सरकार विधि बनाने की किसी प्रस्थापना पर कार्य करे, यह आवश्यक समझा गया कि इस मामले में राज्य सरकारों के विचार अभि-निश्चित कर लिए जाएं।

राज्य सरकारों को अगस्त, 1966 में एक पत्र भेजा गया था जिसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए, विशेषकर, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार के सम्बन्ध में एकरूप सिविल संहिता बनाने के बारे में उनके विचार मांगे गए थे। अब तक जो उत्तर प्राप्त हुए हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि मैसूर और आसाम की राज्य सरकारें तथा दादरा और नागर हवेली, मनीपुर और हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एक रूप सिविल संहिता बनाने के पक्ष में हैं, जब कि जम्मू–कश्मीर, नागालैंड, केरल और राजस्थान की राज्य सरकारें इसके पक्ष में नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस पर सहमति प्रकट करते हुए यह सुझाव दिया है कि उलेमाओं, विधिज्ञों और न्यायाधीशों का एक आयोग नियुक्त किया जाए। यद्यपि उड़ीसा सरकार इसके पक्ष में है तदपि उसकी यह राय है कि इसे धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक कार्यान्वित करना होगा। दूसरी ओर, मुस्लिम संगठनों और व्यक्तियों की ओर से बहुत-से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें उन्होंने अपनी स्वीय विधि में किसी भी परिवर्तन का प्रबल विरोध किया था।

इन परिस्थितियों में, बहु-पत्नीत्व पर रोक लगाने का निर्बन्धित करने की कोई प्रस्थापना सम्पृक्त व्यक्तियों के वर्गों की ओर से आनी चाहिए।

(ग) पूरी सामग्री उपलब्ध नहीं है। किन्तु यह समझा जाता है कि तुर्की और ट्यूनीसिया ने बहु-पत्नीत्व पर निर्बन्धन अधिरोपित किए हैं। पाकिस्तान में भी सन् 1961 में बहु-पत्नीक विवाहों पर कुछ निर्बन्धन अधिरोपित किए गए थे।

विदेशी गैर सरकारी पार्टियों से गेहूँ अथवा चावल की खरीद

***1378. श्री रा० बरुआ : श्री सो० सिं० बसी :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों में गैर-सरकारी पार्टियों से गेहूं तथा चावल का आयात करने के लिए हाल ही में कोई प्रयत्न किये हैं और इसके लिए उनसे भाव मंगवाये हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में उसके भाव कम हैं अथवा अधिक; और

(ग) क्या उपर्युक्त विदेशी गैर-सरकारी पार्टियों से खाद्यान्न खरीदने का सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ऐसा केवल चावल के सम्बन्ध में ही किया गया था।

(ख) विभिन्न गैर-सरकारी पक्षों द्वारा दिये गये भावों में 'ट्रेड जरनल' में उद्धृत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव से अधिक है और कुछ उससे कम हैं ।

(ग) सरकार ऐसी गैर-सरकारी पक्षों से भी खरीदारी करती है जिसके भाव न्यूनतम होते हैं ।

दिल्ली में देशी गेहूं का वितरण

***1379. श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार 1 अगस्त, 1967 से राजधानी में देशी गेहूँ देने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका विक्रय-मूल्य क्या होगा;

(ग) क्या सरकार ने लगातार पूरे वर्ष देशी गेहूं दिये जाने के लिये कोई सन्तोषजनक प्रबन्ध किये हैं;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशाशन को पंजाब सरकार से सीधे गेहूँ खरीदने की अनुमति नहीं दी; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशाशन ने राजधानी के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से गेहूँ के निर्बाध आयात की अनुमति दी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) राजधानी में देशी गेहूं 26 जुलाई, 1967 से दिया जायेगा ।

(ख) उपभोक्ताओं के लिये गेहूं की दादरा किस्म का भाव 98 पैसे प्रति किलोग्राम और अच्छी किस्म का विक्रय मूल्य 1.03 रुपये प्रति किलोग्राम है।

(ग) दिल्ली में वितरण के लिए देशी गेहूँ पंजाब से आता है और पंजाब से प्राप्त गेहूं में से अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लिए नियतन किया जाना है। पूरे वर्ष देशी गेहूँ की सप्लाई सम्भव न हो सकेगी।

(घ) दिल्ली प्रशासन से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के गैर राशन वाले क्षेत्र से राशन वाले क्षेत्र में गेहूं लाने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि राशन कार्ड के आधार पर मिलने वाला उतना ही गेहूं राशन से न लिया जाये।

चीनी पर से नियन्त्रण हटाना

*1380. श्री पार्थसारथी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री मधु लिमये :
श्री श्रीधरन :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मरण्डी :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नायनार :
श्री ना० रा० पाटिल :
श्री रमानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री देवराव पाटिल :
श्री सोनावने :
श्री भा० रा० कावड़े :
श्री तुकाराम गेविट :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने चीनी पर से नियन्त्रण हटाने तथा 9.5 प्रतिशत चीनी देने वाले गन्ने का मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : जी, नहीं। मामला अभी भी विचाराधीन है।

गुजरात में मछली पालन उद्योग का विकास

6562. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में मछली पालन उद्योग के विकास के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में मछली पालन उद्योग के विकास के लिए कुल कितना धन नियत किया गया था; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए गुजरात के लिए कितना धन नियत किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां। गुजरात में मछलियों के विकास के लिए एक ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है।

(ख) गुजरात में चौथी योजना में महत्वपूर्ण योजनाएं फिशिंग क्राफ्ट, अण्डरटेकिंग डीप सी फिशिंग, नौका निर्माण कारखानों और मरम्मत केन्द्रों, प्रक्रिया के लिए सुविधाओं की व्यवस्था, भण्डारण तथा परिवहन, मछियारों का प्रशिक्षण, मछियारों का सहकारी समितियों का संगठन, मछियारों को सहायता, समन्वेषी सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान और फिशिंग हारबर्स का विकास से सम्बन्धित हैं।

(ग) अन्तर्राज्यीय तथा समुद्री मछलियों के विकास के लिए चौथी योजना में 113 करोड़ रुपये का एक अस्थायी निर्धारण किया गया है। इसमें से केन्द्रीय योजनाओं के लिए 37 करोड़ रुपये हैं शेष 76 करोड़ रुपये मत्यस्य विकास योजनाओं के लिए हैं। उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इन अस्थायी निर्धारणों को संशोधित किया जा सकता है।

(घ) गुजरात में मत्स्य सम्बन्धी योजनाओं के लिये 4.55 करोड़ रुपये की अस्थायी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत फिशिंग हारबर्स तथा लैंडिंग सैन्टरों के लिए ·55 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

गुजरात में उत्तरी मरुस्थल का विस्तार

6563. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में उत्तरी–मरुस्थल क्षेत्र बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में यह क्षेत्र कितना बढ़ा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किये गये उपायों से मरुस्थल का कितना विस्तार रोका गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियां

6564. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कुल कितने हवाई अड्डे तथा हवाई पट्टियां हैं;

(ख) क्या गुजरात राज्य में नये हवाई अड्डे अथवा हवाई पट्टियां बनाने तथा वर्तमान हवाई अड्डों का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में हवाई अड्डे अथवा हवाई पट्टियां बनाने तथा हवाई अड्डों का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या अहमदाबाद हवाई अड्डे को एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) गुजरात राज्य में नागर विमानन विभाग के नियन्त्रण में 9 हवाई अड्डे हैं।

(ख) और (ग) गुजरात राज्य में फिलहाल नये हवाई अड्डे या नई हवाई पट्टियां बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन, अहमदाबाद, बड़ौदा, जूनागढ़ (केशोद), काण्डला और पोरबन्दर में विद्यमान हवाई अड्डों के विस्तार/सुधार के प्रस्ताव हैं।

(घ) जी, नहीं, लेकिन अहमदाबाद बम्बई (सान्ता क्रूज) के लिए वैकल्पिक अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्दिष्ट किया गया है।

(ङ) एक नई टरमीनल इमारत, और टैक्सी-ट्रैकों तथा एप्रन के सुधार की योजनाएं विचाराधीन हैं।

(च) बम्बई में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विद्यमान होने के कारण बम्बई में इतने निकट ही एक दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विकास आवश्यक नहीं समझा गया है।

गुजरात में राष्ट्रीय राजपथ

6565. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को गुजरात में राष्ट्रीय राजपथों की कुल लम्बाई कितने मील थी; और

(ख) उन राजपथों के नाम क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) गुजरात में राजपथों की कुल लम्बाई 670 मील है।

(ख) (1) राजपथ संख्या 8, जो 311 मील लम्बी है, दिल्ली को बम्बई से जयपुर और हैदराबाद होकर जोड़ती है।

(2) राजपथ संख्या 8 ए, जिसकी लम्बाई 236 मील है, अहमदाबाद को काण्डला से मोरवी होकर जोड़ती है।

(3) राजपथ संख्या 8 बी, जिसकी लम्बाई 129 मील है, बमानबोर को पोरबन्दर से राजकोट होकर जोड़ती है ।

गुजरात में पर्यटन केन्द्र

6566. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कौन-कौन से पर्यटन केन्द्र तथा दर्शनीय स्थान है;

(ख) गुजरात में उन स्थानों में भ्रमण के लिए क्या सुविधायें हैं; और

(ग) विदेशी पर्यटकों के लिए यदि कोई विशेष प्रबन्ध हैं, तो वे क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1180/67]** जिसमें उन पर्यटन केन्द्रों की सूची दी गई है, जहां दूसरी और तीसरी योजनाओं में सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, तथा जहां चौथी योजना में व्यवस्था करने का विचार है ।

(ग) इन स्थानों पर विदेशी पर्यटकों के लिए कोई विक्षेष व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि यहां पर दी गई सुविधाएं विदेशी तथा देशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए समान रूप से अभिप्रेत हैं ।

वनस्पति घी निर्माता

6567. श्री बाबूराव पटेल : खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में वनस्पति घी निर्माता कितने हैं, उनके द्वारा तैयार किये जा रहे भिन्न-भिन्न किस्मों के धी के नाम क्या हैं, और वे प्रति वर्ष कितना घी तैयार करते हैं;

(ख) इस निर्माण एककों के मालिकों तथा साझीदारों के नाम क्या हैं और प्रत्येक एकक में कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ग) भारत में वनस्पति घी की मीट्रिक टनों में कुल वार्षिक खपत कितनी होती है और 31 मार्च, 1967 को रुपयों में इसका मूल्य कितना था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें लगाई गई पूंजी के अतिरिक्त और सब जानकारी दी गई है, सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1181/67]** क्योंकि बहुत से कारखाने विभिन्न उद्योगों में लगे हुए हैं अतः उनके द्वारा वनस्पति घी में लगाई गई पूंजी का ब्यौरा अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) (1966–1967) में वनस्पति घी की खपत 3.63 लाख टन हुई । जिसकी कीमत 181.93 करोड़ रुपये थी ।

Places of Tourist Interest in Madhya Pradesh

6568. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of the Divisions of Madhya Pradesh where there are places of tourist attraction and which have residential and entertainment facilities and where information about India and Madhya Pradesh is available; and

(a) the schemes formulated to develop such places, particulary in Indore and Bhopal Divisions and make them more attractive to tourists ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Places of tourist interest are not developed on the abasis of Divisions, but on the basis of tourist attractions offered by them. Such places in Madhya Pradesh which have been included in the Fourth Plan on Tourism for providing tourist facilities are Khajuraho, Shivpuri, Gwalior, Sanchi, Mandu, Pachmarhi, Jabalpur and Kanha-Kisli National Park. Tourist Bungalows have been constructed by the Central Government Tourist Department at Khajuraho, Sanchi, and Mandu and the State Government runs Tourist information Bureaux at Gwalior, Indore and Bhopal. No entertainment facilities have been provided at any of these places.

(b) It is proposed to construct a Tourist Bungalow at Gwalior in the Central Sector, and provide accommodation facilities at Shivpuri and Kanha-Kisli National Park conjointly with the State Government during the current Plan period. In addition the area around the Khajuraho temples will be developed into a park and the existing Tourist Bunglows there will be expanded and improved.

Central Road Fund

6569. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the amount alloted to Madhya Pradesh from the Central Road Fund during 1966-67 and 1967-68;

(b) the manner in which this fund was utilised during 1966-67 and

(c) how this fund is proposed to be utilised during 1967-6 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) : A sum of Rs 33,13,700 was alloted to the Government of Madhya Pradesh during 1966-67. The provision in the budget for 1967-68 is Rs. 40.00 lakhs. This amount will be placed at the disposal of the State Government as soon as the budget is passed by the Parliament.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha, when received.

Supply of Pumping Sets to M. P.

6570. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any request has been received from the Madhya Pradesh Government for the supply of pumping sets to the State of Madhya Pradesh during 1967-68; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minisier of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No.

(b) Does not arise.

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैन्डर्ड बैटरियां

6571. श्री कामेश्वर सिंह :
श्री मधु लिमये :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सान्ताक्रूज में इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में काम करने वाले किसी मकैनिक ने इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अपने डकोटा और स्काई–मास्टर विमानो में प्रयोग में लाई जाने वाली स्टैन्डर्ड बैंटरियों में खराबी के बारे में 1961 में रिपोर्ट दी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य खराबी यह है कि इसमें प्रयुक्त रासायनिक तत्व खराब है;

(ग) पिछले 6 वर्षों में कितने मूल्य की बैटरियां खरीदी गई तथा प्रति वर्ष कितनी बैटरियां खरीदी गई;

(घ) क्या इन बैटरियों का स्वीकार करने से पहले उनकी जाँच की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(च) मकैनिक की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने बताया है कि उनके रिकार्ड में सिवाय 1966 में एक बम्बई के मकैनिक द्वारा की गयी एक सामान्य रिपोर्ट के कि भारतीय कम्पनी द्वारा बनायी गयी स्टैन्डर्ड बैटरियां, जिनका इस समय डेकोटा और स्काईमास्टर विमानों में प्रयोग किया जा रहा है, उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी कि आयात की गयी पहले की बैटरियां, और कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले छः वर्षों में कुल खर्च तथा खरीदी गयी बैटरियों की संख्या निम्न प्रकार से हैं:—

वर्ष	आर्डर दी गयी संख्या	कुल कीमत
1961	115	28,175.00
1962	150	35,400.00
1963	174	44,196.00
1964	220	60,170.00
1965	78	24,414.00
1966	124	43,160 00
योग :–	861	2,35,515.00

(घ) और (ङ) आई० ए० सी० के इन्सपैक्टर बैटरियों का निरीक्षण करते हैं और उन्हें तभी खरीदा जाता है यदि वे सन्तोषजनक पायी जाती हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

प्रचार तथा पर्यटन

6572. श्री बाबूराव पटेल :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में इस प्रचार के लिए कि 'भारत पर्यटकों के लिये स्वर्ग है', विज्ञापनों पर प्रत्येक देश में प्रतिवर्ष कितना धन व्यय किया जाता है;

(ख) ऐसा प्रचार किन देशों में किया जाता है और इस प्रयोजन के लिये कौन-कौन से साधनों का प्रयोग किया जाता है;

(ग) जो फर्में तथा अभिकरण यह प्रचार कराती हैं, उनके नाम क्या हैं और विभिन्न देशों में उनके ठेकों की शर्तें क्या हैं;

(घ) इस प्रचार के परिणामस्वरूप भारत में आने वाले पर्यटकों की संख्या देशवार कितनी है और इन देशों से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की आय होती है; और

(ङ) पिछले पांच वर्षों में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष-वार तथा देशवार कितनी है और पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विदेशों में 1967–68 के लिये विज्ञापन, सबंद्ध प्रचार–कार्य, तथा जन सम्पर्क कार्य के लिए 60.00 लाख रुपये का बजट है। इस व्यय का क्षेत्र अनुसार नियतन अनुबन्ध I में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1182/67]**

(ख) विदेशों में प्रचार–कार्य मुख्यतया प्रेस के माध्यम से किया जाता है। परन्तु रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रमों, फिल्मों, खिड़की–प्रदर्शनों, मेलों, प्रदर्शनियों, वर्कशाप–कार्यक्रमों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, भाषणों, विदेशों से आमन्त्रित यात्रा–लेखकों, फोटोग्राफरों, और यात्रा–अभिकर्ताओं, तथा संचार के अन्य उपयुक्त माध्यमों का भी उपयोग किया जाता है।

(ग) पर्यटन विभाग के विदेशों में स्थित पर्यटन कार्यालय स्थानीय विज्ञापन-कर्ता अभिकरणों (लोकल एड्वर्टाइजिंग एजेंसीज़) की व्यावसायिक सेवाओं का उपयोग करते हैं। फिलहाल हमारे विदेशी पर्यटन कार्यालयों के साथ सवंद्ध विज्ञापन–कर्ता अभिकरण निम्न-लिखित हैं:—

न्यूयार्क, शिकागो तथा सान्फ्रांसिस्को	प्रिचर्ड वुड इनकार्पोरेटेड
टोरेन्टो	मैकन–ऐरिक्सन ऑफ कैनेडा लिमिटेड
लन्दन	फ्रीमैन, मेथ्स एण्ड मिल्स लिमिटेड

पैरिस	एटेलीअर्स ए० बी० सी० पब्लिसाइट
फ्रैंक्फर्ट	ड्यूट्शे सी० पी० वी०
टोकियो	फैल्कन एडवर्टाइजिंग एण्ड पा० आर० इनकार्पोरेटेड
सिडनी	काउड्री, कैम्पबेल एण्ड एवॉल्ड

केवल लन्दक और न्यूयार्क में स्थित अभिकरणों (एजेंसियों) के साथ औपचारिक ठेके किये जा चुके हैं। इन दो अभिकरणों के साथ किए गए ठेकों की शर्तें अनुबन्ध ii और iii में दी गई हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 1182/67]** अन्य अभिकरणों के साथ किए जाने वाले ठेकों की शर्तों की जांच की जा रही है।

(घ) और (ङ) जो पर्यटक विशिष्ट रूप से इन अभिकरणों द्वारा किए गए प्रचार के परिणामस्वरूप भारत आते हैं, उनकी संख्या को सही सही आंकना सम्भव नहीं। परन्तु जो पर्यटक पिछले पांच वर्षों में भारत आए, उनकी राष्ट्रिकता-अनुसार संख्या अनुबन्ध iv में दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी 1182/67]** पिछले पांच वर्षों में पर्यटन से हुए विदेशी मुद्रा के उपार्जनों का अन्तिम रूप से लगाया गया अनुमान अनुबन्ध V में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1182/67]**

भारत में चीनी की मिलें

6573. श्री बाबूराव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-सरकारी और सहकारी क्षेत्रों में चीनी की कितनी मिलें हैं तथा वे कहां-कहां हैं;

(ख) इन मिलों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है;

(ग) सभी चीनी मिलों में प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है तथा उसका मूल्य कितना होता है;

(घ) देश में चीनी की वार्षिक खपत तथा प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ङ) प्रतिवर्ष कितनी तथा कितने मूल्य की चीनी का निर्यात किया जाता है और उसकी दर क्या होती है तथा कितनी राज सहायता दी जाती है;

(च) कौन-कौन से देश भारत से चीनी खरीदते हैं और इससे प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है;

(छ) 1966-67 में चीनी मिलों के लिये कितने नये लाइसेन्स दिये गये; और

(ज) ये लाइसेन्स किन राज्यों तथा किन नगरों के लिए दिये गए ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सभा पटल पर रखे गये विवरण में अपेक्षित जानकारी दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1183/67]**

(ख) क्योंकि कुछ चीनी की मिलें दूसरे उद्योगों में भी संयुक्त यूनिटों के रूप में काम कर रही हैं, अतः चीनी उद्योगों में लगी पूंजी का व्यौरा अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ग) 1966–67 के मौसम के दौरान, 7 जुलाई, 1967 तक कुल 21.16 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ जिसकी कीमत 220.8 करोड़ रुपये थी जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है।

(घ) देश में चीनी की वार्षिक खपत का व्यौरा हिसाब बन्द करने के पश्चात अक्टूबर, 1967 में पता लगेगा। 1965–66 में चीनी की वार्षिक खपत 2801 लाख टन और प्रति व्यक्ति खपत 5.7 किलोग्राम थी।

(ङ) और (च) 1966 के दौरान 4·41 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया जिससे 17.99 करोड़ मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। 20 करोड़ रुपये की राज सहायता दी गई। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, मलाया/सिंगापुर, हांगकांग, फ्रांस, ईरान, दक्षिण वियतनाम, ईराक, जम्बिया और लेबनान को चीनी का निर्यात किया गया।

(छ) और (ज) 1966–67 अर्थात् 1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1967 के बीच मांग-पत्र/नये लाइसेंस 6 नई चीनी मिलों को दिये गये। इस सम्बन्ध में जानकारी सभा पटल पर विवरण (2) में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1183/67]**

नवलखी पत्तन का विकास

6574. श्री श्रीराज मेघराजजी धरंगधरा : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवलखी पत्तन (कच्छ की खाड़ी की हंसताल निवेषका में) विकास से सम्बन्धित क्या-क्या योजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार (एक) सीधी सड़क तथा (दो) हलवड़ से होकर सीधे जाने वाली एक रेलवे लाइन बनाकर इस पत्तन से गुजरात तथा भारतीय अन्तर्देश को जाने वाले मार्ग जिसकी बहुत आवश्यकता है, निकालने का है ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) नवलखी पत्तन के विकास का कार्यकारी दायित्व राज्य सरकार का है। गुजरात सरकार ने यह बताया है कि चौथी पंचवर्षीन योजना के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाओं का सुझाव दिया गया है:—

		(रुपये लाखों में)
(1)	रेलवे साईडिंग के अतिरिक्त घाट	5.00
(2)	तीन बजरे	3.30
(3)	एक टग	7.20

(4)	नालियों और सड़क में सुधार	2.00
(5)	टिन शैड को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए मकानों में परिर्तित किया जाना	4.00
		21.40

(ख) (1) **हलवड़ से होकर सड़क सम्बन्ध**

राज्य सरकार, जिस पर पत्तन तक सड़क सम्बन्ध की व्यवस्था करने का दायित्व है, ने निम्नलिखित सूचना दी है:–

नवलखी और मोरवी के बीच एक राज पथ स्तर की सड़क (27 मील लम्बी) पहले ही है। मोरवी से हलवड़ जाने वाली सड़क में (जो 24 मील लम्बी है) सुधार किया जाना चाहिए। लगभग 10 मील के क्षेत्र में कार्य चल रहा है और बाकी 14 मील के क्षेत्र में 11 लाख की लागत से, केन्द्रीय सड़क निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत सुधार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

हलवड़, दरंगधरा और सुरेन्द्रनगर के बीच राज पथ स्तर की एस्फाल्ट सड़क से सम्बन्ध है।

(2) **हलवड़ से होकर रेल सम्बन्ध**

नवलखी तथा उसके भीतरी प्रदेशों में पहले ही मीटर गेज चलती है। हलवड़ का दरंगधरा, सुरेन्द्रनगर और वंकानर से होकर नवलखी से सम्पर्क स्थापित किया गया है। झुण्ड–कान्दला बड़ी गेज लाइन (जो 139 मील लम्बी है और जिस पर 14.56 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है) अब विचाराधीन है और उसके अक्टूबर, 1969 तक पूरा होने की सम्भावना है। इसके पूरा होने पर नवलखी और उसके भीतरी प्रदेशों की आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी क्योंकि इसके पूरा होने के परिणामस्वरूप हलवड़ का मलाया और धैनसारा से होकर नवलखी से सम्पर्क स्थापित हो जायेगा।

महाराष्ट्र के आरक्षित तथा सामान्य चुनाव क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या

6575. **श्री देवराव पाटिल** : क्या विधि मन्त्री इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ डिवीजन में आरक्षित तथा सामान्य दोनों में से प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के जिसका राज्य विधान मण्डलों तथा लोक सभा के स्थानों के लिए पिछले आम चुनावों में परिसीमन किया गया था, अनुसूचित आदिम जाति वाले क्षेत्रों के बाहर रहने वाली अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता क्या है?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बा० रा० चह्वाण) : अपेक्षित जानकारी निर्वाचन आयोग के या भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

Vasant Bandhare in Maharashtra

6576. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the amount sanctioned by the Central Government for Vasant Bandhare (dams) under the minor irrigation schemes in Maharashtra for the year 1967-63 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : The State Minor Irrigation Programme for 1967-68 has been considered by the Government of India. The Central Team led by the Programme Administration Adviser of the Planning Commission has recommended an outlay of Rs. 11.00 crores within the State Plan. Information about the scheme-wise details is not available.

2. According to the revised procedure for the release of Central financial assistance to the State Governments introduced from 1958-59, the sanction for the release of Central assistance in the form of loan and grant is issued under the Heads of Developments, such as "Agricultural Production", "Minor Irrigation", "Land Development" etc. The issue of scheme-wise sanction had been dispensed with. Besides, Central assistance is released to the State Governments including Maharashtra for Plan Schemes towards the close of the financial year on the basis of the expenditure figures received from them. As such, necessary Central assistance by way of loan and grant for the Minor Irrigation Schemes will be sanctioned to the Maharashara Government towards the close of 1967-68. In the meantime, Ways and Means Advances are sanctioned by the Government of India to the State Governments to meet expenditure of Plan Schemes.

Long-term Agricultural Loan to Maharashtra

6577. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the amount of long-term agricultural loan sanctioned during the current year for being paid to the farmers of Maharashtra through the Co-operative Land Development Banks ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupaaswamy) : During 1967-68 the Bombay Cooperative Land Mortage Bank has a supported debenture programme of Rs. 14 crores. Central Government assistance envisaged so far for this programme is of the order of Rs.2.33 crores to be provided as loan to the State Government for purchase of debentures.

Development of Horticulture in Maharashtra

6578. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) Whether the amount sanctioned to Maharashtra for the development of horticulture during 1966-67 was completely utilised; and

(b) the amount proposed to be provided to the said State for this work during 1967-68 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The information has not yet been received and will be placed on the Table of the Sabha.

(b) The Central financial assistance is not sanctioned or released for individual schemes but only for broad heads of development. As such it is not possible to give the

figures of Central assistance intended exclusively for development of horticulture in Maharashtra during 1967-68.

Co-operative Movement in Maharashtra

6579. **Shri D. S. Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any loan or assistance was provided by the Central Government to the Maharashtra Government during 1966-67 to strengthen co-operative movement in Maharashtra; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) Details are given in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library See, No. LT 1184/67]**

विमान दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले व्यक्तियों के लिये प्रतिकर

6580. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन संगठन द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ तालिका के भारतीय प्रतिनिधि श्री बी० एस० गिडवानी की अध्यक्षता में हाल में मांट्रियल में हुई बैठक में विमान दुर्घटनाओं में यात्रियों की मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति के मामले में देय प्रतिकर की सीमा के प्रश्न पर विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस अधिवेशन में क्या निर्णय किये गये तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेषज्ञों के पैनेल की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

अपीजे शिपिंग लाइन्स

6581. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री अपीजे शिपिंग कम्पनी के बारे में 4 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 930 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1960 से मई 1967 तक की अवधि में सरकार ने अपीजे शिपिंग लाईन्स द्वारा किये गये माल के भाड़े के रूप में सरकारी खाते से कितनी धनराशि दी थी ; और

(ख) बर्मा से आयात किये गये चावल तथा सप्लाई मिशन द्वारा भेजे माल का कितना माल भाड़ा दिया गया ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Import of Agricultural Implements

6582. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tractors and other agricultural implements imported in 1966 to increase the agricultural production ;

(b) the amount paid as cost thereof ; and

(c) the break-up of their distribution, State-wise, in the country ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : 1498 Nos. of agricultural tractors were imported from U. S.S. R. during 1966 involving Rs. 70 lakhs (approx.) 31, 743 Nos. of tractor-drawn implements of different types of the value of Rs. 83.62 lakhs were also imported during this period.

(c) Imported tractors and implements are not allocated State-wise.

उड़ीसा में बीज फार्म

6583. **श्री रा० रा० सिंह देव : श्री म० मांझी :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव : श्री दे० अमात :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में सरकार का बीज फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ये फार्म कहां कहां पर स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) प्रत्येक फार्म कुल कितने एकड़ भूमि का होगा ; और

(घ) इन फर्मों से प्रतिवर्ष कितना बीज प्राप्त होने का सरकारी अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) से (घ) उड़ीसा में हीराकुड जलाशय के तटाग्र तथा उपान्त क्षेत्रों में हाल ही में एक सैंट्रल स्टेट सीड फार्म स्थापित किया गया है। यह लगभग 10,000 एकड़ भूमि में फैल जाएगा। उड़ीसा में चौथी योजना के दौरान कोई और ऐसी केन्द्रीय फार्म बनाने का प्रस्ताव नहीं है। जब यह फार्म 10,000 एकड़ क्षेत्र में पूरी तरह से विकसित हो जायगा तो अनुमान है कि इस में अन्य खाद्य फसलों आदि के अलावा लगभग 20,500 क्विंटल बीज प्रति वर्ष उत्पन्न होगा।

राष्ट्रीय राजपथ

6584. **श्री रा० रा० सिंह देव : श्री दे० अमात :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव : श्री म० मांझी :

क्या **परिवहन** तथा **नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किये गये राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण-कार्य बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस राजपथ को पूरा करने पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान था ; और

(घ) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क) कार्य नहीं रुका है, परन्तु धन की कमी के कारण प्रगति में कमी हो गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस कार्य पर लगभग 18.31 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(घ) 31 मार्च, 1967 तक इसपर 6,112 करोड़ रुपये व्यय हो चुके थे।

कटक तथा पारादीप पत्तन के बीच रेलवे लाइन

6585. श्री जेना :
श्री दे० अमात :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन का निर्माण-कार्य अभी अधूरा ही हैं परन्तु रेलवे लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पारादीप पत्तन का निर्माण–कार्य काफी समय पहले पूरा हो चुका है लेकिन वहां रेल सम्पर्क की व्यवस्था नहीं है ;

(ग) ऐसे दोषपूर्ण आयोजन के क्या कारण हैं

(घ) क्या सरकार का विचार कटक और पारादीप पत्तन के बीच इस रेल सम्पर्क को चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित करने का है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस रेल सम्पर्क को शीघ्र स्थापित करने के लिये इस का निर्माण किसी और स्थान से आरम्भ करने का है ; और

(च) यदि उपरोक्त भाग (घ) तथा (ङ) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस के क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) (क) से (च) यह सच नहीं है कि कांदला और पारादीप पत्तन के बीच रेल सम्बन्ध की योजना त्रुटिपूर्ण है। 1955 और 1957 के बीच पत्तन के बनने से पूर्व कांदला के मामले में अत्यावश्यक मीटर गेज रेल सम्पर्क 1952 तक पूरा हो गया था। पत्तन पर बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते

हुए, बड़ी लाइन का सम्पर्क स्थापित करने के लिये कार्य आरम्भ कर दिया गया है और आशा है यह कार्य 1969 के अन्ततक पूरा हो जायेगा।

पारादीप पत्तन का विकास मुख्यता इस पत्तन को सड़क द्वारा भेजे गये लोह अयस्क के निर्यात करने के उद्देश्य से किया गया था। पारादीप पत्तन का विकास इसी संदर्भ में किया किया गया था। यह समझा गया था कि इस पत्तन के लिये रेल सम्पर्क की व्यवस्था पर जब ही विचार किया जायेगा जब इस पत्तन से जाने वाले लोह अयस्क की मात्रा में पहले के मुकाबले में वृद्धि हो जायेगी। फिर भी, रेलवे मंत्रालय कटक या पूर्वी समुद्र तट लाइन के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने के लिये सर्वेक्षण कर रहा है। चौथी योजना के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में व्यवस्था करने के विषय पर सर्वेक्षण पूरा होने के ही पश्चात निर्णय लिया जा सकता है।

भारत में बेकार पड़े ट्रैक्टर

6586. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का कोई सर्वेक्षण किया है कि पुर्जों के न मिलने के कारण देश में कुल कितने ट्रैक्टर बेकार पड़े हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार उनके आंकड़े क्या है ;

(ग) कृषिकों को आवश्यक पुर्जे उपलब्ध करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ध) भारत को ट्रैक्टरों की सप्लाई करने वाले देशों से सरकार किन शर्तों पर पुर्जे खरीदती है ; और

(ङ) देश में राज्य वार कुल कितने ट्रैक्टरों का उपयोग अलग अलग कृषि *तथा गैर* कृषि प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) फालतू पुर्जे ट्रैक्टरों का आयात करने वाली प्राईवेट फर्मों द्वारा सप्लाई होने चाहियें। कठिनाई आयातित ट्रैक्टरों के पुर्जों के विषय में है। परन्तु अब पुर्जों के आयात की नीति को उदार बना दिया गया है ताकि फालतू पुर्जे उपलब्ध हो सकें। वर्तमान नीति निम्न प्रकार है:—

1 पक्के आयात कर्त्ताओं को कोटा लाइसेंस दिए जाते हैं जिनके लिए अत्याधिक आयात के वर्ष में 40 प्रतिशत सीमा रखी गई है।

2 यूएस ऐड नान-प्राजेक्ट लोन के अन्तर्गत अमरीका से फालतू पुर्जे मंगाने के लिए लाइसेंसे देने के विषय में उदार नीति बरती जा रही है।

3 ट्रैक्टर के स्वामियों को 'एक्चुअल यूज़र्स' के लाइसेंस देने की व्यवस्था मौजूद है।

4 1966–67 में ट्रैक्टर विक्रेताओं को 15 लाख रुपये की रकम के तदर्थ लाइसेंस दिए गए थे। 1967–68 में भी ट्रैक्टर विक्रेताओं को तदर्थ लाइसेंस देने का प्रस्ताव है।

जहां तक पूर्वी यूरोपियन देशों से आयात हुए ट्रैक्टरों का संबंध है, ट्रैक्टरों की खरीद के साथ ही उनके मूल्य के 15 प्रतिशत भाग के लिए फालतू पुर्जे आयात किये जाते हैं। पुर्जों के आयात के लिए अलग लाइसेंस भी दिये जाते हैं।

(ङ) 1966 के सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक राज्य में कृषि ट्रैक्टरों की संख्या के बारे में जानकारी का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1185/67**] गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग होने वाले ट्रैक्टरों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

गोदामों में अनाज जमा करना

6587. श्री गा० शं० मिश्र : क्या खाद तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गोदामों में अनाज जमा करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) केन्द्रीय गोदामों की देखरेख पर प्रति वर्ष कुल कितना धन व्यय किया जाता है ;

(ग) इन गोदामों की भाण्डागार क्षमता कुल कितनी है ;

(घ) 1964–65, 1965–66 और 1966 67 में इन गोदामों में कितना खाद्यान्न खराब हो गया अथवा चूहे खा गये ; और

(ङ) खाद्यान्न को खराब होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे (क) केन्द्रीय गोदामों में अनाज जमा करने के लिये की गई व्यवस्था का ब्यौरा इस प्रकार है: —

(1) बरसात के पानी के चूने का अकसर निरीक्षण किया जाना और नाली के अधिक भर जाने और इसका पता लगने पर इसकी मरम्मत किया जाना।

(2) अनाज के प्राप्त होने पर उसकी जानवरों इत्यादि से रक्षा करना।

(3) अनाज की बोरियों के नीचे संरक्ष कोष्ठों के लगाये जाने की व्यवस्था की जाना।

(4) जमा किये गये अनाज का नियमित अवधि में निरीक्षण किया जाना।

(5) अनाज में खराबी के अनुसार उसका रोग निरोधक दवाई छिड़क कर या धूनी देकर उपचार किया जाना ।

(6) पक्षियों को डराने की व्यवस्था किया जाना ।

(7) आग बुझाने की व्यवस्था किया जाना ।

(8) चोरियों को रोकने के लिये पर्याप्त वाच एण्ड वांड कर्मचारियों की व्यवस्था किया जाना ।

(ख) 1966–67 के दौरान 162.47 लाख रुपये व्यय हुए (अस्थायी)

(ग) 1 जुलाई, 1967 तक इन गोदामों में जमा करने की क्षमता 15,83,200 टन थी ।

(घ) सरकार द्वारा बनाये गये गोदाम चूहों से रक्षित हैं । किराये पर लिये गये कुछ गोदामों में ही चूहों से हानि पहुंचने की शंका है । गोदाम में वजन की कमी अनाज के सूख जाने, कीटाणुओं, चूहों और पक्षियों द्वारा हानि पहुंचने के कारण होती है । इनके द्वारा अलग 2 की गई हानि का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है पिछले तीन वर्षों में सब केन्द्रीय गोदामों में हुई कुल हानि का औसतन ब्यौरा इस प्रकार है ।

वर्ष	एकत्रित की गई मात्रा में औसतन हानि
1964–65	0.26
1965–66	0.13
1966–67 (अस्थायी)	0.11

(ङ) बनाये गये गोदाम चूहों से रक्षित हैं अतः चूहों से रक्षा करने के लिये कोई कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है । किराये पर लिये गये गोदामों में चूहे पकड़ने और धूनी देकर चूहों द्वारा किये गये नुकसान से बचाने के लिये तकनीकी कर्मचारी कार्य करते हैं ।

Seeds For Kharif and Rabi Crops

6588. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quality of improved seeds stored by Government for the Kharif and Rabi crops for the year 1967-68, crop wise ;

(b) the manner in which these seeds will be distributed, state-wise ; and

(c) the rate at which Government purchased these seeds and the rate at which they would be sold to the farmers ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Central Government is not keeping any stores of improved seeds at present. However, a proposal for maintenance of buffer stocks of seeds of various crops for meeting unforseen demands from States is under consideration.

(b) and (c) : Do not arise.

केरल में नौका निर्माण कारखाना

6589. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री रमानी :**
श्री प० गोपालन : **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र लिखा है जिसमें भारत रूस करार के अन्तर्गत केरल में इस्पाती नौकानिर्माण कारखाना स्थापित करने के प्रश्न को प्राथमिकता देने के आधार पर विचार करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) भारत–रूस करार के अन्तर्गत केरल में उपयुक्त स्थान पर इस्पाती फिशिंग वैसल्ज निर्माण के लिए कारखाना बनाने हेतु केरल सरकार से एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी ।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1966 में किए गए इन्डो–सोवियत केडिट एग्रीमैन्ट के अन्तर्गत जो कार्य हुए उनमें गहरे समुद्र से मछली पकड़ने का उद्योग भी एक है । करार सामान्य रूप में है और मछलियों के विकास सम्बन्धी विशेष परियोजनाओं से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । मछलियों के क्षेत्र में करार को लागू करने के लिये नियम तथा अधिनियमों को अलग से निश्चित करना होगा । इस करार के अन्तर्गत फिशिंग वैसलज के लिए नौका निर्माण कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर इस समय विचार नहीं हो रहा है । अतएव इस समय कारखाना के स्थापना के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता ।

Supply of Seeds and Fertilizers to Punjab at Cheap Rates.

6591. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Punjab has urged upon the Central Government to supply seeds and fertilizers at cheaper rates, failing which the State Government would stop the supply of foodgrains to them at the existing prices;

(b) whether he has also demanded that a tractor plant be set up there ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agricultnre, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Chief Minister of the Punjab had recently mentioned that they would appreciate supplies of improved seeds and fertilisers consonant with their effort for higher food production. He also mentioned that the farmers of Punjab were feeling that, after the rise in prices of fertilisers, the price they are getting for their foodgrains is not attractive enough. There was no suggestion of stopping supplies of foodgrains to the other States.

(b) Yes.

(c) Punjab has a system of purchases in the regulated markets for supplies to the Central Pool of Foodgrains. Performance of Punjab in this matter has been very satisfactory. In spite of the present prices of seeds and fertilisers, the demand for both from the Punjab has been more than what could be supplied. Though it is true that the farmer would appreciate higher prices, it will not be correct to say that the present economics of agriculture in foodgrains in Punjab is not attractive enough. Licencing has already been completed for the projected requirements of 4-wheel tractors during the Fourth Plan period. If this target is raised. the request of Punjab could be considered along with other claims that may exist at that time.

Payment of Arrears to Sugarcane Growers

6592. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of sugar mills in U. P. which have not paid arrears to the sugarcane growers so far ; and

(b) the action proposed to be taken to make the payment forthwith ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A statement showing the names of the factories against whomthere are arrears of sugarcane price is Laid on the Table of the House [Placed in Library See No. LT-1186/97]

(b) The Government of Uttar Pradesh has been asked to take stringent measures against the defaulting factories especially in cases where the amounts are large. There is a provision in the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purcaase) Act, 1953, whereunder the State Government can take action to recover arrears of cane price as arrears of land revenue.

फ्लाइंग क्लब

6593. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री दे० प्रमात :
श्री धीरेन्द्रनाथ बेव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन-किन फ्लाइंग क्लबों को केन्द्रीय राज सहायता प्राप्त होती है ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक क्लब में कितने प्रशिक्षणार्थी हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) 30 जून, 1967 को केन्द्रीय सरकार की उड़ान उपदान योजना में सम्मिलित फ्लाइंग क्लबों के नामों तथा इन क्लबों में से प्रत्येक में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1187/67]

नई विमान सेवायें

6594. श्री रा० रा० सिंह देव : श्री देवव्रत बरुआ :
श्री दे० प्रभात : श्री य० प्र० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्रनाथ :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई विमान सेवायें आरम्भ करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो नई विमान सेवायें किन-किन स्थानों को मिलायेंगी ;

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या सरकार को दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच एक सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि दिल्ली और विशाखापट्टनम अथवा मद्रास के बीच एक सीधी विमान सेवा, जो रास्ते में आगरा, रूरकेला और भुवनेश्वर रुके, आरम्भ की जाये तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है कि भविष्य में पर्यटक यातायात इससे कितना बढ़ जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) विमानों की कमी को दृष्टि में रखते हुए आई० ए० सी० का फिलहाल कोई नयी विमान सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) और (ङ) दिल्ली-भुवनेश्वर के बीच और उससे आगे के लिए एक सीधी विमान सेवा आरंभ करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थ

6595. श्री जेना : श्री देवव्रत बरुआ :
श्री दे० प्रभात : श्री य० प्र० प्रसाद :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थ की मात्रा में कोई कमी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी बचत की गई है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों के दौरान दिये जाने वाले खानों के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परन्तु फॉकर फ्रेंडशिप तथा डकोटा विमानों में खानों के स्वरूप में परिवर्तन कर दिया गया है। यह परिवर्तन इन विमानों में खाने को गरम करने के उपकरण न होने के कारण किया गया है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6

6596. **श्री धीरेन्द्रनाथ :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 के उपमार्ग के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ताकि तेल्कनी और क्योंझगढ़ के बीच दुर्गम घाटी से होकर न जाना पड़े ;

(ख) क्या यह सड़क नियत समय में पूरी हो जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में प्रयोगात्मक नलकूप

6597. **डा० कर्ण सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन वर्षों में राजस्थान में जिले-वार कुल कितने प्रयोगात्मक नलकूप खोदे गये ;

(ख) उन में से कितने प्रतिशत नलकूप सन्तोषजनक पाये गये ; और

(ग) वर्ष 1967-68 में राजस्थान में राज्य-वार कितने प्रयोगात्मक नलकूप खोदने का विचार है ?

खाद्य. कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय के अधीन समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा गत तीन वर्षों (1964-65, 1965-66 तथा 1966-67) के दौरान राजस्थान में भूगत जल की कोई खोज नहीं की गई है। राज्य सरकार की प्रार्थना पर संगठन 1964-65 से राजस्थान के अभावग्रस्त क्षेत्र जैसलमेर, बारमेर, बीकानेर, जोधपुर, चुरू, नागौर तथा जैलोर के जिलों में 200 नलकूपों के निर्माण

में राज्य सरकार की सहायता कर रहा है। अप्रैल, 1967 के अन्त तक जिलेवार खोदे गए नलकूपों की संख्या निम्नलिखित है:—

जिला	खोदे गये नलकूपों की कुल संख्या	संतोषजनक पाये गये
1. जैसलमेर	47	32
2. बाड़मेर	33	13
3. बीकानेर	58	45
4. जोधपुर	13	4
5. जैलोर	37	28
6, नागौर	35	21
7. चुरू	35	19
कुल:—	258	162

सफलता लगभग 63 प्रतिशत है।

(ग) 1967–68 के दौरान समन्वेषी नलकूप संगठन ने पूर्वी राजस्थान के अलवर, झुन-झुनू, सिकर, टोन्क तथा जयपुर जिलों की घाटियों में 8 समन्वेषी बोर खोदने का प्रस्ताव रखा है किन्तु स्थानों का चुनाव अभी करना है।

1967–68 के दौरान संगठन ने 200 नलकूपों में से 29 नलकूप खोदने का भी प्रस्ताव किया है। जिलेवार कार्यक्रम निम्न प्रकार है :—

1. जैलोर	12
2. बीकानेर	7
3. जैसलमेर	1
4. चुरू	4
5. नागौर	4
कुल:–	28 + 1 अभी तक स्थान का चुनाव नहीं किया गया है।

हरयाना में प्रयोगात्मक नलकूप

6598. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1967 के अन्त तक हरयाना में कितने प्रयोगात्मक नलकूप खोदे गये ; और

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) और (ख) भूतपूर्व पंजाब राज्य में भूमिगत जल का समन्वेषण करते समय समन्वेषी नलकूप संस्था ने उन क्षेत्रों में 50 समन्वेषी छिद्रण किये थे जो अब हरियाना राज्य

में चले गये हैं। इनमें से केवल 11 छिद्रणों में से पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सका है।

बम्बई--कलकत्ता जेट विमान सेवा

6599. श्री यशपाल सिंह : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और कलकत्ता के बीच जेट विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां तो कब तक ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) (क) और (ख) बम्बई और कलकत्ता, बोइंग जेट विमानों से चलाई जाने वाली विमान सेवाओं द्वारा पहले से जुड़े हुए हैं।

Insects In D. M. S Milk Bottle

6600. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that apart from black and grey particles, insects were also found in a sealed milk bottle of the Delhi Milk Scheme according to microscopic examination by a Doctor of Pusa Road, as reported to in the 'Hindustan' of the 26th April, 1967 ;

(b) if so, whether Government had ordered an enquiry ;

(c) if so, the result of the enquiry ; and

(d) aetion taken thereon ?

The Minister of State In the Ministry of Food, Agriculture, Commuinity Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : It has not been possible to obatin particulars regarding the complaint referred to from any source.

(b) to (d) Do not arise.

Quantum of Ration in Delhi

6601. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the quantum of ration in Delhi is insufficient to meet the demands of the people ; and

(b) whether there is any proposal under consideration to increase the individual quota of ration ?

The Minister of State in the Ministry of Food Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No Sir. The quantum cannot be considered as insufficient although there is a demand in some quarters that it should be increased.

(b) No increase is contemplated at present.

Bogus Votes Cast during Fourth General Elections

6602. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) the number of bogus votes cast during the Fourth General Elections and the action taken by Government against the persons concerned ;

(b) whether Government are considering any scheme to take more stringent measures in future in the matter ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan): (a) It is not possible to give the number of bogus votes cast during the last country wide general elections or even to give an approximate idea of that number. Information regarding the number of tendered votes and number of cases in which the identity of voters was successfully challenged during the elections, which have a bearing on this question is being collected.

(b) and (c) The Prov sions contained in section 61 of the Representation of the People Act, 1951, and rules 35,36 and 37 of the Conduct of Elections Rules, 1961, together with the provisions of Section 171F of the Indian Penal Code are considered adequate to curb the evil of impersonation.

Sugar Quota of Foreign Missions in Delhi

6603. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foreign Missions in Delhi have appealed to the Central Government not to reduce their sugar quotas ;

(b) if so, the action taken by Government thereon ;

(c) the percentage of reduction proposed in the case of above quotas ; and

(d) the difference between the above quota and quota of an ordinary citizen ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community, Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c) No Foreign Mission in Delhi has approached the Central Government against reduction in the sugar quota of the members of their Missions. Two of the Foreign Missions, however, have approached the Delhi Administration for restoration of the quota of their establishments. The quotas of establishments in Foreign Missions having a weekly quota of up to one bag and more than one bag were originally reduced to $37\frac{1}{2}$% and 50% respectively. The fromer have since been increased to 75%.

(d) There is no difference between the quotas of a member of a Foreign Mission and of an ordinary citizen.

दिल्ली दुग्ध योजना

6604. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है ।

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां । दिल्ली दुग्ध योजना के प्रशासन को सौंपने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक ऐसा हो सकेगा ।

दोहरी घाट (उत्तर प्रदेश) में घागरा नदी पर पुल

6605. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दोहरीघाट (उत्तर प्रदेश) में घाघरा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ग) यह कार्य कब पूर्ण हो जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अब तक 20 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है ।

(ख) जून, 1967 के अन्त तक इस कार्य पर 26.35 लाख रुपया खर्च हो चुका था ।

(ग) इस कार्य की मार्च, 1970 तक पूरा होने की सम्भावना है ।

Assistance for Development of Animal Husbandry in U. P.

6606. **Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount paid to the Government of Uttar Pradesh by the Central Government during 1966-67 for carrying out the programmes for (i) animal husbandry, (ii) dairy industry, and (iii) pisciculture in the state ; and

(b) the amounti ncurred on schemes in Uttar Pradesh during the above period ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) Information about the anticipated expenditure is furnished by the State Government in respect of each Head of Development and sanctions are also issued according to Heads of Development Animal Husbandry and Dairying and Milk Supply Programmes fall under one Head of Development and, therefore, separate figures are not available. As Central financial assistance is sanctioned on the basis of the departmental figures of actual expenditure in the first three quartes and anticipated expenditure in the 4th quarter, the final amount actually spent will be available only at the time of final adjustment of Central assistance on receipt of audited figures. Information available at present viz. Central assistance sanctioned during the year 1966-67 and the anticipated expenditure in 1966-67 are given below :—

	Animal Husbandry Dairying & Milk Supply	(Rs. in lakhs) Fisheries
1. Central assistance sanctioned	105.09	4.29
2. Anticipated expenditure (Including States' as reported by the State Govt.	203.04	24.93

विदेशों से खाद्यान्नों का आयात

6607. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966–67 में चावल और गेहूं का कुल कितना आयात किया गया ;

(ख) किन किन देशों से इन खाद्यानों का आयात किया गया ; और

(ग) उन पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा पटल पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा देखिये संख्या एल० टी० 1988/67]

(ग) 130.41 करोड़ रुपये की ।

अमरीका में एयर इंडिया द्वारा कागज की साड़ियों की बिक्री

6608. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया अमरीका में बनी कागज की साड़ियां अमरीकी ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेच रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एयर इंडिया के ऐसा करने से भारतीय साड़ियों की बिक्री पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि भारतीय साड़ियां अमरीकी महिलाओं में बहुत लोक प्रिय हैं ; और

(ग) यदि हां, तो एयर इंडिया को कागज की साड़ियां बेचने की जिसका अमरीका में भारतीय साड़ी के विक्रय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) एयर इंडिया ने यू० एस० ए० में अपने ग्राहकों को प्रचार कार्यक्रम के अन्तर्गत कागज की साड़ियां एक नवीनता रूप में बेची। बिक्री नकद रूप में नहीं की गयी, अपितु कूपनों द्वारा। कीमत 4.95 डालर थी। एयर इंडिया वाले साड़ियां व्यवसाय की दृष्टि से अथवा आम जनता को नहीं बेच रहे थे। कागज की साड़ियां बेचने का उद्देश्य 'भारत यात्रा' को प्रोत्साहित करना था।

मध्य प्रदेश के आदिम जातीय क्षेत्रों में सहायता कार्य

6609. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओंकार सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिम जाति सलाहकार परिषद् ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में आदिम जातीय खण्डों के कमी वाले क्षेत्रों में सहायता कार्यक्रम बहुत कम हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने पर्याप्त सहायता कार्य करने के लिये मध्य प्रदेश को कितनी सहायता दी है ?

खाद्य, कृषि. सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी, हां। उन्होंने यह शिकायत अप्रैल, 1967 में की थी, परन्तु इसके बाद बड़े पैमाने पर सहायता के लिये कदम उठाये गये हैं।

(ख) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के सूखा पीड़ित लोगों के लिये निम्न-लिखित सहायता दी है :—

(1) 1966-67 और 67-68 के दौरान राज्य सरकार को सहायता कार्य करने और उपक्रम. जैसे उर्वरक इत्यादि खरीदने के लिये 300.14 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

(2) राज्य सरकार को सहायता के लिये 4500 टन गेहूं वितरण के लिये मुफ्त अलाट की गई है।

(3) इस वर्ष 300 टन दुग्ध चूर्ण भी बच्चों तथा गर्भवती स्त्रियों में मुफ्त वितरित करने के लिए अलाट किया गया हैं। 11 टन सूखी किशमिश भी मुफ्त बांटने के लिये की गई है।

(4) राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने स्टाक में से 2,000 टन माइलो इस शर्त पर प्रयोग में ले आये कि विदेशों से प्राप्त होने पर उन्हें इसी मात्रा में मेंज दान के रूप में दे दिया जायेगा।

(5) विभिन्न स्वेच्छिक संस्थाओं ने मुफ्त रसोई बनानी आरम्भ की है और इसके लिये, खाद्य और कृषि मंत्रालय द्वारा प्रधान मन्त्री सूखा सहायता निधि के के लिए स्टाक में से 125 टन गेहूं दी गई है।

(6) मध्य प्रदेश सरकार को सहायता कार्य के लिये पिछले वर्ष 6 वाहन मुफ्त दिये गये थे। इस वर्ष भी एक और ट्रक दिया गया है।

मलयेशिया के साथ विमान सेवाओं सम्बन्धी करार

6610. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृज सिंह कोटा :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सच है कि भारत और मलयेशिया के बीच विमान सेवाएं चलाने के लिये दोनों देशों के बीच हाल में विमान सेवाओं सम्बन्धी करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। भारत सरकार तथा मलेशिया की सरकार के बीच 9 जून, 1967 को नई दिल्ली में एक विमान सेवा करार पर हस्ताक्षर किये गये।

(ख) करार में एयर इंडिया द्वारा कौला लम्पुर को और उससे होकर तथा मलेशिया सिंगापुर एअरलाइंस द्वारा मद्रास को विमान सेवाओं के परिचालन की व्यवस्था की गयी है।

राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों की संख्या

6611. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या **विधि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 1967 तथा 31 मई, 1967 को राज्य विधान मण्डलों में सदस्यों की कुल संख्या राज्यवार कितनी थी ?

विधि मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 से संलग्न द्वितीय और तृतीय अनुसूचियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ 2 में हर एक राज्य के सामने उपदर्शित विशिष्टयां 31-1-1967 को विधान सभाओं की कुल सदस्यता उपदर्शित करती हैं ; उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में दिए गए तत्संगामी आंकड़े उन राज्यों की बाबत 31-5-1967 को हर एक विधान सभा की कुल सदस्यता उपदर्शित करते हैं। जहां तक तृतीय अनुसूची में हर एक राज्य के सामने ब्यौरेवार दिए गए विधान परिषद् के स्थानों का सम्बन्ध है, इसके सिवाय कि

मध्य प्रदेश राज्य विधान परिषद अभी गठित नहीं की गई है, स्थानों की संख्या वही बनी हुई है। विभिन्न राज्य विधान सभाओं और राज्य विधान परिषदों में 31-1-1967 और 31-5-1967 को रिक्त स्थानों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1189/67]** किन्तु, हर एक ऐसे सदन के नामनिर्दिष्ट सदस्यों द्वारा पदत्याग के परिणामस्वरूप या अन्यथा हुई रिक्तियों की, यदि कोई हों, संख्या इस विवरण के अन्तर्गत नहीं आती है, क्योंकि न तो निर्वाचन आयोग और न यह मन्त्रालय ही ऐसे सदस्यों के नाम निर्देशन से सम्पृक्त है।

Allowance to Delhi Teachers Entrusted with work connected with Rationing

6612. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of Delhi teachers were entrusted with the work of survey and preparation of ration cards inorder to introduee rationing in Delhi;

(b) whether they were paid any allowance therefor ;

(c) if so, when and the amount paid thereof ; and

(d) if not, the, reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Payment has not yet been made since requisite information has not been submitted to the Delhi Administration by the Municipal Corporation, Delhi and the New Delhi Municipal Committee.

ट्रैक्टरों का आयात

6613. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एग्रीकल्चर मशीनरी डीलर्स मैनुफैक्चरर्स एसोसियेशन के प्रधान के इस कथन की जांच कराई है कि आयातित ट्रैक्टरों की मांग के सम्बन्ध में सरकार का अनुमान अयथार्थ है क्योंकि ट्रैक्टर निर्माताओं के पास 1500 से अधिक ट्रैक्टर बिना बिके पड़े हैं; और यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ख) क्या अमरीका की फोर्ड मोटर कम्पनी ने भारत को रुपये में भुगतान के आधार पर 75000 ट्रैक्टर बेचने की पेशकश की हैं और क्या सरकार ने इस पेशकश को अस्वीकार करने का निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिंदे) : (क) जी हां। नवम्बर 1966 से फरवरी 1967 तक की अवधि में विनिर्माताओं के पास कुछ स्टाक इकट्ठे हो गये थे परन्तु मूल्य वृद्धि की प्रत्यशा में यह स्टाक

जानबूझ कर रोका गया था। अनिवार्य पण्य अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण के पश्चात् स्थिति में सुधार होना शुरु हो गया और उत्पादन, विक्रय तथा बाकी के आंकड़ों से प्रतीत होता है कि ऐसी कोई समस्या बाकी नहीं हैं। टेक्टरों की मांग बहुत हैं और कुछ लोकप्रिय किस्मों के ट्रैक्टरों के लिए कृषकों को काफी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

खेतों की उपज बढ़ाने के लिए जर्मनी से सहायता

6614 श्री देवकीनंदन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :

क्या खाद्य, तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है जर्मन कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत को हाल में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सहायता किस रूप में दी जायगी और उसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या यह हमारी खाद्य समस्या के अल्पकालीन हल के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिंदे) (क) जी, नहीं। जर्मन लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य के व्यापार प्रतिनिधि ने कृषि तथा उससे सम्बन्धित विकास के कार्यों में तकनीकी सहायता की सम्भाव्यता के बारे में कुछ पूछताछ की थी। फिर भी वाणिज्य मन्त्रालय ने जो व्यापार प्रतिनिधि के प्रस्तावों से सम्बन्धित है इस मामले में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य पदार्थों को लाने ले जाने पर प्रतिबंध

6615. श्री क० लक्कप्पा :
श्री हुचे गौडा :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1964 से अब तक खाद्य पदार्थों को लाने-ले-जाने पर नियंत्रण अथवा प्रतिबन्ध लगा रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) कुछ खाद्य पदार्थों जैसे, धान, चावल गेहूं, घटिया किस्म का अनाज इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर या तो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। यद्यपि खाद्य पदार्थों पर लगे इन प्रतिबन्धों में क्षेत्र 2 के अनुसार भिन्नता है, तथापि वे निम्नलिखित बातों से सम्बन्धित हैं :—

(1) खाद्य-पदार्थों के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर जोनल प्रतिबन्ध :

(क) चावल और धान के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य एकल राज्य जोन हैं।

(ख) गेहूं के सम्बन्ध में भी दक्षिणी जोन जिसमें आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल शामिल है, के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य एकल राज्य है। आसाम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और नागालैंड राज्य गेहूं की जोनल प्रणाली के बाहर हैं, यद्यपि उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों ने उन राज्यों से इसको बाहर ले जाने पर रोक लगा रखी है। गेहूं के जोनल प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में संघीय क्षेत्र सामान्यता साथ लगे राज्यों से बंधे हैं।

(ग) निर्वात पान तरीके से उत्पादित चीनी के भी एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर रोक लगी है।

(2) राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाद्य पदार्थों के एक जिले से दूसरे जिले या एक तालुक से दूसरे तालुक इत्यादि पर ले जाने पर रोक लगी है

(3) राज्य में निर्दिष्ट सीमा क्षेत्र के भीतर खाद्य पदार्थों के लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध है।

(4) निर्दिष्ट समय के दौरान खाद्य पदार्थों के सीमा क्षेत्र में ले जाने पर प्रतिबन्ध है।

National Highways in Madhya Pradesh

6616. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the total mileage on National Highways in Madhya Pradesh as on the 30th April, 1967 ; and

(b) the names of these highways ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) The total length of National Highways in Madhya Pradesh as on the 30th April, 1967, was 1669 miles,

(b) A statement giving the required information is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. LT. 1190/67]**

(4) निर्दिष्ट समय के दौरान खाद्य पदार्थों के सीमा क्षेत्र में जाने पर प्रतिबन्ध है।

मद्रास में आत्म सम्मान विवाहों को वैध बनाना

6617. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास की सरकार ने "ग्रोयम मारजाथई" प्रथा के अन्तर्गत किये गये सभी "आत्म सम्मान विवाहों" को पूर्वव्यापित प्रभाव से कानूनी मान्यता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत न हुए विवाहों के बारे में इस कानून की वैधता क्या होगी ?

विधि मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां, कुछ अपवादों के अध्यधीन ।

(ख) प्रश्न का आशय स्पष्ट नहीं है । तथापि मद्रास सरकार की इस प्रस्थापन की विवक्षाओं और परिणामों की पड़ताल की जा रही है ।

ट्रैक्टरों का आयात

6618. श्री आतम दास : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों से 2000 ट्रैक्टर आयात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से ये ट्रैक्टर मंगाये जा रहे हैं ;

(ग) इनके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ;

(घ) क्या भारत में ऐसे ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए कारखाने लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो ये कारखाने कहां कहां पर स्थापित किये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) (क) और (ख): 1967-68 में 10,000 ट्रैक्टरों को आयात करने का प्रस्ताव है और रूस से 2000 ट्रैक्टरों के आयात के लिये पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है । शेष ट्रैक्टरों के आयात के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं । शेष ट्रैक्टरों को रूस व चैकोस्लोवेकिया से बराबर मात्रा में आयात करने का प्रस्ताव है । 1966-67 की बची हुई मांग की पूर्ति के लिए 1967-68 में चैकोस्लोवेकिया से 2000 जैटर ट्रैक्टरों को भी आयत करने का प्रस्ताव है । आयात के लिए हाल ही में सौदा तय हुआ है ।

(ग) लगभग 9.31 करोड़ रुपए (12000 ट्रैक्टरों के लिए) ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जैटर 2011 ट्रैक्टरों के निर्माण का कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

एपीजे शिपिंग लाइंस

6619. श्री मधु लिमये :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री रवि राय :

क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एपीजे शिपिंग लाइन्स को नौवहन विकास निधि अथवा किसी अन्य स्रोत से सरकारी प्रत्याभूति के साथ ऋण दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि का और किन शर्तों पर ;

(घ) क्या शिपिंग लाइन्स को उसके पंजीयन के समय से जहाजों के पुर्जों तथा अन्य सम्बन्धित धातुओं के क्रय के लिये कोई विदेशी मुद्रा दी गई थी ; और यदि हां, तो कितनी ?

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) एक विवरण, जिसमें कम्पनी को नौवहन विकास निधि से प्राप्त धन का ब्यौरा और शर्तें दी गई है, सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रख दिया गया है । देखिये संख्या एल० टी० 1191/67**] संलग्न विवरण में उल्लिखित 10 डालयानों में से केवल दो के संबंध एपीजे अम्बिका और एपीजे प्रिया के सम्बन्ध में ही सरकार ने जर्मन शिपयार्ड कम्पनी को इन दो जलयानों के 85 प्रतिशत मूल्य और उस पर हुए ब्याज की गारंटी दी है ।

(ख) कम्पनी मूल रकम और अब तक की हुई बकाया अर्ध वार्षिक किश्त नियमित रूप से दे रही है ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बन संसाधनों का विकास

6620. श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के विशेषज्ञ दल ने, जो 1966 में भारत में आया था, वन संस्साधनों के विकास तथा उचित प्रयोग के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) खाद्य एवं कृषि संगठन और पुर्ननिर्माण तथा विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय बैंकों के सहकारी कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेषज्ञों का एक दल 1966 में भारत आया था । उसने पल्प तथा कागज के सम्बन्ध में फारेस्टरी प्लान्टेशन प्रोग्राम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है ।

(ख) मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

1—वन तथा औद्योगिक विकास के एकीकरण के लिए एक समिति बननी चाहिए जिसमें योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय, वन विभाग तथा पल्प और कागज उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हों ।

2— वर्तमान मिलों के लिए उपलब्ध संसाधनों की विवरण सूची तैयार की जाये।

3-- पल्प तथा कागज उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के अतिरिक्त साधनों के विकास के लिए और अधिक तकनीकी अध्ययन किया जाये।

दल ने सिफारिश की है कि हल्द्वानी तथा अल्वाये परियोजनाओं पर विस्तृत अध्ययन किया जाये।

भूमिगत जल सम्बन्धी राष्ट्रीय निगम

6621. श्री गु० चं० नायक :
श्री दे० अमात :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमिगत जल का उपयोग करने के लिए भूमिगत जल सम्बन्धी राष्ट्रीय निगम ने अब तक जो कार्यवाही की है क्या वे अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के उद्देश्य से भूमिगत जल को उपयोग में लाने के लिये सरकार क्या वैकल्पिक कार्यवाही कर रही हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय के अधीन "भूमिगत जल समन्वेषी राष्ट्रीय निगम' नाम की कोई संस्था नहीं है। इस मंत्रालय के अधीन समन्वेषी नलकूप नामक एक संस्था है जो एक अधीनस्थ कार्यालय है। यह संस्था मुख्यतः राज्य सरकारों के परामर्श से जनवरी 1955 से ऐसे क्षेत्रों की खोज करती है जहां सिंचाई हेतु नलकूप लगाये जा सकते हैं। राज्य सरकारों के सुझाव पर नलकूप के समन्वेषण के स्थान का चुनाव किया जाता है। खोजे गये क्षेत्रों में समन्वेषण करना राज्य सरकारों का काम है।

(ख) लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिगत जल के विकास कार्य को बड़ा महत्व दिया जाता है। स्टेट प्लानों के अन्तर्गत तथा बाहर इस कार्यक्रम के लिये प्रतिवर्ष अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त राज्यों में भूमिगत जल विकास के लिए तकनीकी संगठनों की स्थापना की जा रही है इन संगठनों के लिए ड्रिलिंग सम्बन्धी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जा रही हैं। देश में विभिन्न प्रकार की रिगों के निर्माण शुरु किया जा रहा है। कुछ अति-आवश्यक प्रकार की सामग्री का आयात भी किया जा रहा है। विकास कार्यक्रम को पर्याप्त तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए व्यवस्थित भूमिगत जल सर्वेक्षण व समन्वेषण के कार्यों को गतिमान किया जा रहा है। समन्वेषी नलकूप संस्था 1965 से गहरा समन्वेषण कर रही है। इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीय प्रायोजित व समन्वित कार्यक्रम भी शुरू किया जा रहा है जिसे राज्य सरकारें स्वयं कार्यरूप देगी। इस कार्यक्रम हेतु अनेक राज्यों के लिए स्कीमें स्वीकार की गई हैं। ग्राऊन्ड वाटर एण्ड वाटर वैल ड्रिलिंग टैक्नीक्स में

प्रशिक्षण देने की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्यों में स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में भूमिगत जल के सर्वेक्षण के निर्धारण के विषय में एक परियोजना शुरु की गई है ।

हाथियों की संख्या में वृद्धि

6622. श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख) यू० पी०, बिहार तथा उड़ीसा में हाथियों की गणना नहीं की गई । फिर भी बिहार, यू० पी० तथा उड़ीसा की सरकारों से संकेत मिला है कि राज्यों के कुछ क्षेत्रों में हाथियों की संख्या बढ़ी है । हाथियों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए उपायों पर तीनों राज्य सरकारें विचार कर रही हैं ।

पश्चिम बंगाल को अनाज और चीनी की सप्लाई

6623. डा० रानेन सेन : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1967 से 30 जून, 1967 तक की अवधि में पश्चिमी बंगाल को कितना अनाज तथा चीनी दी गई ; और

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में कितना अनाज तथा चीनी देने का वचन दिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे) : (क) अनाज भेजा गया·······356.2 हजार टन

चीनी आवंप्ति की गई·············· 77.1 हजार टन

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकार को जून, 1976 तक प्रतिमास 15,000 टन चावल और 75,000 टन गेहूँ देने का वायदा किया गया है । चीनी के सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दिया गया है ।

विमानों से उर्वरक छिड़कना

6624. श्री कामेश्वर सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमानों द्वारा बड़े पैमाने पर उर्वरक छिड़कने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने क्षेत्र में इस प्रकार उर्वरक छिड़का जायेगा ; और

(ग) क्या बिहार के लिए एक पृथक एकक खोलने का विचार है और यह एकक कब से काम आरम्भ करेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : (क) और (ख) यूरिया उर्वरक को पानी में घोलकर आसाम में 500 एकड़ से अधिक भूमि में तथा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व बिहार में 10,000 एकड़ भूमि में जूट की फसल पर एरियल फोलियर छिड़काव करने के बारे में परीक्षण किये गये हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बिहार पहले ही प्रयोगात्मक छिड़काव कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है ।

विदेशी दर्शकों द्वारा अध्ययन दौर

6625. **श्री गा० शं० मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960-61 से लेकर 1966-67 तक की अवधि में देश में विदेशी दर्शकों द्वारा कुल कितने अध्ययन दौरे किये गये और वे किन किन देशों के लोग थे ;

(ख) क्या इन दौरों के लिए धन की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार ने की थी ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा सहित कुल कितनी राशि खर्च हुई ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 398 जिन देशों से वे सम्बन्धित हैं उनके नामों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया हैं [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1192/67**]

(ख) 62 मामलों में संचालन करने वाली सरकारों को प्रार्थना पर इन दौरों पर भारत सरकार ने धन की व्यवस्था की ।

(ग) इस मामले पर कुल 1,91,135 रुपये खर्च किए गए । इसमें विदेशी मुद्रा का कोई प्रश्न नहीं था ।

New Licences for Rice Mill

6626. **Shri Meetha Lal:**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the power to garnt new licences for rice mills has been withdrawn from the State Governments and taken over by the Central Government ; and

(b) if so, since when and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

हरियाना में नलकूपों के लिए ऋण

6627. **श्री जेना :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि हरियाना सरकार ने वर्ष 1967-68 में राज्य में नलकूप लगाने के लिए ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो हरियाना सरकार द्वारा किस प्रकार का ऋण मांगा गया है ; और

(ग) क्या सरकार ऋण देने के लिए सहमत हो गई है ?

खाद, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) हरियाना में 1967-68 की अवधि में नलकूप लगाने के लिये खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय के पास राज्य सरकार से ऋण की मंजूरी के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की संशोधित क्रियाविधि के अनुसार (जिसे 1958-59 में लागू किया गया था) ऋण व अनुदान के रूप में मिलने वाली केन्द्रीय सहायता 'कृषि उत्पादन' 'लघु सिंचाई तथा भूमि विकास आदि विकास शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है। स्कीमवार मंजूर बन्द कर दी गई है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के अन्त में राज्य सरकारों से प्राप्त व्यय सम्बन्धी आंकड़ों के आधार पर ही प्लान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को (जिनमें हरियाना भी शामिल है) केन्द्रीय सहायता दी जाती है। अतः हरियाणा सरकार को लघु सिंचाई की स्कीमों के लिए 1967-68 के अन्त में ही ऋण व अनुदान विषेयक केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। इस बीच में भारत सरकार द्वारा प्लान स्कीमों के व्यय के लिए वेज एण्ड मीन्ज के रूप में एडवान्स स्वीकार किया जाता है।

समस्तीपुर शुगर फैक्टरी

6628. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में समस्तीपुर सेन्ट्रल शूगर फैक्टरी को जिसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था मालिकों को सौंप देने के क्या कारण हैं :

(ख) क्या उस फैक्टरी के श्रमिक संघ ने मालिकों को वह फैक्टरी सौंपी जाने पर आपत्ति की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) से (ग) बिहार की मैसर्स समस्तीपुर सेन्ट्रल शुगर कं० लि०, समस्तीपुर के कर्मचारियों ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत कारखाने के लिये गये नियंत्रण को सरकार जारी रखे। भारत सरकार की नीति के अनुसार जिसमें कहा गया है कि भारत रक्षा नियम का प्रयोग रक्षा या राज्य सरकार के सुरक्षा सम्बन्धी मामलों तक ही सीमित रहे, 14 जुलाई, 1967 को मिल पर से नियंत्रण उठा लिया गया था। यदि इससे बाद में किन्हीं हितों पर प्रभाव पड़ेगा और कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी तो स्थायी कानून के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुसार सरकार उनका प्रयोग करने में समर्थ होगी ।

चुंगी हटाना

6629. श्री अगाड़ी : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क परिवहन बोर्ड ने देश में चुंगी समाप्त करने की सिफारिश की है ;

(ख) आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त चुंगी को किन अन्य राज्यों ने समाप्त किया है ;

(ग) क्या मैसूर सरकार को चुंगी समाप्त करने की सलाह दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में मैसूर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क) केन्द्रीय सड़क बोर्ड परिवहन जैसी कोई चीज नहीं है। सड़क परिवहन कर जांच समिति ने चुंगी तथा चैक प्रोस्टो के सम्बन्ध में दी गई दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट में राज्यों में चुंगी समाप्त करने की सिफारिश की है ।

(ख) अभी तक किसी स्थान में नहीं ।

(ग) जी , नहीं

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में पंचायती राज संस्थाएं स्थापित करना

6630. श्री नायनार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) जहां पर पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गई हैं वहां पर ग्रामों से लेकर जिलों तक कौन - कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1964 में केरल पंचायत यूनियन कौंसिल एण्ड जिला परिषद बिल, राज्य विधान सभा में पेश किया गया था, किन्तु विधान सभा के भंग किए जाने से वह व्यपगत हो गया। राष्ट्रपति शासन के दौरान यह मामला हाथ में लिया गया था, किन्तु यह निर्णय किया गया था कि विधान सभा द्वारा विचार करने के लिए इसे स्थगित किया जाए। राज्य सरकार ने अब सूचित किया है कि दो स्तरीय पंचायतीराज प्रणाली, सब से नीचे के स्तर पर पंचायतें और जिला स्तर पर जिला परिषदें, लागू करने के लिए बिल तैयार किया जा रहा है।

(ख) जिन राज्यों में पंचायतीराज लागू किया गया है वहां त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत-खण्ड तहसील, तालुका स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तथापि, पश्चिमी बंगाल में ग्राम पंचायत तथा पंचायत समिति स्तरों के बीच एक अतिरिक्त संस्था होती है।

राज्यों का चीनी का कोटा

6631. **श्री भोला नाथ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य को चीनी का मासिक कोटा कितना नियत किया गया है ;

(ख) चीनी का कोटा किस आधार पर नियत किया गया है ;

(ग) राज्यों को चीनी का कोटा नियत करने की वर्तमान योजना पहली बार कब लागू हुई थी ; और

(घ) प्रत्येक राज्य का चीनी का कोटा किस आधार पर कम किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) प्रत्येक राज्य को दिये जाने वाले चीनी का मासिक कोटे के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया है। देखिये संख्या एल० टी०-1193/67**] (ख) और (ग) अप्रैल, 1963 में लागू किये गये वर्तमान नियंत्रण के समय, राज्य सरकारों का मासिक कोटा उनके द्वारा पिछले छः महिनों के दौरान, पिछले नियंत्रण आदेश, जो जुलाई, 1958 से सितम्बर 1961 तक लागू था उठायी गई चीनी की वास्तविक मात्रा को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। उस अवधि में चीनी सप्लाई स्थिती अच्छी थी और चीनी के एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर भी प्रतिबन्ध था। चीनी की मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चीनी के अलाट किये जाने वाले कोटे में भिन्नता है।

(घ) पिछले वर्ष चीनी के 35.08 लाख टन उत्पादन के मुकाबले इस वर्ष चीनी का अनुमानित उत्पादन 21 80 लाख टन है। इसी के परिणाम स्वरूप ही राज्य सरकारों के चीनी के दिये जाने वाले कोटे में कमी कर दी गई है।

मंगलौर पत्तन परियोजना

6632. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री बंगलौर पत्तन के बारे में 27 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3762 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर पत्तन परियोजना के विकास तथा उसके साथ जोड़ी गई रेलवे लाइन के लिये अब तक कितनी भूमि अर्जित की गई है ;

(ख) अब तक कितने क्षेत्र का विकास किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि परियोजना के विकास के लिये अर्जित की गई 1200 एकड़ खेती वाली भूमि का बड़ा भाग अप्रयुक्त पड़ा है तथा उसमें रेत भरी पड़ी है ;और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस अर्जित भूमि का विकास कब किया जायेगा?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव)

(क)	(1)	मंगलौर हारबर प्रोजेक्ट	1680 एकड़
	(2)	मंगलौर से पानाम्बूर तक रेलवे लाइन (हारबर साइट)	495 एकड़
(ख)		**मंगलौर हारबर प्रोजेक्ट**	
	(1)	समस्त प्रयोग किया गया क्षेत्र	292 एकड़
	(2)	जिस क्षेत्र में कार्य चल रहा है	656 एकड़
		रेल सम्बन्ध	
		सब प्राप्त भूमि पर अधिपत्य कर लिया गया । कटाई-मराई का कार्य और रेलवे से सम्बन्धित कार्य चल रहा है।	

(ख) और (ग) हारबर स्टेट और स्टाफ कालोनी में आने वाले क्षेत्रों से प्राप्त 1249 एकड़ भूमि में से 623 एकड़ भूमि पर कृषि की जा रही है । इसमे से 70 एकड़ भूमि पर कार्य पूरा हो चुका है और 194 एकड़ भूमि पर कार्य चल रहा है । हारबर स्टेट में स्थित कुछ निचले क्षेत्र को रेत से ढककर उनका स्तर हारबर के स्तर के समान कर दिया है । बाकी बचे 359 एकड़ क्षेत्र, और बाकी ऐसी भूमि पर जिस पर कृषि नहीं हो सकती, कार्य परियोजना के क्षेत्र को अन्तिमरूप दिये जाने पर आरम्भ किया जायेगा।

पालम हवाई अड्डे पर जलपान गृह

6633. श्री क० लकप्पा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे पर जलपान गृह का प्रबन्ध किसका है ;

(ख) क्या वर्तमान ठेकेदार को इस जलपानगृह का ठेका देने से पहले टेंडर मांगें गये थे ;

(ग) यदि हां , तो किन-किन व्यक्तियों ने टेंडर दिये थे ;

(घ) क्या पालम हवाई अड्डे के जलपानगृह के वर्तमान ठेकेदार के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1.3.1967 से 31.12.1971 तक की अवधि के लिये पालम हवाई अड्डे पर रेस्टोरैंट चलाने का ठेका वोल्गा रेस्टोरैंट, कनाट प्लेस, को दिया गया है ; परन्तु उन्हें रेस्टोरैंट के स्थान का कब्जा नहीं दिया जा सका, क्योंकि उपर्युक्त रेस्टोरैंट के इससे पहले के ठेकेदार मैसर्स रेफलस रेस्टोरैंट ने, जिन्हें कि इससे पहले ठेका मिला हुआ था, और जिनका ठेका 28.2.1967 को समाप्त हो गया, न्यायालय से सरकार के विरूद्ध इन्जक्शन आर्डर ले लिया है तथा अदालत से फैसला होने तक अब भी वे ही रेस्टोरैंट को चला रहे हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1. वोल्गा रेस्टोरैंट, कनॉट प्लास, नई दिल्ली-1 (सबसे ऊंचा टेंडर वाले) ।

2. मैसर्स रैफल्स रेस्टोरेंट, पालम हवाई अड्डा, नई दिल्ली-10 ।

3. मैसर्स पॉल ब्रादर्स, एयरपोर्ट रेस्टोरैंट, सान्ता क्रूज हवाई अड्डा, बम्बई–2

4. मैसर्स शिवजी वेलजी कोठारी, एयरपोर्ट रेस्टोरैंट, कलकत्ता हवाई अड्डा, दम दम ।

(घ) और (ङ) मैसर्स रैफल्स रेस्टोरैंट के, जोकि 28.2.1967 तक पालम में खान पान प्रबन्ध के ठेकेदार थे, विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई । इन शिकायतों की जांच नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा की गयी और जहां कहीं आवश्यक था, प्रतिकारात्मक उपाय किये गये और ठेकेदार को चेतावनी दी गयी ।

खाद्य शिल्प (क्राफ्ट) केन्द्र

6634. श्री क० लकप्पा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार के सहयोग से बंगलौर में एक खाद्य शिल्प केन्द्र (फूड क्राफ्ट सेन्टर) स्थापित करने का है , और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इसका उद्देश्य क्या है तथा इस पर कितना खर्च आयेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) बंगलौर में एक खाद्य शिल्प केन्द्र (फूड क्राफ्ट सेन्टर) स्थापित करने का सुझाव है ।

(ख) प्रस्तावित खाद्य शिल्प केन्द्र खाद्य सम्बन्धी विभिन्न शिल्पों जैसे, बैकरी, खाद्य सम्बन्धी तरीके और उसको सुरक्षित रखना, खाद्य प्रबन्ध इत्यादि के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देगा । खाद्य उद्योग के विकास के लिये यह प्रदर्शन और सलाहकार यूनिट का कार्य करेगा । इस पर 4.05 लाख आवर्तक और 0.69 लाख अनावर्तक रुपया प्रति वर्ष कम होने का अनुमान है ।

अतिथि नियंत्रण आदेश

6635. श्री मरंडी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा पारित किये गये अतिथि नियंत्रण आदेश को कठोरता से लागू करने में उनकी असफलता की ओर उनका ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) कौन से राज्यों ने इस आदेश को सफलतापूर्वक लागू किया है और कौन से राज्य इसमें असफल रहे हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस आदेश के बारे में कोई नया प्रस्ताव रखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) (क) राज्य सरकारों से यह निवेदन किया गया है कि वे अतिथि नियंत्रण आदेश के उपबन्धों का ठोस प्रचार करें और लोगों को यह बतलायें कि उन मामलों में भी जहां अतिथियों को अनाज से बनी खाद्य सामग्री नहीं दी जाती, वहां भी यह आदेश लागू होता है। उनसे निवेदन किया गया है कि वे अपने प्रवर्तन कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में सतर्क रहने को कहें और अतिथि आदेशों के उपबन्धों के सम्बन्ध में विशेष रूप में केटरर का ध्यान दिलायें।

(ख) अनुकूल

(ग) सब राज्यों ने अतिथि आदेशों का पालन करने के लिये कदम उठाये हैं ।

(घ) जी नहीं

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सिंचाई कार्यों के लिये ऋण

6636. **श्री मरंडी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों के विनियोजन का कुछ भाग सिंचाई कार्यों और ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिये उचित ब्याज पर ऋण के रूप में राज्य सरकारों को देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार को वाणिज्यिक बैंकों के साथ बातचीत करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यह सुझाव कहां तक मान्य है; और

(घ) उनके सुझाव को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) मामला विचाराधीन है।

इम्फाल में सुपर बाजार

6637. **श्री मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने इम्फाल में एक सुपर बाजार खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुदान देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज"-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Strike by Bombay Port Trust Employess

6638. Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state the extent of loss suffered as a result of the recent strike by the employees of the 3ombay Port Trust ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao) : The Hon'ble Member is presumably referring to the recent strike by flotilla crew at Bombay Port from the 28th June, 1967 to the 12th July, 1967.

All vessels which had completed cargo operations left the Port, and vessels which were waiting outside the Docks during the period of the strike were brought in for completion of cargo operations. Discharge from vessels at be,ths and delivery of cargo were not affected during the period of strike. There was therefore no loss of revenue to the Bombay Port Trust on account of port or pilotage dues or wharfage charges.

आसाम और पश्चिमी बंगाल में चाय बागानों को गेहूं तथा चावल की सप्लाई

6639. श्री नंजा गौडर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से आसाम, बंगाल में चाय बागानों को, जहां अनाज की बहुत कमी है, गेहूं तथा चावल देने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मई, 1967 में चाय बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से भारतीय चाय संस्था (आसाम शाखा) और भारतीय चाय परिषद डिब्रूगढ़ को गेहूं देने का निवेदन किया है। इन संस्थाओं को, आसाम की अन्य संस्थाओं को और पश्चिमी बंगाल को, राज्य सरकारों के मासिक कोटे में से नियमित रूप से गेहूं सप्लाई किया जा रहा है।

Tourist to Kashmir

6640. Shri K. M. Madhukar :
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of tourist who visited Kashmir this year has been less than the last year;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the additional steps taken by Government to attract more tourists ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir. In fact an increase of 28 2% has been recorded in the number of tourists who visited Kashmir in the first six months of this year over the corresponding figure for last year.

(b) Does not ar se.

(c) For attracting more tourists to Kashmir it is proposed during the Fourth Five Year plan to (i) develop Gulmarg as a winter sports resort, (ii) develop Nagin lake area, (iii) provide aquatic sports facilities in Dal and Manasbal lakes, (iv) improve and augment accommodation at Srinagar, (v) improve the Mughal gardens (vi) develop tourist facilities at Manasbal and Ganderbal. The Central Department of Tourism also proposes to open Tourist Office in Srinagar and Jammu. The India Tourism Development Corporation Limited, a public sector undertaking, plans to put up a hotel at Srinagar and Gulmarg and is already operating a fleet of air-conditioned cars on Pathankot/Srinagar route.

The State Government has provided the following additional facilities during the current year :—

(i) The accommodation available at Kud. Batote, Banihal, Pahalgam, Srinagar, Gulmarg and Yusmarg has been increased by thirty percent.

(ii) Transport facilities between Pathankot and Srinagar have been doubled.

(iii) The water supply at Gulmarg, Vaishnodevi, Patnitop and Sanasar has been considerably supplemented.

(iv) The Charchinari Island in Dal Lake has been developed as a picnic spot with facilities for sunbathing, surf-riding, swimming and other aquatic sports. A cafetaria has also been opened.

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पर्यटक केन्द्रों के रूप में रमणीय स्थल

6641. श्री बलराज मधोक :
श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने के लिये पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थानों का पता लगाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार अब यह सर्वेक्षण करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ चुने हुए स्थानों पर, जो कि पर्यटन संबंधी चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये गये हैं, आवश्यक पर्यटन सुविधाओं के सर्वेक्षण पर विचार कर रही है । ये स्थान हिमालय प्रदेश और जम्मू व काश्मीर की राज्य सरकारों के परामर्श से चुने गये हैं ।

आसाम में पाण्डू पत्तन

6642. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में पाण्डू पत्तन के निर्माण की प्रगति कार्यक्रम से बहुत पीछे है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) आरम्भ में इसके निर्माण कार्य में कुछ देरी हुई थी, परन्तु अब कुछ छोटे-मोटे सहायक मदों के अलावा पाण्डू पत्तन के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम में देशाभ्यन्तर जल परिवहन

6643. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आसाम के देशाभ्यन्तर जल परिवहन को, आसाम में काम कर रहे केन्द्रीय देशाभ्यन्तर जल परिवहन निगम के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतियोगिता को रोकने के लिये तथा उनके कारोबार का समन्वय करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) ऐसा कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है कि जिसके अनुसार यह पता लगे कि देशाभ्यन्तर जल परिवहन को, आसाम में काम कर रहे केन्द्रीय देशाभ्यन्तर जल परिवहन निगम के साथ प्रतियोगिता करनी पड़ती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Issue of New Tokens by D. M. S.

6644. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Surya Prakash Puri :

Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Milk Scheme have decided to issue new tokens because of the availability of more milk now; and

(b) if so, the number of persons who have applied for milk tokens ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) With improvement in procurement of Milk, D. M. S. may be in a position to start issue of some new milk tokens in about two months time.

(b) D. M. S. has 33301 applicants (as on 13-6-1967) on the waiting list for issue of new milk tokens.

पश्चिम बंगाल में चावल के मांड के लंगर

6645. श्री समर गुह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के सूखाग्रस्त बांकुड़ा तथा पुरुलिया जिलों में चावल के मांड के लंगरों से भोजन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चावल के मांड के इन लंगरों के लिये चावल और गेहूँ का कोटा बढ़ाने का है; और

(ग) क्या पश्चिम बगाल के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को प्रधान मंत्री के केन्द्रीय सहायता कोष से कोई सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों के चावल के मांड के लंगरों में अधिकाधिक लोग आकर्षित हो रहे हैं इसलिये पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे लंगरों की संख्या बढ़ाने के लिये विचार कर रही है । यह स्वाभाविक ही है कि अधिक लंगर खुल जाने से राज्य सरकार इन लंगरों का गेहूँ आदि का कोटा बढ़ा देगी । भारत सरकार ने पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में निशुल्क वितरणार्थ 3000 टन गेहूँ और लगभग 338 टन दूध के पाउडर का नियत कर दिया है । भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह आश्वासन भी दिया है कि वह निशुल्क लंगरों पर प्रति दिन 500 मन अनाज यह समझते हुए खर्च कर सकते हैं कि उतनी मात्रा सरकार द्वारा दी जायेगी ।

(ग) प्रधान मंत्री के सूखाग्रस्त कोष में से पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को सहायता कार्य के लिये 5 लाख रुपये दिये गये है । बांकुड़ा और पुरुलिया जिलों में निशुल्क लंगर चलाने के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को भी इस कोष में से 165.5 टन गेहूँ भेंट के रूप में दिया गया है । आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोष और सहायता देने का विचार करेगा ।

दिघा समुद्र तट (पश्चिम बंगाल) का विकास

6646. श्री समर गुह : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में दिघा समुद्र तट, विशेषतः पूर्वी क्षेत्र में पर्यटकों के लिये आकर्षक स्थान है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करके दिघा समुद्र तट का विकास करने के लिये उपर्युक्त कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार की फिलहाल दीघा समुद्र तट के विकास की कोई योजना नहीं है। पर्यटक केन्द्र के रूप में दीघा के लिए परिवहन सुविधाओं के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

Diwan Sugar Mills, Sakhoti

6647. **Shri Maharj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 929 on the 4th July, 1967 and state :

(a) whether Government have since decided to take over Control of Diwan Sugar Mils, Sakhoti (Meerut) as a result of the closure notice served by the owners; and

(b) if so, whether all the former employees have been re-appointed ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir. However, as the Directors of M/s Diwan Sugar and General Mills (P) limited Sakhoti-Tanda, have issued a closure notice, the Central Government in exercise of the powers conferred on it under section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, have ordered investigation into the affairs of the Company. Further action will be taken after the report is received and examined by the Government.

(b) Does not arise.

चालू वर्ष में गेहूँ का आयात

6648. **श्री कंवरलाल गुप्त** : **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री क० मि० मधुकर : **श्री चन्द्र शेखर सिंह** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार चालू वर्ष में अमरीका को छोड़ कर रूस, आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से अतिरिक्त गेहूं खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके बारे में उन देशों की सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) चालू पत्रि वर्ष में सरकार ने अमरीका को छोड़ कर अन्य देशों से निम्नलिखित मात्रा में गेहूँ खरीदा है :—

देश का नाम	खरीद की मात्रा
1. आस्ट्रेलिया	1,83,000 लौंग टन
2. कनाडा	50,000 लौंग टन

रूस अथवा किसी अन्य देश से गेहूं खरीदने का विचार नहीं है। ऐसी खरीद के प्रति आस्ट्रेलिया और कनाडा सरकार की प्रतिक्रिया प्रायः अनुकूल रही है।

नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

6649. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री न० कु० साल्वे :
श्री नाथुराम अहिरवार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को कितनी वित्तीय सहायता दी गई और 1967-68 में कितनी सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि यह सहायता किसी विशेष प्रयोजन के लिये दी गई है तो वह प्रयोजन क्या है; और

(ग) कितनी सहायता का उपयोग किया गया है अथवा किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 1966-67 के दौरान जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को 9.23 लाख रुपये का नकद अनुदान दिया गया। यह राशि रायपुर और इन्दौर में कृषि कालिजों, लड़कों के होस्टलों, स्टाफ क्वार्टरों, स्वास्थ्य केन्द्र, गैस्ट हाऊस के निर्माण जैसे विकासात्मक मदों, और उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अन्तर्राज्यीय यात्रा खर्च के अन्तर्गत केन्द्र ने अपने भाग के रूप में दी। उपरोक्त अनुदान के अतिरिक्त 9,37,341.00 रुपये मध्य प्रदेश की सरकार को दिए गए। यह राशि तीसरी योजना के दौरान जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रतिष्ठापन पर खर्च की गई राशि में केन्द्र के अपने भाग के रूप में थी। 1967-68 के दौरान कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के प्रश्न पर वित्त मन्त्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उपरोक्त (क) तथा (ख) भाग में लिखित 9.23 लाख रुपये का सारा अनुदान पूरी तरह से विकासात्मक कार्यों में खर्च किया गया। जहां तक अन्तर्राज्यीय यात्रा खर्च के लिए स्वीकृति का सम्बन्ध है, मालूम हुआ है कि यात्रा तो कर ली गई है खर्च के प्रायोजन के बारे में प्रतीक्षा की जा रही है।

Tube-Wells in Uttar Pradesh

6650. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the total number of exploratory and deep tube-wells installed in Uttar Pradesh during the Three Five Year Plans; and

(b) the total number of tube-wells proposed to be installed during the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Exploratory Tubewells Organisation under the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation did not carry out any groundwater exploration in Uttar Pradesh during the First Five Year Plan. During the Second and Third Five Year Plan periods the Organisation drilled a total number of 45 exploratory bores of which 38 bores gave sufficient discharge of water.

The total number of State Tubewells installed during each Plan period, as intimated by State Government, is given below :—

1.	First Five Year Plan	3063
2.	Second Five Year Plan	1382
3.	Third Five Year Plan	1884
	Total :	6329

(b) The Exploratory Tubewells Organisation have a tentative programme of drilling 106 exploratory bores in Uttar Pradesh during the Fourth Plan.

Under the tentative allocations for State tubewells under the Fourth Plan in Uttar Pradesh, 1800 tubewells are expected to be constructed during the period.

मनीपुर में सहकारिता आन्दोलन

6651. **श्री मेघचन्द्र :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर में सहकारिता आन्दोलन के काम करने का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सफल हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) से (ग) थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार के कार्यकरण का अध्ययन किया गया है और काफी संतोषजनक पाया गया है ।

दिल्ली के चावल के कोटे में कटौती

6652. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री राम किशन :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली के चावल के कोटे में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, गो कितनी; और

(ग) यह कटौती कितने समय तक चलेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) ऐसे राशन कार्ड-धारियों का चावल का कोटा 'जो चावल खाने वाले लोगों' की श्रेणी में आते हैं, प्रति सप्ताह प्रति व्यक्ति 875. ग्राम से कम करके 500 ग्राम प्रति सप्ताह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। जहां तक 'गेहूं खाने वाले लोगों' का सम्बन्ध है उन्हें फिलहाल बिल्कुल चावल नहीं दिया जायेगा।

(ग) जब तक चावल की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता।

चीनी का निर्यात

6653. श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री मधु लिमये : श्री जे० एच० पटेल : श्री धीधरन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत ने चीनी का कितना निर्यात किया;

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह चीनी किस मूल्य पर बेची गई तथा कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई; और

(ग) भारतीय उपभोक्ताओं को बेची जाने वाली चीनी तथा विश्व बाजार में बेची जाने वाली की दर में कितना अन्तर था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जानकारी इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	वर्ष	निर्यात की गई चीनी की मात्रा (लाख टनों में)	विदेशी मुद्रा की औसत आय वसूली (रुपये प्रति टन)	विदेशी मुद्रा का कुल अर्जन (रुपये करोड़ों में)
1.	1964	2.34	815	19.08 अस्थायी
2.	1965	2.67	421	11.24 ,,
3.	1966 *अस्थायी	4.41	408	17.99 ,,

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समेत जी–29 ग्रेड चीनी का वर्तमान नियन्त्रित कारखाना मूल्य 132.56 रुपये से लेकर 187.10 रुपये प्रति क्विटल है। उपभोक्ता मूल्य, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में अपनी-अपनी चीनी की लागत, स्थानीय करों और थोक तथा फुटकर व्यापारियों को मिलने वाले मुनाफे के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। निर्यात मूल्य की वसूली 'जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में दी गई है। चीनी के उस मूल्य पर निर्भर करती है जो समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित हो तथा उसका मुकाबला उस उपभोक्ता मूल्य से नहीं किया जा सकता है जिसका सम्बन्ध भारत में उत्पादन लागत से है।

दिल्ली में विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या

6654. श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1961 की जनगणना के बाद दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि होने के परिणामस्वरूप लोक-सभा, महानगर परिषद् तथा दिल्ली नगर निगम के लिए विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में पर्याप्त अन्तर हो गया है;

(ख) क्या इससे कुछ चुनाव क्षेत्रों में अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए अपेक्षित मतदाताओं स अधिक मतदाता हो गए हैं और कुछ क्षेत्रों में उनकी संख्या अपेक्षित संख्या से कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस विषमता को दूर करने के लिए शीघ्र कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां, जहां तक कि संसदीय और महानगर परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का सम्बन्ध है। इस बारे में दो विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 1194/67**] जहां तक कि नगर निगम वार्डों का सम्बन्ध है, आंकड़े उपलभ्य नहीं हैं।

(ग) सरकार यह नहीं समझती है कि इस असमता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाना साध्य होगा, क्योंकि सुसगत विधियों के संशोधन के बिना आगामी दस वार्षिक जनगणना से पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों का कोई नया परिसीमन नहीं किया जा सकता है।

Reclamation of Land

6655. Shri Ramavatar Shastri :
Shri K. M. Madhusudan :
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri Bhogendra Jha :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land in our country which needs to be reclaimed for cultivation purposes, State-wise;

(b) the acreage of land reclaimed so far; and

(c) the steps taken to reclaim it and the date by which the reclamation scheme will be completed and the causes of delay, if any ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha. [**Placed in Library See No. L. T. 1195/67**]

उटकमण्ड में हवाई अड्डा

6656. **श्री नंजा गौडर : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नीलगिरि के उटकमण्ड नामक स्थान में, जो पर्यटक महत्व का तथा स्वास्थ्यवर्द्धन के लिये प्रसिद्ध स्थान है, एक नया हवाई अड्डा बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा कितनी लागत से; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोयम्बटूर में एक हवाई अड्डा है जो कि उटकमण्ड से लगभग 30 मील दूर है और उससे एक अच्छी सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए उटकमण्ड में एक हवाई अड्डे की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है।

बिहार को अनाज की सप्लाई

6657. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री शम्भू नाथ :
श्री नागेश्वर :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों में छपी उस खबर का पता है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बिहार को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत अनाज के कोटे को भेजने और उसकी प्राप्ति के आंकड़ों में गत अप्रैल से जून तक की अवधि में हजारों मन का अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक ऐसे समाचार की ओर जिसमें बिहार को नियत किये गये अनाज की सप्लाई और प्राप्ति के प्रत्येक के मास के आंकड़ों में विषमता होने का आरोप लगाया गया है, सरकार का ध्यान दिलाया गया है। मासिक कोटे के अनुसार बिहार को अनाज विभिन्न बन्दरगाहों से जैसे कोडला, मद्रास, विशाखापटनम, कलकत्ता और बम्बई से भेजा जाता है जिसे रास्ते में कई दिन लग जाते हैं। किसी विशेष महीने में विभिन्न स्थानों से भेजे गई अनाज की मात्रा का उसी महीने उतनी मात्रा में राज्य सरकार को मिलना जाना जरूरी

नहीं है। प्रत्येक महीने के अन्त में बहुत सा अनाज रास्ते में ही रह जाता है और राज्य सरकार को अगले महीने मिलता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Central Farms

6658 **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the produce from each Central Farm during the last three Plan periods;

(b) the expenditure incurred on each Farm, item-wise, during the above period; and

(c) the produce per acre in each of the Farms ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a to (c) The information is beiug collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये नेपाल से सहायता

6659. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हाल के दुर्भिक्ष की अवधि में नेपाल से भारत को खाद्यान्नों की सप्लाई के अतिरिक्त कोई अन्य सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता मिली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता-लन्दन बस सेवा

6660. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता से लन्दन तक कोई बस जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके आने-जाने के समय का ब्यौरा क्या है, किराया कितना है और वह किन-किन देशों से होकर गुजरती है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) (क) और (ख) कलकत्ता से लंदन अथवा लंदन से कलकत्ता आने-जाने के लिये कोई नियमित बस सेवा नहीं है। तथापि, भारत में उनके एजेन्टों के अनुसार लन्दन स्थित, मैसर्स कोंटिकी ट्रेविल लिमिटेड, लन्दन से कलकत्ता तक 'भूभरंग ओवरलेंड टूरर्स' की सेवा बरास्ता इंगलैण्ड, फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, ग्रीक, टर्की, सीरिया, लेबनान, जार्डन, ईराक, ईरान, अफगानिस्थान और (पश्चिम)

पाकिस्तान अर्पित करता है। मैसर्स कोंटिकी ट्रेविल लिमिटेड द्वारा जारी की गयी पुस्तिका के अनुसार लन्दन-कलकत्ता यात्रा का किराया 95 पौण्ड है तथा लन्दन से कोच-टूअर सितम्बर में और कलकत्ता से मार्च में आरम्भ होता है।

Appeejay Shipping Co.

6661. **Shri Y. A. Prasad :** Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2279 on the 24th November, 1966 and state :

(a) whether any decision has since been taken by Government on the C. B. I. enquiry report against the Appeejay Shipping Company; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Transport and Shipping (Shri V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) Unstarred Question No. 2279, answered on 24th November, 1966, to which a reference has been made by the Hon'ble Member, related to a case of alleged cheating of the Calcutta Port Commissioners in the matter of rental charges payable by M/s Aminchand Pyarelal, registered by the Central Bureau of Investigations. The Central Bureau of Investigations have completed their enquiries and it has been decided to launch prosecution against the Managing Partner and certain employees of M/s Aminchand Pyarelal.

तूतीकोरिन पत्तन परियोजना

6662. श्री रमानी : श्री नायनार :
श्री उमानाथ : श्री ज्योतिमर्य बसु :
श्री अब्राहम : श्री पार्थसार्थी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन पत्तन परियोजना की लाभप्रदता सम्बन्धी पहलुओं के बारे में जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने मूल योजना का परित्याग करके इसे मछली पकड़ने की बन्दरगाह बनाने का निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) माननीय सदस्य शायद तूतीकोरिन पत्तन परियोजना के आर्थिक और वित्तीय पहलुओं के बारे से परिवहन अनुसन्धान निदेशक द्वारा किये गये अध्ययन का उल्लेख कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट से पता चलता है कि 1970–71 तक बन्दरगाह से गुजरने वाला यातायात प्रति वर्ष निम्न लिखित रूप में 1.15 मिलियन टन होगा :—

कोयला	0.20	मिलियन टन
सीमेंट/क्लिकर	0.20	मिलियन टन

नमक	0.45	मिलियन टन
सामान्य माल	0.30	मिलियन टन
कुल	1.15	मिलियन टन

अनुमानित यातायात को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मुनाफा होगा वह इतना नहीं होगा जिससे सुविधाओं पर खर्च होने वाले व्यय को न्यायसंगत सिद्ध किया जा सके।

(ग) जी, नहीं। जो विवरण मैंने 19 जुलाई, 1967 को सभा पटल पर रखा था उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Restoration of cut in Ration in Delhi

6663 **Shri Atam Das** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to restore the cut affected in the quantity of rationed foodgrains supplied in Delhi; and

(b) if so, by what time it is likely to be restored ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) The cut of 12½ per cent made effective from 28th December, 1966, will be restored when the overall food position in the country improves. It is not possible to say exactly when this will be done.

Warehouses in Rajasthan

6664. **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri T. P. Shah ;
Shri Bharat Singh Chauhan

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Central Warehouses in Rajasthan;

(b) their storage capacity;

(c) the quantity of foodgrains stored in them at present;

(d) whether some private godowns have also been rented for the storage of foodgrain;

(e) if so, the amount of earnings from these warehouses; and

(f) the amount of expenditure being incurred on them per annum ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Central Warehouses are located at three centres in Rajasthan.

(b) to (d) The capacity of the warehouses as on 30-6-1967 was as follows :—

Centre.	Owned capacity	Hired private godowns.	Hired State Government godowns.	Total.
	(in	tonnes)		
Kota	5000	2026	574	7600
Sriganganagar	5000	600	—	5600
Hanumangarh	5400	410	—	5810

6824 tonnes of foodgrains were stored in these warehouses as on 30-6-1967.

(e) The gross earnings from these warehouses during the year 1966-67 were Rs. 4,17,264/-

(f) The amount of expenditure on them during the year 1966-67 was Rs. 2,22,211 including depreciation and repairs on building and equipment.

Collection of Levy from Agriculturists

6665 Shri Onkar Lal Berwa :
Shri T. P. Shah :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government has issued orders to the States to collect levy from the agriculturists;

(b) if so, the names of the States to which these orders have been issued;

(c) whether it is also a fact that before these orders were issued, agriculturists had already sold their produce of foodgrains for meeting their personal expenses; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasabib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

एयर इंडिया के विमान में बम होने का भय

6666. **श्री आत्म दास :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जुलाई, 1967 को एयर इंडिया के एक बोइंग विमान को दमदम हवाई अड्डे पर उतरने के लिये विवश होना पड़ा था, क्योंकि इस विमान में एक टाइम-बम होने का समाचार मिला था;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। बृहस्पतिवार, 6 जुलाई, 1967 को किसी अनभिज्ञात व्यक्ति ने सान्ताक्रूज (बम्बई) के एयर

इण्डिया ट्रैफिक अफसर को टेलीफोन पर चेतावनी दी कि टोकियो उड़ान पर चलने वाला एयर इण्डिया का विमान 12 घंटों के भीतर विस्फोटक द्रव्यों द्वारा विध्वस्त कर दिया जायेगा। तुरन्त एयर इण्डिया मैनेजर, कलकत्ता से टेलिफोन पर सम्पर्क किया गया और उसे कारपोरेशन के स्थायी अनुदेशों में निर्दिष्ट प्रकार से विध्वंस-विरोधी जांच करने के लिये कहा गया। विमान पर कोई भी अपराध सिद्ध करने वाली सामग्री नहीं पायी गयी। परन्तु जांच-कार्य के परिणामस्वरूप विमान बम्बई में 2½ घंटे देर से पहुंचा, तथा बम्बई न्यूयार्क उड़ान की रवानगी भी 1½ घंटे विलंब से हुई।

अखिल भारतीय महिला स्वयं-सेवी संस्था

6667. **श्री आत्म दास :** क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय महिला स्वयं-सेवी संस्था ने राज्य सभा में बराबर प्रतिनिधित्व की मांग की है;

(ख) क्या सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में इस आशय के आवश्यक संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) निर्वाचन आयोग या सरकार को ऐसा कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Supply of Fertilizers

6668. **Shri Molahu Prasad : Shri Shiv Charan Lal : Shri Ram Charan : Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of fertilizers asked for by the Government of Uttar Pradesh during 1965-66 and the quantity supplied to them; and

(b) the quantity of fertilizers asked for by the West Bengal and Madras Governments during 1965-66 and the quantity thereof supplied to them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) The quantities of nitrogenous fertilisers demanded by the States of Uttar Pradesh, West Bengal and Madras which includes the demands for I. A. D. P., I. A. A. and Emergency Food Production Programme for 1965-66, quantities of fertilisers alloted to these States during 1965-66 and quantities actually supplied against these allotments during 1965-66 in terms of Nitrogen is given below :

Name of State	Quantity demanded	Quantity allotted	Quantity Supplied
		(Figures in Tonnes)	
Uttar Pradesh	2,19.992	89,287	83,828
West Bengal	72,495	34,293	31,222
Madras	1,40,170	67,176	67,139

Note : As the availability of fertilisers was limited during 1965–66 vis-a-vis the demand, it has not been possible for the Central Government to meet the requirements of the State Governments in full.

Cold Storages

6669. Shri Molahu Prasad :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Charan :
Shri Ramji Ram ;

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U. P. is the biggest potato producing State in the country;

(b) if so, whether it is also a fact that Government have allocated a sum of rupees two lakhs for cold storage purposes against their demand for one crore of rupees; and

(c) the amount proposed to be sanctioned for West Bengal and Madras for cold storage purposes during 1967–68 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) No. A sum of Rs. 36.00 lakhs was sanctioned to that State during 1966-67 out of the total budget provision of Rs. 100 lakhs available for this purpose. This is the maximum amount sanctioned to any State.

(c) A sum of Rs. 27.00 lakhs is proposed to be sanctioned to West Bengal, No provision has been made for Madras since no demand was received from that State.

Demand for Russian Tractors

6670. Shri Molahu Prasad :
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Charan :
Shri Ramji Ram :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of Russian tractors made available to U. P., West Bengal and Madras, separately, during the last five years;

(b) their respective demand for these tractors for the year 1967-68 ; and

(c) the number of tractors which Government propose to make available to these three States during 1967-68 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Aanasahib Shinde) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. L. T. 1196/67]**

भारत का खाद्य निगम

6671. श्री अ० श्री० कस्तूरे :
श्री तुलशीदास जाधव :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के खाद्य निगम ने महाराष्ट्र में काम आरम्भ नहीं किया; और

(ख) यदि हां, तो भारत के खाद्य निगम को महाराष्ट्र में काम आरम्भ करने के लिये किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) भारत के खाद्य निगम के काम को विभिन्न राज्यों में सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह से और उनकी अनुमति से बढ़ाया जाता है। जब महाराष्ट्र सरकार को इस निगम की सेवाओं की जरुरत होगी तो इस निगम के लिये उस राज्य में काम आरम्भ करने में कोई कठिनाई नहीं आयेगी।

मलयेशिया के लिए दिल्ली दुग्ध योजना का घी

6672. श्री राम चरण :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री लखण लाल कपूर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने दिल्ली दुग्ध योजना के घी का निर्यात करने के सम्बन्ध में मलयेशिया सरकार के साथ एक करार किया है जब दिल्ली में घी की पहले ही कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना के घी का निर्यात मूल्य दिल्ली में उसके विक्रय मूल्य से कम है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। परन्तु राष्ट्रीय व्यापार निगम के माध्यम से कुआलालम्पुर (मलयेशिया) की एक गैर सरकारी पार्टी को दिल्ली दुग्ध योजना के 480 किलोग्राम घी के निर्यात करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां।

(ग) विश्व मण्डी में वर्तमान प्रतियोगिता को दृष्टि में रखते हुए तथा विदेशी मुद्रा कमाने की दृष्टि से निर्यात मूल्य कम होना आवश्यक है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

समस्तीपुर चीनी मिल

34. श्री योगेन्द्र झा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत जितनी अवधि के लिये समस्तीपुर सेन्ट्रल शुगर कम्पनी लिमिटेड (समस्तीपुर) को सरकार ने अपने अधिकार में लिया था, वह 13 जुलाई, 1967 को समाप्त हो चुकी है;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गैर-सरकारी प्रबन्धक इस मिल को चलाने के इच्छुक नहीं हैं, क्या सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत इस मिल को अपने हाथ में लेने के लिये कोई कार्यवाही आरम्भ की है; और

(ग) यदि हां, तो इस मिल को सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिये जाने की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी और क्या यह सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्ध किये गये हैं कि इस बीच मिल बन्द न हो जाये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) जी हां। किन्तु नियंत्रण की अवधि 14–7–1967 को समाप्त हो गई।

(ख) चूंकि मैसर्स समस्तीपुर सेन्ट्रल शुगर कम्पनी लिमिटेड (समस्तीपुर) के प्रबन्धक मिल को चलाने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त नहीं किये हैं, अतः उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गन्धक का ठेका दिये जाने के बारे मे सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति द्वारा जांच के बारे में घोषणा
ANNOUNCEMENT RE. EXAMINATION OF SULPHUR CONTRACT BY PUBLIC UNDERTAKINGS COMMITTEE

अध्यक्ष महोदय : 21 जुलाई, 1967 को राज्य व्यापार निगम द्वारा एक अमरीकी कार्य के साथ किये गये ठेकों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1291 के अनुपूरक प्रश्न के दौरान श्री मधु लिमये ने सुझाव दिया था कि इस प्रश्न की जांच करने के लिये सभा के पांच सदस्यों की ऐक समिति नियुक्त की जाये। श्री स० मो० बनर्जी तथा श्री रंगा ने भी इस

सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये थे। मैंने निर्णय किया है कि यह मामला सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की जांच तथा शीघ्र प्रतिवेदन के लिए सौंपा जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मै एक निवेदन करना चाहता हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I had tabled a motion..........

Shri George Fernandes (Bombay South) : The strike by L. I. C. workers is continuing throughout the country..........

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार मामले को उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इन बातों में से कोई भी कार्यवाही में शामिल नहीं की जायेगी। (अन्तर्बाधाएं) **

श्री स० मो० बनर्जी **

श्री जार्ज फरनेन्डीज **

Shri Hukam Chand Kachwai **

सभा–पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे तथा लेखापरीक्षा, प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवायें और प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

1. वर्ष 1965-66 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1163/67]**

2. संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तगत लेखापरीक्षा, प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवायें 1967। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1164/67]**

3. वर्ष 1965-66 के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं में विनियोग लेखे तथा उन पर वाणिज्यिक परिशिष्ट। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1165/67]**

व्यापारिक नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा मुगल लाइन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

परिवहन तथा नौवहन मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

** कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

(1) (एक) व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रस्थानकारी जलयान (चालकवृन्द के सदस्य) नियम 1967 की एक प्रति जो दिनांक 15 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 533 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ऊपर की अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1166/67]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1966 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1167/67]**

संसद सदस्यों की शिक्षा सम्बन्धी समिति (1967) शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति का प्रतिवेदन

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : मैं डा० त्रिगुण सेन की ओर से संसद सदस्यों की शिक्षा सम्बन्धी समिति (1967) –शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति– के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1168/67]**

भारतीय तारयन्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इं० कु० गुजराल) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) बेतार-संग्राही उपकरण के लिये लाइसेंस देना (संशोधन) नियम 1967 जो दिनांक 27 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 772 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वाणिज्यिक प्रसार-संग्राही लाइसेंस देना (विक्रेता) नियम, 1967 जो दिनांक 27 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 773 में प्रकाशित हुए थे। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1170/67)**

(2) भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ;—

(एक) भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (कब्जा) संशोधन नियम, 1967 दिनांक 27 मई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या जी० एस० आर० 774 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी (कब्जा) दूसरा संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 17 जून 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस०आर० 932 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1171/67]**

मोटरगाड़ी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अंतर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (पहला संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 24 मार्च, 1966 में दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 12(76)/60-66 पी०आर० (टी) में प्रकाशित हुए थे।

(2) ऊपर की अधिसूचना जो सभा पटल पर रखने में ये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1172/67]**

गैर सरकारी सदस्य के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

दसवां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर (खेड) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

नवां प्रतिवेदन

श्री शान्तिलाल शाह (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय-औद्योगिक लाइसेंस देना-के बारे में प्राक्कलन समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

(जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के बारे में

(RE. STRIKE BY L. I. C. EMPLOYEES)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I request the hon. Finance Minister to make a Statement regarding strike by the employees of Life Insurance Corporation.

अध्यक्ष महोदय : अब श्री जगजीवन राम वक्तव्य देंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उसके बाद श्री मोरारजी देसाई वक्तव्य देंगे।

अध्यक्ष महोदय : जब मैं अध्यक्षपीठ पर बैठा हूं तो माननीय सदस्य को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिये।

आस्ट्रेलिया से उपहार के रूप में भेजे गये गेहूँ के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. GIFT OF WHEAT FROM AUSTRALIA

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष होता है कि आस्ट्रेलिया की सरकार ने एक बार फिर हमारी सहायता की है और चालू वित्तीय वर्ष में 1,50,000 मीटरी टन गेहूं का एक उपहार दिया है। इस गेहूं का लदान प्रबन्ध होते ही किया जा सकता है। मैं भारत सरकार की ओर से आस्ट्रेलिया सरकार की इस उदार एवं सामयिक सहायता के लिए आभार प्रकट करता हूं। इस सहायता से सूखे तथा हमारे वश के बाहर के अन्य कारणों से उत्पन्न वर्तमान संकट को दूर करने में मदद मिलेगी।

Shri Geore Fernandes (Bombay-South) : Sir, I rise on a point of order that my question was not in regard to gift. I wanted to know the quantity of wheat to be imported during the next six months.

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

नियम 357 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER UNDER RULE 357

Dr. Govind Das (Jabalpur) : On the discussion on the situation in Madhay Pradesh on 20th July, what I said regarding my son, Shri Man Mohan Das, might be interpreted that he was kidnapped by the opposition and kept under their supervision throughout the night. But on further enquiry I have come to know that it was not a fact. He remained away from his house of his own accord.

Shri Hukma Chand Kachwai (Ujjain) : I would like to know the fate of the motion talled by me.

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य जिसने प्रस्ताव दिया हैं, वह उसे यहां उठाना चाहता है कार्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना भेजी जायेगी।

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक

THE FOOD CORPORATION (AMENDMENT) BILL

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन करने और भारत के खाद्य निगम के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियय 1947 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को समुचित सरकार घोषित करने सम्बन्धी विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : खाद्य निगम में सेवा शुरू करने से पूर्व खाद्य विभाग के कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। खाद्य निगम कर्मचारी संघ अपनी उचित मांगों के लिये पूरा जोर लगा रहा है और मांग कर रहा है कि उनके साथ सरकारी कर्मचारियों के समान व्यवहार किया जावे तथा उनकी सेवा की शर्तें तथा अनुशासन नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये। खाद्य मंत्री ने विश्वास दिलाया है कि उनकी मांगों पर उचित ध्यान दिया जायेगा परन्तु विधेयक के खण्ड 3 के अन्तर्गत वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं रहेंगे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श के पश्चात विधेयक का प्रारूप पुनः तैयार किया जाना चाहिये और सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : There is a provision in the Bill for transfer to Food Corporation the employees of the regional offices of the food Croporation. There was a rumour current for sometime that the Central warehousing Corporation is being wound up. This caused an anxiety among its employees. The Bill should be so comprehensive that a solution could be found to the problem of the employees of warehousing corporation.

श्री जगजीवन राम : इस समय मुझे कुछ भी नहीं कहना है क्योंकि इस बारे में सावधानी बरती गई है कि जब कर्मचारियों को खाद्य निगम में स्थानान्तरित किया जाये तो उनके वेतन, पदोन्नति तथा वेतन वृद्धि सम्बन्धी हितों पर बुरा प्रभाव न पड़े।

अनुशासन सम्बन्धी विषयों के सम्बन्ध में यह सावधानी रखी गई है कि उनके लिये सरकारी कर्मचारियों के समान ही पहली और दूसरी अपील की व्यवस्था की जाये। इस उद्देश्य के लिए किसी स्वतन्त्र अधिकारी की भी स्थापना की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय:—प्रश्न यह है :

"कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन करने और भारत के खाद्य निगम के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को समुचित सर ार घोषित करने सम्बन्धी विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री जगजीवन राम : श्री मानजी मैं विधेयक को पुर : स्थापित करता हूं।

काटन फेब्रिक्स (एडिशनल एक्साइज ड्यूटी) (निरसन) विधेयक
COTTON FABRICS (ADDITIONAL EXCISE DUTY (REPEAL) BILL

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the repeal of the Cotton Fabrics (Additional Excise Duty) Act, 1957.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि काटन फेब्रिक्स (अडिशनल एक्साइज ड्यूटी) अधिनियम, 1957 के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

Shri Dinesh Singh : Sir, I introduce the Bill.

वित्त (संख्या २) विधेयक 1967-जारी
FINANCE (NO 2) BILL 1967–Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में वित्त (संख्या 2) विधेयक पर अग्रेतर विचार होगा।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में कर 1269 करोड़ रुपये के थे, अब उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि करके 1965–66 में वे 2490 करोड़ रुपये हो गये हैं। करदाता को प्रति वर्ष यही कहा जाता है कि केवल इतना ही कर वसूल किया जा रहा है परन्तु वर्ष के अन्त तक सरकार बहुत अधिक कर वसूल कर लेती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान वह प्रतिदिन आयव्ययक में की गई व्यवस्था से 40 लाख रुपये अधिक प्राप्त करती थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में उसे 741 करोड़ रुपये की बचत हुई थी।

इसी तरह विदेशों से मिलने वाले ऋणों में भी प्रति वर्ष वृद्धि होती रही है। परन्तु जब भी कोई मांग की जाती है तो यही उत्तर मिलता है कि धन की कमी है। ऐसा कहना सरकार की आदत बन गई है।

जब जनता भूखी मर रही थी तब खाद्य मंत्रालय खाद्यान्न के व्यापार से लाभ कमा रहा था। वर्ष 1965–66 में 56 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है। यदि आप राज्य व्यापार निगम के खाते को देखें तो उसमें बड़ी मात्रा में खाद्यान्न दिखाया गया है परन्तु यदि हमें चावल की आवश्यकता है तो चावल नहीं मिलते। वित्त मंत्री को इन समस्याओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये।

पिछले वर्ष को छोड़कर उत्पादन में वृद्धि हुई है किन्तु मूल्यों में भी वृद्धि होती रही है। ऐसा मालूम होता है कि भारत में पूर्ति तथा मांग के सिद्धान्त लागू नहीं होते। सर्वप्रथम

मूल्य वृद्धि रोकी जानी चाहिये और इसके लिए अन्य बातों के अतिरिक्त ईमानदार प्रशासन की आवश्यकता है। उसके बिना मूल्य वृद्धि नहीं रोकी जा सकती। परन्तु ईमानदार प्रशासन का अर्थ यह भी है कि उसमें सरकार को व्यापारियों के साथ व्यक्तिगत मैत्री को अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। कई बार ऐसा होता है कि व्यापारी मंत्रियों के मित्र बन जाते हैं और इसलिए सरकार उन पर नियंत्रण अथवा उनको किसी काम से रोकने में असमर्थ हो जाती है। एक व्यापारी ने एक बड़े मंत्री के निजी सचिव के लिए 10 लाख रुपये का न्यास बनाया तो अगले वर्ष उसे पद्म भूषण की उपाधि मिल गई। इसी प्रकार डा० धर्म तेजा के हैदराबाद में एक कारखाने का उदघाटन करते समय माननीय वित्त मंत्री ने खुले आम उनका पक्ष लिया और आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उनके लिए 1,30,00,000 रुपये की गारन्टी दी।

जोत की सीमा निर्धारित करने के बारे में एक निर्णय किया गया था परन्तु बाद में यह निश्चय किया गया कि बागान को उसमें से निकाल दिया जाये। इसी के कारण आंध्र प्रदेश में प्रत्येक एकड़ बंजर भूमि में एक गन्ना या नारियल उगाकर और उसे बागान कह कर जोत की सीमा से छूट ले ली गई है और इस प्रकार कुछ जमीदारों के पास 5000 से 10000 एकड़ तक भूमि है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक प्रशासन में ईमानदारी नहीं आएगी तब तक हम कोई कारगर चीज नहीं कर सकते हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

जहां तक वित्तिय प्रशासन का संबंध है, वित्त मंत्री को लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों और लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों का अध्ययन करने के लिये वित्त मंत्रालय से किसी व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिये। हैदराबाद में भी हमारे सामने ऐसी ही कठिनाई आई थी और वहां पर हमारे सुझाव पर एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति नियमित रूप से यह देखने के लिये नियुक्त की गई थी कि लोक लेखा समिति क्या सिफारिशें करती है और उन्हें कहां तक कार्यान्वित किया जाता है। यहां केन्द्र में देखता हूं कि एक देनदार से कुछ रकम वसूल नहीं की गई है। यह राशि 75.44 लाख रुपये है। यह पूछने पर कि यह रकम क्यों वसूल नहीं की गई है बताया जाता है कि इस फर्म का अतापता मालूम नहीं है। इस तरह के कई उदाहरण हमें लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों से मिलते हैं। मैं वित्त मन्त्री से कहूंगा कि वे इन मामलों की ओर कुछ ध्यान दें। हम यह जानना चाहते हैं कि जो धन एकत्र किया जाता है, उसे कैसे खर्च किया जाता है, क्या उसे उसी प्रयोजन के लिये खर्च किया जाता है जिसके लिये वह दिया जाता है और क्या उसका सदुपयोग किया जाता है, या उसका अपव्यय होता है? यदि उसका अपव्यय होता है तो हमें खामियों को दूर करना चाहिये। मंत्री महोदय को प्रशासन के ब्यौरे तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था की सामान्य तथा मोटी मोटी बातों पर पूरा नियन्त्रण रखना चाहिये।

श्री शशि रंजन (पपरी) हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि इस पर तुरन्त ध्यान देने की जरूरत है। जब तक हम अपने आर्थिक मामलों पर व्यावहारिक रूप से विचार नहीं करते तब तक हम किसी तरह भी उन्नति नहीं कर सकते। हम

हमेशा इन सभी मामलों के बारे में आयोग और समितियां नियुक्त कर देते हैं और इस प्रकार काफी रकम खर्च करने के बाद अन्त में इन आयोगों तथा समितियों के प्रतिवेदनों से हमें मालूम होता है कि हम उसी स्थिति में हैं। जहां से हमने श्रीगणेश किया था।

हम कर वसूल करने के मामले में ब्रिटिश शासकों से विरासत में प्राप्त पुराने तरीकों का अनुसरण कर रहे हैं। अब तो अंग्रेजों ने भी उनका तिरस्कार कर दिया है। हम कम से कम उन परिवर्तनों की नकल तो कर सकते हैं जिनको अंग्रेज अपने प्रशासन में प्रयोग करने लगे हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री आय कर विभाग के कुछ अधिकारियों को अमरीका भेज रहे हैं जिससे कर की उगाही के प्रशासन तन्त्र में वहां किये गए परिवर्तनों के अध्ययन करके उनको यहां लागू करें। मैं वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय के तीनों विभागों में पारस्परिक सम्बन्ध बहुत अच्छे नहीं हैं। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए वित्त मन्त्री को अपने मन्त्रालय के इन विभागों के बीच समन्वय और अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने चाहियें।

विभिन्न मंत्रालयों में एक ही काम के लिये दो दो अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इस स्थिति को आसानी से टाला जा सकता है। मंत्रालयों के बीच अधिक अधिकार प्राप्त करने की होड़ समाप्त की जानी चाहिये।

देश में मंदी की स्थिति है अतः रेलवे जैसे सरकारी विभागों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे छोटे उद्योगपतियों को सामान के क्रयादेश देकर उन्हें प्रोत्साहित करें। यदि समय रहते मन्दी को नहीं रोका गया तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ी हानि हो सकती है। मंदी की समस्या को मिलकर सुनियोजित ढंग से हल किया जाना चाहिये। मंदी की स्थिति को दूर करने के लिये सरकार को मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करना चाहिये। इस समय लोगों में संशय की भावना फैली हुई है और इसलिये वे अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जमा कर रहे हैं।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Speaker** ***in the Chair*** }

मन्दी का एक कारण यह भी है कि हम बहुत सी चीजों के राष्ट्रीयकरण की जोर शोर से बात करते रहते हैं। मैं राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु मैं एकाधिकार का विरोधी हूं और राज्य एकाधिकार तो और भी खतरनाक चीज है और इससे हम और अधिक मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिये हमें लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिये और राष्ट्रीयकरण के बारे में अधिक बातें नहीं करनी चाहिये।

सड़क परिवहन पर बहुत अधिक कर लगाए गये हैं। इनमें कमी करने से वस्तुओं की कीमतें भी गिर जायेंगी। एकाधिकारवाद को समाप्त करना आवश्यक है। केवल कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में धन का जो संचय हो गया है, उसे समाप्त करना चाहिये। किसी व्यक्ति

या व्यक्तियों के समूहों को केवल उतना ही धन जमा करने देना चाहिये जितना कि देश की अर्थव्यवस्था बर्दाश्त कर सकती हो। उससे अधिक धन जमा करने की प्रवृत्ति समाप्त की जानी चाहिये।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

मध्य प्रदेश विधान सभा के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा कथित गलत वक्तव्य

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : गृह-कार्य मंत्री ने 20 जुलाई को मध्य प्रदेश की स्थिति पर बोलते हुए कहा था कि उनकी राज्यपाल से कोई बातचीत नहीं हुई है और इसलिये वे सभा को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बता सकते। परन्तु इसके विपरीत, कुछ समाचारपत्रों में विशेष कर "टाइम्स आफ इण्डिया" तथा "हिन्दुस्तान टाइम्स" में राज्यपाल का जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है उससे पता चलता है कि राज्यपाल ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया है। मेरी राय में राज्यपाल ने गृह-कार्य मंत्री से विचार विमर्श किया है और उनके कहने पर ही राज्यपाल ने विधान सभा को सत्र समाप्त करने का निर्णय किया है क्योंकि केन्द्रीय सरकार का और क्या अर्थ हो सकता है। यदि राज्यपाल ने गृह-कार्य राज्य-मंत्री या उप-मंत्री से बातचीत की है तो भी हमें यही मानना होगा कि गृह-कार्य मंत्री को इस सब का पता था।

समाचारपत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है तथा गृह-कार्य मंत्री ने यहां पर जो वक्तव्य दिया है उससे यह स्पष्ट है कि गृह-कार्य मंत्री ने इस सभा को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने जान-बूझ कर इस सभा को गलत जानकारी दी है।

'मे' की "पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस" के अनुसार जानबूझ कर गुमराह करने वाला वक्तव्य देना सभा का अपमान समझा जा सकता है।" उसमें यह भी दिया हुआ है ;

"In 1963 the House resolved that in making a personel statement which contained the works which he later admitted not to be true, a former Member had been gu.lty of a grave contempt."

"1963 में इस सभा ने यह निश्चय किया था कि एक भूतपूर्व सदस्य जिसने अपने व्यक्तिगत वक्तव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जिनके बारे में उसे बाद में यह स्वीकार करना पड़ा कि वे गलत थे सभा के भारी अपमान का दोषी था। इसका श्री प्रोफ्यूमो के मामले से सम्बन्ध है। ब्रिटेन के युद्ध मंत्री को वहां की लोक सभा में जानबूझ कर गलत बयान देने के कारण अपने पद से हाथ धोना पड़ा था।

हम यह महसूस करते हैं कि गृह-कार्य ने जानबूझ कर इस सभा को गलत जानकारी दी है और इस तरह उन्होंने इस सभा का विशेषाधिकार भंग किया है। प्रथम दृष्टि में ही वे इसके दोषी हैं और यह मामला जल्दी से जल्दी सभा में उठाया गया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, the question here is that whether Governor has consulted the Centre to the extent as the constitution permits. As reported in 'Hitavada' Shri K. C. Reddy said that as the Governor he had to take an objective and dispassionate view of the situation. He was confident that todays' step would help maintain the stability of the Government." I think that a man who wants to take a objective and dispassionate view, he will take a decision without consulting any body. He will use his discretion. But in this case the Governor has taken the advice of the Chief Minister and thereby he has not taken a impartial view.

According to the "Indian Express" the Governor said that he consulted the opposition and also the Chief Minister and did not accept the advice of the Chief Minister to dissolve the Assembly and instead decided to prorogue the House.

In "The Hindu", the following report has appeared :

"The Union Home Secretary is understood to have sounded the State Government Chief Secretary today as to how soon he could hold mid term elections in Madhya Pradesh if it was decided to hold them. Mr. Noronha, Chief Secretary, is understood to have replied that they could not be held before mid-November. 'Elections were out of the question during the monsoon and the time before November would be the minimum required for making the necessary preparations', he is reported to have told the Home Secretary."

All these things go to show that there has been constant consultations between the State and the Centre in this matter.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मध्य प्रदेश विधान सभा के सत्रावसान के कारणों तथा तथ्यों का पता लगाने के लिये लोक सभा ने मुझे आदेश दिया था। उससे पहले मैंने राज्यपाल से कोई बातचीत नहीं की थी और न ही ऐसी बातचीत करने का कोई औचित्य था। इस आशय का मैंने सभा में जो वक्तव्य दिया था मैं उस पर कायम हूं।

राज्यपाल ने संवाददाताओं को जो कुछ कहा है उसके बारे में प्रकाशित समाचारों का जहां तक सम्बन्ध हैं राज्यपाल के सचिव से प्राप्त एक पत्र से यह बात स्पष्ट हो जायेगी। सचिव ने लिखा है कि दिल्ली के दो समाचारपत्रों में प्रकाशित सूचना ठीक नहीं है। 20 जुलाई को समाचारपत्रों के कुछ प्रतिनिधि राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने उन्हें एक तैयार वक्तव्य पेश किया। एक पत्र प्रतिनिधि ने उनसे पूछा कि क्या विधान सभा का सत्रावसान करने में केन्द्र से परामर्श किया गया था। राज्यपाल ने उत्तर दिया : 'मैं उसी सीमा तक केन्द्र से परामर्श करता हूं जहां तक संविधान अनुमति देता है।' उनके कहने का तात्पर्य यह था कि वह केन्द्र से उसी समय परामर्श लेते हैं जबकि संविधान के अनुसार ऐसा करना आवश्यक हो। इस मामले में इस प्रकार के परामर्श की न तो कोई आवश्यकता थी और न ही संविधान इसकी अनुमति देता था। केन्द्र ने कोई परामर्श नहीं दिया था। मुख्य मंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने निर्णय किया था।

जहां तक "इण्डियन एक्सप्रेस" से उद्धृत सूचना का सम्बन्ध है सचिव के पत्र में बताया गया है कि राज्यपाल ने विघटन के बारे में कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि उस समय उसका कोई प्रश्न ही नहीं था। विघटन के बारे में मुख्य मंत्री से उन्हें कोई परामर्श प्राप्त नहीं हुआ

था । केवल सत्तावसान के बारे में सलाह दी गई थी । पत्र में आगे लिखा है कि यह समाचार भी सही नहीं है कि मुख्य मंत्री तथा विरोधी पक्ष की राय जानने के बाद राज्यपाल ने अपना निर्णय लिया था । राज्यपाल ने संवाददाताओं को यह कहा था कि वे 19 जुलाई को मुख्य मंत्री तथा विपक्षी दलों के नेता तथा कुछ अन्य सदस्यों से मिले थे । 20 जुलाई को उन्होंने जो निर्णय लिया था वह मुख्य मंत्री से 20 जुलाई को प्राप्त एक पत्र में दी गई सलाह पर आधारित था ।

इसलिये जो कुछ राज्यपाल ने कहा और जो कुछ मैंने कहा उसमें कोई असंगति नहीं है । इसलिये प्रथम दृष्टि में विशेषाधिकार का कोई मामला नहीं बनता ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी राय में इस पर आगे चर्चा करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है । राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने गृह-कार्य मंत्रीं से परामर्श नहीं किया था । मेरी राय में कोई मामला नहीं बना है । इसलिये मैं इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 म० प० बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lnnch till fourteen of the clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 म० प० बजे पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the clock.

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr Deputy Speaker ***in the Chair*** }

वित (संख्या २) विधेयक, 1967—जारी

FINANCE (No. 2) BILL–Contd.

श्री क० कृ० नायर (बहराइच) : कांग्रेस आकर्षक नारों के बल पर देश का शासन चला रही है । निरन्तर असफलता के बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं ने नारों के हमारे स्वाभाविक विश्वास का दुरुपयोग किया है । "आराम हराम है" का नारा श्री जबाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था परन्तु क्या उसपर अमल हो रहा है । इसी प्रकार श्री लाल बहादुर शास्त्री ने "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया परन्तु ताशकन्द समझौता करके उसका अन्त कर दिया गया । जवान तथा किसान जिन्होंने देश के लिये अपना खून पसीना बहाया था ताशकन्द समझौते पर हैरान रह गये थे ।

ऐसे ऐसे अर्थहीन विचार हमारे नेताओं के मन में हैं जिन्हें ऊंचा स्थान दिया जाता है । उनमें से एक मद्यनिषेद है । कांग्रेस पर मद्यनिषेध का भूत अभी तक सवार है । कांग्रेस ने

व्यक्ति की नैतिकता तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीति के अन्तर की ओर ध्यान नहीं दिया है। और इसका परिणाम बहुत घातक हुआ है। इससे राष्ट्र उत्पादन शुल्क से वंचित रहा है और साथ ही मद्यनिषेद लागू करने वाले कर्मचारियों पर भारी खर्च करना पड़ा है। इस प्रकार राष्ट्र को दोहरी हानि हो रही है। मद्यनिषेद की इस नीति के कारण लोगों को तरह तरह की बुरी शराब पीनी पड़ रही है और उसके लिये उन्हें ज्यादा मूल्य भी देना पड़ता है।

खद्दर एक दूसरी धुन है। गांधी जी के समय में खादी का कुछ भी महत्व रहा हो, आज की स्थिति में खद्दर सम्बन्धी कार्यक्रमों से चिपके रहना राष्ट्र के आर्थिक हितों के प्रति एक धोखा है। इस पुराने तर्क का आंकड़ों के आधार पर भी समर्थन नहीं किया जा सकता है कि खद्दर उद्योग किसानों को खाली समय के लिये रोजगार प्रदान करता है।

यदि खद्दर के आर्थिक सिद्धान्त को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया जाता है और प्रत्येक नागरिक को खद्दर पहनना पड़ता है तो हमें आज की आवश्यकता से दुगने कपास की आवश्यकता होगी। खद्दर के कपड़ों के टिकाऊपन की दृष्टि से खद्दर पर राष्ट्र को अधिक खर्च करना पड़ेगा। तब हम इस खद्दर कार्यक्रम पर क्यों जोर दे रहे हैं ?

प्रारम्भिक शिक्षा के लिये हमने कालिजों और विश्वविद्यालयों पर बहुत धन व्यय किया है। हमने कई इंजीनियरिंग कालिज और अनुसन्धान संस्थाएं स्थापित की। हमने अमरीका और रूस के अतिरिक्त दुनियां के सभी देशों से अधिक वैज्ञानिक और इन्जीनियर तैयार किये हैं। परन्तु हमारे नेता उनकी सेवाओं का उपयोग नहीं करना चाहते। वैज्ञानिक और इन्जीनियर जिन्हें औद्योगिक क्रान्ति का आधार स्तम्भ समझा जाना चाहिये था, बेरोजगार है। उनकी सेवाओं को उपयोग में लाने की हमारी कोई योजना नहीं है।

हमने निरन्तर उत्पादन करने के लिये ही धन की व्यवस्था की है।

यह विडम्बना है कि हमें परियोजनाओं के कारण बड़ी हानि उठानी पड़ी है और इनको सरकार अपनी सफलता बतलाती है। हमने बड़े बांध बनाये हैं पर अधिकतर उनका पानी बरबाद जा रहा है। हमने ऐसे स्थानों पर बांध बनाये हैं जहां पानी की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है और हम अपने राष्ट्रीय संसाधनों का वितरण करने और तलाब तथा कुएं खोदने में, जिनका अनेक राज्यों की खाद्य समस्याओं पर प्रभाव पड़ता है, असफल रहे हैं।

हमने बड़ी लागत वाले बड़े बड़े इस्पात संयंत्रों की स्थापना की है किन्तु हम आज अत्यधिक प्रति स्पर्धी मूल्यों पर दूसरे देशों को इस्पात भेज रहे हैं जबकि वे देश भी स्वयं इस्पास का उत्पादन कर रहे हैं। हमारी योजनाएं इतनी स्थिर हैं कि जितना ज्यादा हम उत्पादन करते हैं उतनी ही उत्पादन लागत में वृद्धि होती है।

किसी देश के प्रगति करने के लिये यह आवश्यक है कि वह देश उस सम्बन्ध में अपने देश में ही परीक्षण करे। रूस और जापान में प्रगति दूसरे देशों की नकल द्वारा सम्भव नहीं हुई। उन्होंने नये नये परीक्षण किये और इसीलिये ही वे और योरोप के देशों से अधिक प्रगति कर गये। रूस और जापान की प्रगति उनके अपने ही देशों से आरम्भ हुई।

कांग्रेस के नेता और उनकी नीतियां देश के बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहित करने में असफल रहे हैं। विदेशी जानकारी, सलाह और संरक्षण पर निर्भर रहने के सिद्धान्त को अपनाया गया है। प्रतिरक्षा विकास और भोजन के लिए भी अपने ऐसे मित्रों पर निर्भर रहना आश्चर्यजनक है, जिनके बारे में हमें संदेह हो। यह प्रगति का रास्ता और नये राष्ट्र के निर्माण का तरीका नहीं है।

वर्तमान राजनीतिक दुरुपयोग की नीति को हमारे मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों के तकनीकी उपयोग की नीति में बदला जाना चाहिये। तभी प्रगति की जा सकती है। हमें ध्यान पूर्वक और आशा के साथ आगे देखना है। हमें पीछे नहीं देखना है क्योंकि इससे हमें प्रगति में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : यह प्रसन्नता का विषय है कि वित्त मन्त्री ने जनता की राय का ध्यान रखा है और उत्पादन शुल्कों में कुछ रियायतें दी हैं और कम आय वाले व्यक्तियों और सहकारी बैंकों आदि संस्थाओं को भी स्रोत पर कर की कटौती में कुछ रियायतें दी हैं।

देश के सामने आज गम्भीर संकट है जो सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा के लिये खतरा है। जब तक देश में समस्त अर्थव्यवस्था के विषय में अधिक यथार्थवादी, व्यावहारिक और व्यापक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता, तब तक अधिक प्रतिबन्ध लगाने और तदर्थ मूल्य और वस्तुओं पर नियन्त्रण से जनता के असंतोष, क्रोध और निराशा में और वृद्धि होगी।

ऐसी कठिन स्थिति में यह सरकार का कार्य है कि वह जनता में जीने के लिये और इस कठोर संघर्ष का सामना करने के लिये विश्वास उत्पन्न करे और स्वयं सेवा के माध्यम से हमारी पूर्ति की प्राप्त करने की आशा को भी जागृत करे। हमारी वित्तीय नीतियों में निश्चय ही प्रोत्साहन की भावना रहनी चाहिये ये युक्ति भी होनी चाहिये। यदि आगामी वर्षों में विकास की गति को संतोषजनक बनाने के लिये गरीबों पर अप्रत्यक्ष कर लगाकर उन पर बोझ बढ़ाया जाता है तो इस बोझ में धनवान लोगों को भी अपना हिस्सा देना चाहिये।

जबकि साधारण नागरिक विशेषकर मध्यम दर्जे की आय वाली जनता करों के उपाय क्रियान्वित किये जाने से परेशान होती है तो बड़ी कम्पनियां कर सम्बन्धी अपनी सजा को भी कम करा लेती है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच का कार्य आरम्भ किया है। मुझे आशा हैं कि करों की क्रियान्विति के इस पक्ष में वूथलिंगम समिति विचार करेगी। मेरे विचार से ऐसी समितियों में गैर-सरकारी तथा असिद्धान्तवादी व्यक्तियों को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि संसद् द्वारा प्रत्येक वर्ष कानून बनाने के पश्चात् भी समाज के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं आया है। संसद् का लोगों के प्रति कुछ दायित्व हैं अन्यथा ऐसे कानून का क्या लाभ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति, 1963 के प्रतिवेदन में एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख है कि कार्यकारी शक्तियों, जो उत्पाद-शुल्क अधिकारियों में निहित है, ऐसी हैं कि वे ब्रिटेन

जैसे अन्य देशों में प्रचलित शक्तियों से कहीं अधिक हैं। उदाहरणस्वरूप संसद् ने उत्पादन शुल्क के दर की सीमा निर्धारित कर दी परन्तु वस्तुतः अधिसूचनाएं बाद में जारी की गई और उत्पादन शुल्क में जो परिवर्तन किये गये उनका संसद ने अनुसमर्थन नहीं किया। वित्त मंत्री को इस विषय पर विचार करना चाहिये। हमें यह नहीं पता कि व्यवहार में वास्तव में क्या होता है। उत्पादन शुल्क के आंकड़े बहुत रुचिकर हैं। अनुमानित बजट और वास्तविक प्राप्त राशि में बहुत अन्तर है। 1965-66 में बजट अनुमान 819.19 करोड़ रुपये था जबकि 897.22 करोड़ रुपये संग्रह किये गये।

उत्पादन शुल्कों, अप्रत्यक्ष करों का निश्चय ही जनसाधारण और उद्योगपतियों पर प्रभाव पड़ता है। साधारणतया इनसे धनवान व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिये यह आवश्यक है कि जो कार्यकारी शक्तियां आजकल प्रचलित हैं वे लोकतंत्रीय सिद्धान्तों के अनुकूल बनाई जानी चाहिये। निगमित कर और आय-कर की बड़ी धन राशि बकाया है। दूसरी ओर अप्रत्यक्षकरों में राजस्व की वसूली बजट के अनुमानों से कहीं अधिक है। मेरे विचार से वित्त मन्त्री को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये।

वित्त मंत्री के अनुसार प्रस्तुत किये गये बजट से मुद्रास्फीति की आशा कम हो जाती है।

यदि बाजार में जो धन हैं उस पर सरकार नियंत्रण नहीं रख सकती, यदि राज्यों के बजट पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता और यदि राज्य सरकारें अपने खर्च का अनुमान कम लगाती हैं और फिर हर बार भारत सरकार से सहायता मांगने आती हैं तो केन्द्र सरकार मुद्रास्फीति के प्रसार को रोकने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकती।

जहां तक कर उत्पादन शुल्क लगाने का सम्बन्ध है यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में ज्यादा घनिष्ट परामर्श होना चाहिये। वित्त आयोग ने भी सिफारिश की है कि वित्त मंत्रालय में एक मजबूत सैल जो इस बात पर दृष्टि रखे कि राज्यों में सरकारी खर्च कैसे चलता है, वाणिज्य एकक कैसे काम कर रहे हैं और कुछ शुल्कों का क्या प्रभाव होगा।

खंड 27(1) में कार्य के आधार पर काम का वितरण करने का उल्लेख किया गया है। आशा की जाती है इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी। मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि क्रियाशील आधार पर काम के आबंटन की नई नीति से कार्य क्षमता में कोई कमी नहीं होगी। कर नीति इतनी जटिल है कि आयकर अधिकारी भी इसे पूरी तरह नहीं समझते हैं और यही कारण है कि हमारे पास लगातार अपीलें रहती हैं और कर सलाहकार आयकर अधिकारियों की तरह बढ़ते जा रहे हैं।

खंड 30 के अधीन आय के स्रोत पर कर की कमी की सीमा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी जानी चाहिये, क्योंकि आज मूल्यों को देखते हुए यह बहुत छोटी राशि है। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में एक और संशोधन किया है और वह यह कि कर पहले 200 रुपयों पर न लगाकर पहले 400 रुपयों के बाद लगाया जायेगा। मैं उनसे यह

निवेदन करूंगा कि यदि सम्भव हो तो वह इस छूट की सीमा को 4000 से 6000 रुपये कर दें।

अप्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में बहुत आलोचना की गई है। हमारे देश में जहां केवल एक प्रतिशत लोग कर देते हैं समस्त आवश्यक आय प्राप्त करना सम्भव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष कर का लगाया जाना अनिवार्य या अवश्यम्भावी है। वित्त भी चाय और कॉफी पर कर लगाने से प्रसन्न नहीं हैं। चाय उन लोगों के लिये आवश्यक बन गई है जो दूध और सब्जी नहीं ले सकते। वे समझते हैं कि वह चाय के कारण ही जीवित रह सकते हैं। कर जांच आयोग ने चाय और काफी को अनावश्यक वस्तुयें समझा था। उस समय वे हो भी, परन्तु आज निश्चित रूप से वे आवश्यक वस्तुयें हैं। इसलिये चाय पर जो कर लगा है उसे समाप्त कर दिया जाये या घटा दिया जाये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : वित्त मंत्री ने करों में कुछ रियायतों की घोषणा की है और अश्वासन भी दिये हैं कि कर का कुछ भार उपभोक्ता पर नहीं डाला जायेगा। किन्तु आश्वासन इतने अस्पष्ट हैं कि पता नहीं सरकार उन्हें कैसे कार्यान्वित करेगी।

जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है वित्त मंत्री इसे आसान और दोष रहित बनाने में समर्थ हो गये हैं, परन्तु अप्रत्यक्ष कर को दोषरहित बनाने के सम्बन्ध में क्या किया जाना है, इसको अभी देखना है।

कुछ समय पूर्व मजदूरी बढ़ाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का विचार जानना चाहता हूँ। मजूरी पर रोक लगाने के बारे में विचार करने से पहले सरकार को कीमतों के बढ़ाने पर रोक लगानी चाहिये। यदि किसी स्तर पर मूल्य बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई होती तो मजूरी बढ़ाने की मांग ही न की गई होती। मुद्रा स्फीति की आर्थिक स्थिति का सीमित आय वाले लोगों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत, मुद्रा स्फीति के कारण ऊंची आय वाले वर्गों और व्यापारियों को बड़ा फायदा होता है। हमारी योजनाएं और सरकार की खर्चीली तथा प्रभावहीन कार्यवाहियां ही मुद्रा स्फीति के जिये उत्तदायी हैं - तीन पांच वर्षीय योजनाओं पर हमने 20,500 करोड़ रुपया व्यय किया है, परन्तु उत्पादन के किसी भी क्षेत्र में हम निश्चित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके हैं। केवल अतिरिक्त करों के क्षेत्र में ही हम कर वसूली के लक्ष्य से आगे बढ़े हैं। चौथी पंच वर्षीय योजना के आरम्भ में 101.2 लाख टन अनाज उत्पादन का हमारा लक्ष्य था, परन्तु वर्ष के अन्त तक केवल 72 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ था।

15 वर्षों की योजना के दौरान धन की सप्लाई 2,016 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,963 करोड़ रुपये हो गई है। 146 प्रतिशत अतिरिक्त धन लोगों के हाथों में आ गया है जबकि राष्ट्रीय पैदावार में केवल 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी कारण मूल्यों में वृद्धि हुई है।

दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात संसार के सब देशों में मूल्यों में वृद्धि हुई है। युद्ध से पहले के मूल्यों के मुकाबले भारत में मूल्य सात गुना बढ़ गये हैं जबकि इंगलैंड में 4 गुना और

अमरीका में 2½ गुना बढ़े हैं। कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम दुगने से भी कम बढ़े हैं। इसका कारण यह है कि इन देशों में नियंत्रित अर्थ व्यवस्था है, परन्तु यहां पर इस पर कोई नियंत्रण नहीं है।

हमारे देश में मूल्यों की इस असाधारण वृद्धि से कम वेतन पाने वाले लोगों को भारी धक्का लगा है। यदि हम 1952-53 को अधार वर्ष और सूचकांक 100 मान लें और थोक मूल्यों के सूचकांक का हिसाब लगायें तो हम देखते हैं कि सभी मूल्यों का सूचकांक अब 217 है। मई, 1966 से जून 1967 की अवधि में यह 182 से बढ़कर 217 हो गया है। यदि आप केवल खाद्य पदार्थों को ही लें तो खाद्य पदार्थों का मूल्य 186 के बढ़कर 247 हो गया है। अर्थात् एक वर्ष में 61 अंक से अधिक और 25% से अधिक वृद्धि हुई है। चीनी का मूल्य 162 रुपये से बढ़कर 368 रुपये हो गया है।

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को कम करना है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार, जो पिछले वर्ष प्रकाशित की गई थी, शहरी परिवारों में 13.6 प्रतिशत परिवार 8.33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह पर गुजारा करते हैं और 14.94 रुपये से गुजारा करते हैं। 32.5 प्रतिशत व्यक्ति 22-71 रुपये में गुजारा करते हैं और 10.2 प्रतिशत लोग 31.87 रुपये में गुजारा करते हैं। इससे प्रकट होता है कि लगभग 80 प्रतिशत लोग 18.9 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना अर्थात 63 पैसे प्रति दिन के हिसाब से गुजारा करते हैं। देहाती क्षेत्रों में लगभग 87 प्रतिशत लोग 35 पैसा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से गुजारा करते हैं।

निम्न आय वर्ग के लोग अपनी आय का अधिक भाग अनाज पर व्यय करते हैं। जिनकी आय 500 रुपये और इससे कम है उन्हें अपने बजट का 79% भाग केवल अनाज पर खर्च करना पड़ता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता हैं कि कम आय वाले लोगों को कितनी परेशानी होती हैं। इसका कारण मूल्यों में वृद्धि है, और मूल्य वृद्धि का कारण है हमारी सरकार की गलत नीतियां हैं।

मद्रास सरकार चावलों को एक रुपये के हिसाब से बेचना चाहती थी। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सरकार इस मूल्य को बनाये रखने में सहयोग दे सकती थी, परन्तु इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कोई सहायता नहीं दी।

जहां तक वित्त नीति का सम्बन्ध है मैं आपका ध्यान केन्द्र और राज्य सरकारों के आपसी सम्बन्धों के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। कांग्रेस का पिछले 20 वर्षों से केन्द्र तथा राज्यों में एकाधिकार रहा है। परन्तु अब स्थिति बदल गई है। पहली बार संघीय ढांचे को मान्यता दी जाने लगी है। राज्य सरकारें योजनाओं के तरीके से बिल्कुल सतुष्ट नहीं है। कभी वे सेलम प्लान्ट की घोषणा करते हैं परन्तु पांच वर्ष बाद वह कहते हैं कि सेलम प्लान्ट स्थापित नहीं हो रहा है। प्रधान मंत्री श्री नेहरू तूतीकोरिन पत्तन परियोजना का उद्घाटन करने मद्रास गये उसके पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उसका समर्थन किया। इन सब बातों के पश्चात अब वे यह कहते हैं कि यह मछली पकड़ने की

बन्दरगाह होगी। इन सब बातों से पता लगता है कि हमारे आयोजक और केन्द्रीय सरकार किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता की केन्द्र को सहायक एजेन्सी के रूप में में कार्य नहीं करना चाहिये। परन्तु उन्हें पहले एक कार्य को आरम्भ करने को बार बार उसी कार्य को समाप्त करने को नही कहना चाहिये।

राज्य भी वित्त के मामले में आत्मनिर्भर होने चाहिये। परन्तु वास्तविकता यह है कि ऐसे सारे वित्त संसाधन केन्द्र के पास है जो बड़े हैं और जिनमें विस्तार की गुंजाइश है। जबकि राज्यों के संसाधन बड़े ही सीमित हैं। वर्ष 1966-67 में केन्द्र को कुल 4006 करोड़ रुपये में से 2711 करोड़ रुपये तथा सारे राज्यों को कुल मिलाकर 1295 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। पिछले 16 वर्षों में केन्द्र के वित्तीय संसाधन 6.6 गुने बढ़े हैं जबकि राज्यों के संसाधन केवल 3.7 गुने बढ़े हैं। ऋणों और उस पर सूद के भुगतान के लिये भी राज्यों को एक बहुत बड़ी राशि देनी पड़ती है। कुछ ऋण तो राज्यों को बिना मांगे ही दे दिये जाते हैं, जैसे स्वर्ण नियंत्रण आदेश के अधीन बेकार हुए सुनारों को केन्द्र द्वारा दी गई आर्थिक सहायता को भी राज्यों के ऋण के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

मद्य-निषेध एक बहुत ही उत्तम कार्य है। इसलिये मद्य-निषेद किया जाना चाहिये। परन्तु इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये सरकार क्या करेगी। कुछ समय पूर्व ऐसा सुझाव आया था कि मद्य-निषेध के परिणामस्वरूप होने वाली हानि का 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार को वहन करना चाहिये। मद्रास सरकार मद्य निषेद को पूर्ण रूप से लागू कर रही है इसीलिये क्या केन्द्रीय सरकार मद्रास सरकार को इसके परिणामस्वरूप होने वाली हानि का 50 प्रतिशत पूरा करेगी।

स्वचालित यंत्रों की भी एक गम्भीर समस्या है। मै मशीनीकरण के विरुद्ध नहीं हूँ परन्तु यह मानवीय प्रयत्नों के लिये सहायक और देश की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिये। यदि हम बेकारी के आंकड़े देखें, तो मालूम होगा कि चौथी योजना के प्रारम्भ में 200 लाख व्यक्ति बेकार होंगे। विचारणीय बात यह है कि क्या ऐसी स्थिति में भारत में स्वचालित यंत्रों का प्रयोग वांछनीय है ? स्वचालित यंत्रों का प्रयोग अमरीका जैसे देश के लिये तो लाभदायक हो सकता है जहां मानवीय श्रम बहुत महंगा पड़ता है, परन्तु यह भारत की परिस्थितियों के प्रतिकूल है क्योंकि यहां 200 लाख व्यक्ति रोजगार मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि स्वचालित यंत्रों के प्रयोग में लाने पर छंटनी नहीं की जायेगी। यदि यह बात सत्य हैं तो ऐसी मशीनों पर दुर्लभ विदेशी मुद्रा खर्च करना बेकार है। मंत्री महोदय को इस पूरे प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

Shri Ram Krishan Gupta (Hissar) : This bill has been introduced in the House in order to simplify and nationalize the sections of Income-Tax Act. Its object is that the income tax should be realized as much as possible and the arrears of income tax should be recovered as soon as possible. In my opinion if banks are nationalized tax evasion will be stopped to a great extent. Banks are controlled by big capitalists and they deposit their black money in their own banks in the fictitions names.

I would like to touch the problem of under assessment also. The Civil and Commercial Audit Report shows that officers carelessly assess the income tax. The cases

of under assessment are increasing rapidly. The more correct assessment is made the more income tax will be realized. Moreover, if income tax alone with its outstanding arrears are properly collected there will be no need to impose any new tax.

Great injustic has been done to Haryana by keeping Chandigarh out of its territory, while the Shan Commission has unambiguously recommended that Kharar Tehsil including Chandigarh capital project should be merged with the Hindi speaking Haryana State. From all points of view-historical, cultural or linguistic-Chandigarh has been the part of Haryana and it should be returned to Haryana.

Recently A. I. C. C. has passed a resolution regarding discontinuation of privy purses to the former rulers. It is a good resolution but I douot very much that it will be implemented. An amount of about 5 crores of rupees are spent on privy purses annually. It is not a matter of five crores of rupees but people should be convinced that the Government is doing something good for the people of the country by way of putting a stop to privy purses.

After the recent General Elections there have been many cases of crossing of floor. It is not only the question of any particular political party but it is a question of saving the democracy which is based on sound and honest political parties. Here we require a sound party system. So there should be a code of discipline for all political parties. A general meeting of all the existing political parties should be called for the purpose and such measures should be adopted so that no legislator may give up one party and join the another one in order to gain political fruits.

A special provision should be made in the budget for the developmet of backward and under-developed areas, so that the people of these areas may be convinced that something is being done for their uplift.

We aim at bringing the socialistic pattern of society in our cnuntry. It is only possible if the expanding system of monopolies is checked. In such a society equal opportunities of development and progress can be made available to all the people.

श्री शिव शर्मा (विदिशा) : मैं केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में ही अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सरकार ने आयुर्वेदिक व्यवस्था के सम्बन्ध में अनेक समितियां स्थापित की हैं जिनमें से सभी ने यह राय प्रकट की है कि भारत के 80 से 85 प्रतिशत लोग देशी दवाइयों से इलाज करते हैं। परन्तु इसके लिये कुल अनुदान का केवल 4 या 5 प्रतिशत ही निर्धारित किया जाता है जबकि एलोपैथी पद्धति को अनुदान का 95 प्रतिशत दिया जाता है जिसके माध्यम से देश के केवल 10 या 15 प्रतिशत लोगों का इलाज होता है।

मैं मुख्य रूप से आपका ध्यान आयुर्वेद की शिक्षा और अनुसंधान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसके लिये चिकित्सा की एक एकीकृत प्रणाली (इन्टीग्रेटेड मेडिसन) बनाई गई थी। इसके बनाने वाले दावा तो यह करते हैं कि इस शिक्षा के स्नातक दोनों प्रकार की चिकित्सा प्रणालियों में निपुण हो जाते हैं। परन्तु दुख की बात यह है कि उन्हें किसी भी व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। चिकित्सा की इस एकीकृत प्रणाली पर जितना रुपया खर्च किया जाता है, वह व्यर्थ है। अतः मेरी वित्त मंत्री से यह अपील है कि इस पर अबसे एक भी पैसा खर्च न किया जाये। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह था

कि आयुर्वेदिक व्यवस्था को पढ़ाने वाले वर्तमान चिकित्सा पद्धति की आलोचना करते थे और वर्तमान चिकित्सा पद्धति के विषय को पढ़ाने वाले अध्यापक आयुर्वेद की कड़ी आलोचना करते थे तथा विद्यार्थियों की समझ में कुछ भी न आ पाता था। दूसरे जितने विद्यार्थि इन पाठ्य-क्रमों में जाते थे वे ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में अधिक रुचि लेते थे तथा वैद्यों की अपेक्षा एम० बी० बी० एस० की उपाधि वाले डाक्टर बनना पसन्द करते थे।

स्वास्थ्य मंत्री दावे के साथ कहते हैं कि कि आयुर्वेद की शिक्षा अनुसंधान पर लाखों रुपये खर्च किये जा रहे हैं। यह बात तो सच है कि आयुर्वेद अनुसंधान पर कुछ धन खर्च किया जा रहा है, परन्तु साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि जो रुपया आयुर्वेद सम्बन्धी शिक्षा और अनुसंधान के लिये नियत किया जाता है वह पुनः एलोपैथिक व्यवस्था पर खर्च कर दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि आयुर्वेदिक व्यवस्था के लिये नियत अनुदान को खर्च करने का काम उनके हाथ में होता है जो वैद्य नहीं होते या जो आयुर्वेद में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते।

यह दुख की बात है कि कांग्रेस के राज्य में बनारस स्थित आयुर्वेदिक कालिज बन्द कर दिया गया है। यही एक शहर है जिसमें आयुर्वेदिक शिक्षा पद्धति पिछले 3000 वर्षों से निरन्तर चलती आ रही है। अब बनारस के आयुर्वेदिक कालिज का नाम 'चिकित्सा विज्ञान कालेज' रख दिया गया है तथा यहां भी आयुर्वेद के लिये निर्धारित राशि को अन्य कार्यों पर खर्च किया जाता है। जामनगर स्थित आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान को भी कई भागों में विभाजित करने का प्रयत्न किया गया था।

आयुर्वेदिक पद्धति के विकास में स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने रुचि दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि आयुर्वेद का और अधिक विकास कैसे हो सकता है और तत्सम्बन्धी विकास कार्य स्वयं वैद्यों द्वारा किया जाना चाहिये। मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है जबकि इसके विकास पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

आयुर्वेद के विकास के लिये जितनी राशि दी जाती है, वह उन लोगों के हाथों में रहती है जो आयुर्वेद के शत्रु हैं और उन्हीं को इसे खर्च करने का अधिकार है। हमारे पास तो केवल अश्वासन ही रह जाते हैं। कांग्रेस से हमें बहुत आशाएं थीं। 1920 में नागपुर में एक संकल्प पारित किया गया था कि इसको एक राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली बनाया जायेगा, परन्तु इसके विपरीत इस चिकित्सा प्रणाली के साथ अन्याय किया गया है और इस पर अत्याचार किये गये हैं। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली से ऐसे रोगों का इलाज हो सकता है जिनका इलाज, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में इतनी उन्नति के बावजूद नहीं हो सकता है। ऐसे अनेक मामले देखने में आते हैं। अमरीका और कैनेडा से लोग यहां पर इलाज कराने आते हैं। आयुर्वेदिक विज्ञान की रक्षा की जानी चाहिये और इसका विकास किया जाना चाहिये। उस थोड़ी बहुत रकम को आयुर्वेद के विकास पर खर्च किया जाना चाहिये जो इस प्रयोजन के लिये मंजूर की जाती है। मैं चाहता हूं कि इन सब बातों पर फिर से विचार किया जाय।

श्री राजशेखरन (कनकपुरा) : घाटा रहित बजट पेश करने और कुछ चीजों पर छूट देने के लिये मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ ।

मुद्रास्फीति और मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये उत्पादन में वृद्धि का होना आवश्यक है । परन्तु दुर्भाग्य से हम अपने उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सके । कृषि हमारे देश का मूल उद्योग है और इसलिये हमारा बजट और हमारी योजनायें कृषि पर आधारित होनी चाहिये । परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है और यही कारण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष पश्चात भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं । किसानों की कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है । ऋण प्राप्त करने के लिये उसे स्थान स्थान पर भटकना पड़ता है । सरकारी संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला ऋण पर्याप्त नहीं होता है । जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में धन का विनियोजन किया जाना चाहिये क्योंकि उसकी 30 प्रतिशत आय उन्हीं क्षेत्रों से होती है । किसानों के लिये ऋण कार्ड पद्धति का सुझाव जो एक या दो वर्ष पहले तत्कालीन मंत्री द्वारा दिया गया था, शीघ्र क्रियान्वित किया जाना चाहिये ।

विनियोजन के लिये पूंजी बचत द्वारा ही जुटाई जा सकती है । अतः सरकार को बचत को प्रोत्साहन देना चाहिये । हमारे देश में कृषि अनुसन्धान पर विज्ञान सम्बन्धी बजट का केवल 10 प्रतिशत ही व्यय किया जाता है जबकि अन्य देशों में इसपर लगभग 40-45 प्रतिशत किया जाता है । इस मद पर अधिक खर्च किये जाने पर विचार किया जाना चाहिये । कृषकों को अधिक उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें उनकी उपज के बदले उचित मूल्य मिले । कृषि मूल्य आयोग में ऐसे व्यक्तियों को रखा गया है जिन्हें खेती का कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं है । अतः इस आयोग में खेती करने वाले किसान को सम्मिलित किया जाना चाहिये । देश के युवकों में फैलती हुई निराशा की भावना को दूर करने और उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत करने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये । पश्चिमी जर्मनी, रूस तथा अन्य पूर्व यूरोपीय देशों की तरह एक युवक कार्य मंत्रालय बनाया जाना चाहिये जिससे हमारे युवक अच्छे नागरिक बन सकें ।

मैसूर राज्य को सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं का केवल 7 प्रतिशत ही दिया गया है । अपर कृष्णान परियोजना यथाशीघ्र केन्द्रीय सरकार के खर्चे पर ही पूरी की जानी चाहिये । मैसूर में मैग्नेसाइट अयस्क बड़ी मात्रा में उपलब्ध है । इसके विदोहन के लिये एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है कुदीरेमुख परियोजना । इस परियोजना के लिये 70 करोड़ रु० की आवश्यकता है । भारत सरकार को इसके लिये कम से कम 40-50 करोड़ रु० देना चाहिये ।

शरावती परियोजना के नवें और दसवें एककों को चालू करने के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है । परन्तु वित्त मंत्री ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है और इसके परिणामस्वरूप हमें 3 लाख रु० प्रतिदिन की हानि हो रही है । माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस कार्य के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा दें । मनचनासले परियोजना जिसे बाढ़ नियन्त्रण के लिये आरम्भ किया जाना था, काफी समय से केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी है । वित्त मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस परियोजना के लिये अपेक्षित धन दें ।

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : मैं ऐसा समझता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस शासन का होना एक अपरिहार्य आवश्यकता है। मैं यह विश्वास नहीं कर सकता कि हमारे जनसंघ और साम्यवादी मित्र कोई वैकल्पिक सरकार बना पायेंगे।

{श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए}
{Shri C.K. Bhattacharya *in the Chair*}

कुछ वर्गों के लोगों को वित्त मंत्री ने जो रियायतें दी हैं उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूँ। किन्तु इससे समस्या हल नहीं होगी। इसका कारण यह है कि माननीय वित्त मंत्री दुर्भाग्यवश पिछली बातों को लेकर चल रहे हैं। सरकार की नीतियों के कारण उद्योग ठप्प हो गये हैं और कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन में कमी आ गई है। जहां तक वित्तीय स्थिरता का सम्बन्ध है हम अपने संसाधनों से अधिक कम कर रहे हैं। कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वे साधारण उपभोक्ताओं की क्षमता के बाहर हैं। अन्तर्राष्ट्रीय कर्जदारों में भारत का प्रमुख स्थान है। 1951 में हमारे ऊपर विदेशों का कोई ऋण नहीं था किन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में ऋण की यह राशि 2627 करोड़ रु० हो गई।

आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में सरकार की वित्तीय नीति अब तक असफल रही है। अन्य देशों की अपेक्षा भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष कर लगाये जाते हैं। वार्षिक जमा के अतिरिक्त अर्जित आय पर आयकर की दर बढ़ाकर 82.2 कर दी गई है और अनर्जित आय पर 89.4 कर दी गई है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर आयकर और सम्पत्ति कर मिल कर कुल आय के 100 प्रतिशत से भी अधिक हो जाती है। वित्त मंत्री ने बजट को संतुलित रखने और मुद्रास्फीति तथा मूल्यों के बढ़ने को रोकने के लिये घाटे की अर्थव्यवस्था का सहारा नहीं लिया है अपितु कुछ कर लगाये गये हैं। किन्तु जब तक उत्पादन नहीं बढ़ता, सरकारी खर्च में कमी नहीं की जाती तब तक बजट को संतुलित रखने की बातें करना निरर्थक है।

पिछले 20 वर्षों से हम करोड़ों रु० का अनाज आयात करते रहे हैं। हम वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी, अच्छे उर्वरक, बीज, खाद तथा कीटनाशी दवाइयों की बातें करते हैं। किन्तु किसानों को सब से पहले सिंचाई की सुविधाओं की आवश्यकता है। सिंचाई के बिना ये सभी प्रोत्साहन निरर्थक हैं। जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, योजना आयोग ने वर्षों तक जनता को रोजगार दिलाने की क्षमता बढ़ाने का प्रयत्न किया है। किन्तु तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी ऐसे लोगों की संख्या 1 करोड़ के लगभग है जिनको पूर्ण रूप से रोजगार पर नहीं लगाया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर उचित ढंग से विचार नहीं किया गया है। देश के 70 लाख राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों में से मुसलमानों की संख्या, जो राष्ट्र के अविभाज्य अंग हैं, 7000 भी नहीं होगी। कम से कम प्रतियोगात्मक पदों से भिन्न पदों के लिये सरकार को आवश्यक अर्हताएं निर्धारित करनी चाहियें और उनके लिये एक कोटा नियत किया जाना चाहिये ताकि उन्हें भी यह महसूस हो कि वे भी इस देश के नागरिक हैं।

भाषा के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों का कहना है कि हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में लागू किया जाये और अंग्रेजी भाषा की उपेक्षा की जाये। किन्तु मैं सरकार से अनुरोध

करूंगा कि वह लाखों लोगों पर ऐसी भाषा न थोपें जो प्रगतिशील जनता की मांगों को संतुष्ट नहीं करती। यह कूटनीति तथा अन्तर्राष्ट्रीय संचार की भाषा नहीं है। यह दुर्भाग्य की बात है कि उर्दू भाषा को बिल्कुल भुला दिया गया है। यद्यपि संविधान में इसे प्रादेशिक भाषा का स्थान दिया गया है फिर भी व्यवहार में उसे इससे वंचित रखा गया है।

कांग्रेस तथा अन्य दलों दोनों में नेक आदमी भी हैं। भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान मुसलमानों पर जो अत्याचार हुए उस समय उन्होंने विशेषकर साम्यवादी नेताओं ने हमारा साथ दिया।

मैं प्रधान मंत्री की हिम्मत को दाद देता हूं कि कुछ लोगों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने पश्चिम एशियाई संकट में अरब देशों का साथ दिया और अपनी इस नीति पर जमी रही।

मुझे आशा है कि अन्य बातों को इस समय न लेकर सभी माननीय सदस्य अपने देशवासियों का भविष्य उज्वल बनाने में सरकार को सहयोग देंगे। हमें खाद्य संकट तथा गरीबी को दूर करने के लिये भरसक प्रयत्न करने चाहिये जिससे कि यह राष्ट्र गिरने से बच सके।

Shri Chandika Prasad (Ballia) : The eastern part of U.P. and the Western part of Bihar have remained backward since British time. The population of this area is about 4 crores. The poverty and increasing population of this area was all along exploited by the Britishers and they were sent as labourers and collies to other parts of India and to Burma, Malaya etc. The average income of the people of this area is even less than one fourth of the income of the people in the other parts of India. Their main occupation is agriculture and domestic service. For agriculture they depend mainly on agriculture.

There are no major factories there except one fertiliser factory in Gorakhpur and sugar mills in the sugar cane producing areas. It is very regrettable that even after independence this area has not received the attention it deserved after so long an exploitation. The Patel Commission which was appointed after so much persuasion left Ballia out of its survey. Even after the report of the Patel Commission no remarkable work has been done in this area.

The works and Housing Ministry gives grants to States for housing schemes. But houses for agricultural labour and farmers are not constructed out of such grants. The Life Insurance Corporation's housing scheme should be extended to small towns and villages to cover the agricultural labourers and farmers. Irrigation facilities should be provided in our area which is in the midst of famines. For irrigation of the Ballia and Ghazipur area a canal should be carved out of the river Ganges near Burar and it should be joined with Ghaghra. Tubewells should be sanctioned for the Ballia, Azamgarh and Deoria Districts the land of which is very fertile and need only irrigation facilities to boost up for production.

Crop insurance scheme should be introduced and petty agricultural industries like vegetable, fishery, dacrying, poultry etc. should be set up.

Our area has been sending out a number of jawans for the Indian army. In the independence struggle also this area played a significant role. It is but proper that a sainik

school should be opened in this area so that we can also supply good officers for our army.

Broad gauge lines should be provided in this area for the movement of the army personnel and the labour force. This is a must for our Bhojpuri districts which include Ballia, Azamgarh, Ghazipur, Deoria, Chhapra, Saran, Aara etc. for facilitating movement from one district to the other, the Grand Trunk Road should be connected with the National Highway converting the existing rail bridge into a rail cum road bridge over the Gauges near Buxar for connecting Saran with Ballia, the existing rail bridge near Bakulhan and Manghi over Ghaghra should be converted into a road-cum-rail bridge for connecting Ballia and Deoria a road bridge should be construted over the Turti level crossing.

The insurance of cycle-ricksaw pullers and Bidi workers should be made compulsory.

There is a scheme to open a sugar mill in Ballia which has not materialised as yet. This should materialise immediately so that the farmers can reap its benefits.

The powerloom and he handloom industry should also be given necessary assistance.

The long standing dispute between Uttar Pradesh and Bihar should be settled without any further delay.

The eastern districts of Uttar Pradesh can boast of martyrs like Mangal Pandey and Kanwar Singh who have sacrificed their lives in the struggle for freedom of our country from foreign rule. Some suitable memorials should be erected to commemorate their memory.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार द्वारा लगाए गये करों की प्रवृत्ति के अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस देश के कर-राजस्व में उत्पादन शुल्क 19 प्रतिशत और प्रत्यक्ष कर 24 प्रतिशत था लेकिन 1966–67 में उत्पादन शुल्क का हिस्सा बढ़ कर 41 प्रतिशत हो गया है जबकि कुल कर राजस्व में आयकर का हिस्सा घट कर 8 प्रतिशत हो गया है।

पिछले वर्षों के बजट भाषणों में कम से कम कर की बकाया रकमें वसूल करने और काले धन को समाप्त करने के लिये प्रयास करने की आवश्यकता का दिखावा तो किया जाता था लेकिन इस वर्ष वह दिखावा भी नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि यह देश के लिये एक संकेत है कि भारत सरकार ने औपचारिक रूप से इस काम को छोड़ देने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री की विचारधारा यह है कि जब तक मुद्रा-स्फीति से भिन्न तरीकों से विकास के लिये धन की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक विकास पर रोक लगा दी जानी चाहिये। इसके साथ-साथ मंत्री महोदय ने नए उत्पादन शुल्क लगाये हैं जिनसे जनसाधारण पर लगभग 115 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। स्वतंत्र दल पूरी नीति और इस वर्ष के बजट तथा वित्त विधेयक के परिणाम का स्वागत करता है क्योंकि इससे ज्यादा रियायतें उन्हें नहीं मिल सकतीं।

मन्दी के बारे में काफी कुछ कहा गया है। यह समझ में नहीं आता कि वित्त मंत्री इसे भारी आर्थिक संकट समझते हैं या केवल अस्थायी मन्दी समझते हैं। परन्तु यदि वास्तव में ऐसा संकट है जिससे उद्योगपतियों पर प्रभाव पड़ा है तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस देश में पैसा लगाने वाले अंग्रेजों के मन में कोई आशंका उत्पन्न नहीं हुई है। उनकी राय में भारत में कारोबार का विस्तार करने की उत्साहवर्द्धक संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं पर वर्तमान औद्योगिक मन्दी से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। लाभ पर चाहे जितना भी कर भार बढ़ा दिया गया हो उन्हें उससे कोई खतरा नजर नहीं आता क्योंकि भारत सरकार की कथनी और करनी में जो अन्तर है वह अंग्रेज पूंजीपतियों के विश्वास का स्रोत बना हुआ है।

एसोसियेटिड चैम्बर्स आफ कामर्स की पुस्तिका "फैनफेयर फार इण्डिया" में जो दो तीन महीने पहले प्रकाशित हुई थी प्रकट किये गये विचारों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें दिया हुआ है कि अन्दरूनी सरकारी दृष्टिकोण कम कड़े और अधिक व्यवहार्य होते जा रहे हैं और तेल, इस्पात तथा बैंक उद्योगों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण की मांग अस्वीकार कर दी गई है और अब भारत अधिक निर्बाध तथा उदार अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ रहा है।

यह चैम्बर इस देश में ब्रिटेन की सबसे बड़ी कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके ऐसे विचार हैं। एक-दो दिन पहले औद्योगिक विकास मंत्री ने इस सभा में वक्तव्य देते हुए कहा था कि देश की दस सबसे बड़ी कम्पनियों में से आठ ब्रिटिश कम्पनियां हैं और केवल दो भारतीय हैं। इससे हमें बहुत ही धक्का पहुँचा। हमें स्वतंत्रता मिले 20 वर्ष हो गये हैं और इतना समय बीतने के बाद भी हमारी यह हालत है। इस मंदी के नाम पर निगमित कम्पनियों को कोई बलिदान करने से बचा लिया गया है इसलिये हमें इस मंदी को इसके उचित पहलू से देखना चाहिये।

कल वित्त मंत्री ने टीका–टिप्पणी की थी कि वर्तमान संकट और वर्तमान मन्दी को कुछ सीमा तक दूर करने के लिये कुछ व्यावहारिक उपाय वर्तमान कठिनाइयों के होने पर भी किस प्रकार कार्यान्वित किये जायेंगे। रेलवे माल डिब्बों के लिये अग्रिम आर्डर दिये जायेंगे ताकि रेलवे माल डिब्बों के मुख्य निर्माताओं को उसी प्रकार की कठिनाई न हो जैसी कि उन्हें हाल ही में हुई है। लेकिन ऐसा करते समय उन्हें इस बात की जांच भी करनी चाहिये कि आर्डर देते समय फर्मों के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है। इसका क्या कारण है कि बिड़ला कम्पनियों "टैक्समाको" और "सिमको" को जो माल डिब्बे बनाती हैं पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी अधिक आर्डर प्राप्त करने की अनुमति दी गई जबकि लगभग अन्य सभी माल डिब्बा निर्माताओं को 20 से 35 प्रतिशत तक कम आर्डर प्राप्त करने के लिये बाध्य किया गया है। आर्डर पहले ही नहीं दिये जाने चाहिये अपितु वे समान आधार पर दिये जाने चाहिये।

भारी ढांचा, इंजीनियरिंग उद्योग संकट में है। मुझे मालूम हुआ है कि बोकारो स्टील द्वारा बोकारो संयंत्र के निर्माण के लिये लगभग 60 करोड़ रुपये के 18,000 टन भारी ढांचों के लिये आर्डर दिया जाने वाला है और उसके लिये टेंडर मांगे गये हैं। मेरा अनुरोध है कि बोकारो के इस आर्डर को जहां तक सम्भव हो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के मुख्य ढांचा

निर्माताओं के बीच समान आधार पर बांटा जाना चाहिये ताकि कोई कारखाना श्रमिकों को जबरी छुट्टी न दे सके और इस प्रकार अपनी क्षमता को बेकार न रख सकें।

वित्त मंत्री ने पटसन के सामान पर निर्यात शुल्क में 150 रुपये की राहत देने की घोषणा की है परन्तु उन्होंने पटसन के सामान के सट्टे को जो खूब जोरों पर है रोकने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है। इससे पटसन की वस्तुओं के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसकी जांच की जानी चाहिये।

मंत्री महोदय ने कहा है कि उपकरण, मशीनों, कल-पुर्जों आदि प्राप्त करने के लिये देशी स्रोतों की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा। परन्तु इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त राशि निर्धारित नहीं की गई है। देश के भीतर वैज्ञानिक तथा तकनीकी अनुसंधान के लिये अधिक राशि नियत की जानी चाहिये क्योंकि उससे देश के विकास को बहुत बल मिलेगा।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासन हुए }
{ Mr. Speaker *in the Chair* }

ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय को मूल्यों को रोकने में रुचि नहीं है। वे केवल मजूरी पर, न कि लाभांश पर, रोक लगाना चाहते हैं। यदि उन्होंने यह मार्ग अपनाया तो हम भी इसका जवाब श्रमिक आन्दोलनों से देंगे और श्रमिक काम बन्द कर देंगे। उत्पादन तथा काम रुक जायेगा। श्रमिक अन्तिम दम तक मर मिटेंगे परन्तु इस प्रतिक्रियावादी नीति को स्वीकार नहीं करेंगे।

डा० धर्म तेजा के स्वदेश प्रत्यावर्तन के बारे में सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर चर्चा

DISCUSSION ON STATEMENT LAID ON THE TABLE RE : REPATRIATION OF DR. DHARAM TEJA

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : The hon. Minister has stated contradictory things in the statement laid on the Table of the House on the 17th July, 1967. On Page 3, part (b) it has been said :

"The Directorate of Enforcement also had received similar papers between the 7th and 11th May, 1966. On examination, they found there were no grounds for arresting Dr. Teja under the Foreign Exchange Regulations Act on the material then available."

In part (c) of the statement he has stated :

On the request of the Director of Enforcement, the Secretary in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) consulted the Director of the Central Bureau of Investigation on 11th May, 1966 (the same date on which the Directorate of Enforcement got these papers), if anything could be done to arrest Dr. Teja."

उन्होंने यह भी बताया है कि यह ठीक नहीं है कि किसी अवस्था में प्रवर्त्तन निदेशालय ने विशेष रूप से अनुरोध किया कि डा० तेजा को गिरफ्तार किया जाये और उसका पारपत्र छीन लिया जाये। इससे स्पष्ट होता है कि मामला बहुत गम्भीर है।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि श्री टी० एन० कौल तेजा परिवार से लन्दन में नहीं मिले हैं और उन्हें कोई सलाह नहीं दी है। लेकिन श्रीमती रणजीत तेजा ने मुझे जो पत्र लिखा है उसमें उसने लिखा है :

"Let me confirm the meeting between Mr. T.N. Kaul and me in London in September 1967".

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने पहले भी इस पत्र के पढ़ने के विरुद्ध आपत्ति उठाई थी और मेरी आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया था। किसी निजी पत्र को सभा में पढ़ना आपत्तिजनक है। पिछली बार मैंने यही आपत्ति उठाई थी। कारण यह है कि सरकार ने डा० तेजा तथा श्रीमती तेजा के विरुद्ध अभियोग चलाया है। वे भारत में नहीं हैं और उन्हें भारत लाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। प्रत्यावर्तन टेढ़ा काम है और यह अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत आता है। विदेशी न्यायालय को यह संतोष हो जाना चाहिये कि प्रथम दृष्टि में मामला बनता है और प्रत्यावर्तित किये जाने वाले व्यक्तियों के साथ उस देश में न्याय किया जायेगा। डा० तेजा तथा श्रीमती तेजा अपने प्रत्यावर्तन के विरुद्ध अमरीका तथा भारत में कार्यवाही कर रहे हैं। वे उच्च न्यायालय में भी अपना मामला ले जाना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) ; I want to know the rule which Dr. Lohia has violated.

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री का व्यवस्था का प्रश्न है। उन्हें उसे स्पष्ट करने दीजिये। माननीय मंत्री की आपत्ति यह है कि किसी निजी पत्र को पढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री गोविन्द मेनन : उनके विरुद्ध कार्यवाही चल रही है और ऐसी अवस्था में किसी चीज को जो इस कार्यवाही पर प्रभाव डाले सभा में उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। डा० लोहिया चाहते हैं कि प्रत्यावर्तन की कार्यवाही जल्दी समाप्त हो जाये परन्तु जैसा मैंने एक-दो दिन पहले कहा था ऐसा करके तेजा परिवार का एजेंट बनते जा रहे हैं। मैंने इस प्रकार के निजी पत्र-व्यवहार के बारे में सुबह आपका पत्र लिखा था। राज्य सभा में सभापति को विनिर्णय देने का अवसर मिला था।

अध्यक्ष महोदय : वह एक भिन्न मामला है।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) ; यह चर्चा नौवहन मंत्री द्वारा दिये गये एक वक्तव्य के आधार पर की जा रही है। इसमें किसी गैर-सरकारी पत्र-व्यवहार का, विशेषकर एक अपराधी व्यक्ति और इस सभा के किसी सदस्य के बीच हुए पत्र-व्यवहार का हवाला नहीं दिया जाना चाहिये। यह व्यवस्था का प्रश्न है **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : इसी प्रकार की परिस्थितियों में श्री बिमल कान्ति घोष के मामले में, जो न्यायधीन था, गृह-मंत्री ने आरोप लगाये थे और यहां पर ऐसी बहुत सी बातें कही गई थी जो नहीं कहने चाहिये थी (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके बारे में आपको कुछ कहना है या मैं अपनी राय प्रकट करूं ।

Dr. Ram Manohar Lohia : In order to deal with the point of order much time will be exhausted and you have to leave sufficient time for discussion.

Now the hon'ble Minister in his previous statement had stated that Shri T. N. Kaul did not meet Mr. or Mrs. Teja in London. Therefore I can atleast refer to his statement. Moreover time and again it is argued that matter is sub-judice. At present the point at issue is whether Shri Teja and his wife had cheated this country and the Shipping Company through various means or not. This matter is not sub-judice that what are the relations between Shri Teja and the Bureaucrats of this country. Shri Morarji or the Prime Minister or Shri Rao or Shri Kaul, whether advised him or not. I agree that Shri Teja and his wife are accused but I want to say that there are more persons involved in this matter who are also co-accused and I want that all of them should be arrested.

अध्यक्ष महोदय : यह बात बिल्कुल स्पष्ट है । यदि मंत्री के वक्तव्य में कुछ ऐसी बातें हैं जिनका विरोध करने के लिये प्रमाण हैं तो उनका उल्लेख तो किया ही जायेगा । पत्रों के बारे में मेरा सुझाव यह है कि ये पत्र मुझे दे दिये जायें । नियम के अनुसार ऐसे पत्र सभा-पटल पर रखने से पूर्व अध्यक्ष को पढ़ने के लिये दे दिये जाते हैं जिससे अध्यक्ष उन्हें पढ़ सके और मंत्री उन्हें यह बता सके कि वे पत्र उसी मामले से सम्बन्धित हैं । मैं बिना पढ़े इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता । मैं अपना निर्णय देने से पूर्व विधि मंत्री और डा० लोहिया से भी विचार-विमर्श करूंगा ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : डा० लोहिया ने कहा है कि केवल तेजा परिवार ही नहीं बल्कि उनके साथ अन्य लोग भी अपराधी हैं । क्या हम यहां पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या सभी अपराधियों का चालान किया गया है या नहीं किया गया । संसद के वाद-विवाद के दौरान हमें इस प्रकार की बातें नहीं कहनी चाहिये क्योंकि यह मामला न्यायाधीन है । यहां पर हमारा सम्बन्ध नौवहन मंत्री के वक्तव्य से है । डा० लोहिया ने यह बात उठाई है कि क्या डा० तेजा के प्रत्यर्पण की कार्यवाही ठीक ढंग से हो रही है ? यह मामला न्यायाधीन है और यदि इस मामले को इस रूप में रखा जाय कि तेजा परिवार के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया तो इस मुकद्मे में इसका प्रभाव अमरीका में तथा यहां दोनों स्थानों पर पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यहां पर एक वक्तव्य दिया है और मुझे विश्वास है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही होगी जिसका कोई विपरीत प्रभाव मुकदमें पर पड़ सकता हो क्योंकि वह इस मामले का ब्यौरा जानते हैं । अब यदि कोई माननीय सदस्य उस वक्तव्य में कही गई बात का विरोध करना चाहे तो उसे ऐसा करने की तो छूट होनी ही

चाहिये। जहां तक पत्रों का सम्बन्ध है, मैंने पहले ही कह दिया है कि वे अध्यक्ष को दे दिये जाये।

श्री गोविन्द मेनन : यह ठीक है कि मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है परन्तु उसका विरोध अपराधी व्यक्तियों तथा एक सदस्य के बीच हुए पत्र-व्यवहार के आधार पर नहीं किया जा सकता। यही मेरा निवेदन है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जहां कोई संदेह की बात होती है वहां मैं स्वयं विधि मंत्री से स्पष्टीकरण के लिये कहता हूं (व्यवधान), सदस्यों को इस प्रकार उत्तेजित नहीं होना चाहिये। ऐसी बातों से वाद-विवाद में बाधा पड़ेगी और विलम्ब होगा, इससे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। अब मैं सबसे सहयोग की प्रार्थना करता हूं जिससे आगे कार्यवाही हो सके।

Dr. Ram Manohar Lohia : It has been stated by the hon'ble Minister in his statement that Shri T. N. Kaul has not met the Tejas in September, 1966 in London but Shrimati Teja has said in her letter that Shri T. N. Kaul had advised them to stay out of India.

श्री मु० यू० सलीम (नलगोंडा) : वह फिर पत्र में से पढ़ रहे हैं। फिर पहले उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न से क्या लाभ हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य से कहा है कि वह केवल सम्बद्ध भाग ही पढ़ें। इसका सम्बन्ध मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य में कही गई बातों से होना चाहिये। माननीय यह बात कह सकता है कि मंत्री महोदय वक्तव्य में अमुक बात ठीक नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : It has clearly been stated that Tejas should not come to India before general elections. It has also been said that there was a witness to the meeting. If it is true, then it becomes a serious matter and if it is not true, it does not matter at all. But if it is a fact that Government wanted them to be away from India upto elections and I prove then the House will know the facts The hon'ble Minister had said :

"इस मामले से सम्बन्धित सभी अपेक्षित सामग्री एकत्र कर ली गई है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है।" परन्तु कब ? यह काम 28 फरवरी 1967 को हुआ।

The voting was over by 21st February, 1967.

The material was collected and the matter was referred to the court of law just at the end of General Elections. Now another strange thing is that one section of the Government says that Tejas should come to India of their own and the other sections that they will be brought to India by force. Shri Morarji Desai has stated in his letter dated 24.4.1967 addressed to Dr. Teja :—

आपको भारत में न्यायपालिका से कोई भय नहीं होना चाहिये और यदि आप स्वेच्छा से भारत लौट आओ और जांच को पूरा करने में सहायता दो अच्छी बात होगी"।

There is another letter dated 22.6.67 written by a Joint Secretary, Ministry of Transport and Shipping in which it has been stated:

"क्योंकि सरकार ने डा० तथा श्रीमती तेजा के विरुद्ध प्रत्यर्पण की कार्यवाही आरम्भ कर दी है इसलिये उनके स्वेच्छा से भारत लौटने की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

It seems as if there are two Governments-one headed by the Prime Minister and other by Deputy Prime Minister. In the initial stage a criminal case was instituted against the Tejas. I want to know that in case these two letters are presented in the American Court, what would happen ? I want to say that there was fear that the company's books would reveal transections involving Mrs. Indira Gandhi.

अध्यक्ष महोदय : इस बात का इस मामले के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia : There was a fear that if the fact are revealed it would effect Mr. Gandhi's chances of wining in the general elections.

तथ्य यह है कि श्री त्रिलोकी नाथ कौल ने कहा है कि अधिकारियों को बदल देने के लिये आदेश दिये गये हैं और यह भी आदेश दिया गया है कि यदि प्रधान मंत्री से सम्बन्धित कोई साक्ष्य हो तो उसे समाप्त कर दिया जाये। **(व्यवधान)**

Now whether Tejas are criminals or not but I fear that officials of the Government of India and even the Ministers are also involved in this matter.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I fear that Dr. Teja is creating evidence through this House. When the proceedings of his case would start here, he will produce Dr, Lohia as his first witness. This is a **sub-judice** matter and it should have not been discussed here. In my opinion the discussion in the house would help the Tejas for their defence. Now whatever has been done but now no paper or document should be allowed to be laid on the Table of the House and accused should not be allowed to make use of this documents in support of his defence. The record of the proceeding of this House should not allowed to be misused by the accused.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सरकार डा० तेजा पर कोई वास्तव में कार्यवाही करनी चाहती है, इस बात में मुझे संदेह है। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हालांकि सरकार के विभिन्न विभागों में सामग्री उपलब्ध है फिर भी डा० तेजा को गिरफ्तार करने के लिये उनके पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं था। वह कहते हैं कि फौजदारी मामला बनाने के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं थी जिसका अर्थ यह है कि डा० तेजा की गतिविधियों के बारे में उसे दोषी सिद्ध करने के लिये काफी सामग्री थी। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि 3 जून तक उनके पास ऐसा कोई सामग्री नहीं थी और उन्होंने उस व्यक्ति को देश से बाहर जाने दिया। मंत्री महोदय ने बताया है कि कम्पनी के प्रबन्ध को सम्भालने के लिये 10 जून का अध्यादेश जारी किया गया। परन्तु क्या यह सच नहीं है कि कम्पनी का प्रबन्ध सम्भालने के लिये 6 जून को निर्णय ले लिया गया था और 10 जून को एक अधिसूचना जारी करके इसका प्रबन्ध सम्भाल लिया गया था। जब 6 जून को यह निर्णय ले लिया गया तब निश्चय ही सरकार के पास निवारक निरोध अधिनियम या भारत रक्षा नियम

के अन्तर्गत डा० तेजा को देश से बाहर जाने से रोकने के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध थी। परन्तु जानबूझ कर ऐसा नहीं किया गया। जब डा० तेजा मई और जून के महीने में इन्टर-कान्टीनेंटल होटल में था, उसने केवल अधिकारियों के साथ ही सम्पर्क नहीं स्थापित किया बल्कि कुछ मंत्रियों के प्रतिनिधि भी उससे मिले। क्या यह सच नहीं है कि एक राज्य मंत्री गृह मंत्री के पास गया और उनसे जाकर अपील की कि इस व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाये और किसी तरह भी इस व्यक्ति को देश से बाहर चला जाये ? यदि यह ठीक नहीं है तो सरकार को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात सत्य है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय प्रधान मंत्री के सचिवालय में कोई ऐसा व्यक्ति काम करता था जो इस कम्पनी में बहुत ऊँचे वेतन पर नियुक्त किया गया था और इस कम्पनी का कार्य-भार सम्भाल लेने के बाद वह व्यक्ति मंत्रिमंडल स्तर के किसी मंत्री के निजी सहायक या गोपनीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है ?

श्री गोविंद मेनन ; मैं इस सम्बन्ध में दो-एक कानूनी पहलुओं के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। चर्चा का विषय यह है कि डा० धर्म तेजा के प्रत्यर्पण के मामले में सरकार ने वास्तविक रूप से दिलचस्पी ली है अथवा नहीं। यह मामला बड़ा पेचीदा है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का मामला है और विदेशी न्यायालय को संतुष्ट होना जरूरी है कि भारत में प्रत्यर्पण के पश्चात् उन पक्षों पर न्यायपूर्ण रूप से मुकदमा चलाया जायेगा। यदि प्रत्यर्पण कठिन है, तो इस सभा में जो वाद-विवाद हुआ है उसने उसे और भी कठिन बना दिया है। डा० लोहिया ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे ऐसा प्रभाव पैदा हो सकता है कि सरकार इस मामले में कुछ टाल-मटोल कर रही हैं और हो सकता है इससे कठिनाइयां और भी बढ़ जायें।

दूसरी बात श्री तथा श्रीमती धर्म तेजा के बारे में है। डा० तेजा ने अनेक मंत्रियों आदि को ऐसे पत्र लिखे हैं जिनमें उन्होंने स्वेच्छा से भारत वापस आने की इच्छा प्रकट की है। ऐसे ही एक पत्र के जवाब में उप-प्रधान मंत्री ने शायद उन्हें यह लिखा है कि यदि एक व्यक्ति यह कहता है कि स्वेच्छा से आने के लिये तैयार है, तो इसकी पहली प्रतिक्रिया यह होगी कि उस व्यक्ति से कहा जाये कि वह वापस आ जाये और अपने को न्यायालय के सुपुर्द कर दे। किन्तु दिक्कत यह है कि श्री तथा श्रीमती धर्म तेजा न्यायालय की कार्यवाही से बचने तथा उसे टालने के लिये अपना भरपूर जोर लगा रहे हैं। वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से लौटने की इच्छा व्यक्त कर रहा है, दिल्ली के उच्च न्यायालय में इस कार्यवाही को अवैध घोषित करवाने के लिये याचिका पेश करता है। डा० धर्म तेजा के पास इस समय कोई पार-पत्र नहीं है क्योंकि उनका पार-पत्र जब्त कर लिया गया था। यदि वह स्वेच्छा से भारत लौटना चाहें, तो अमरीका स्थित भारतीय दूतावास में उपयुक्त अधिकारियों के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत करके और उनसे भारत लौटने के लिये कुछ सीमित कागजात लेकर भारत आ सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to know whether the Government is prepared to refer this matter to a Parliamentary Committee as it had done in a sulphur case so that the allegation levelled against the Enforcement Directorate that they did not

arrest Dr. Dharma Teja despite the fact that they had necessary evidence in their possession could also be verified. I will prove it that the Government had a hand in avoiding his arrest and that Dr. Teja was deliberately not arrested.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि कांग्रेस के समाचारपत्र 'दि नेशनल हेराल्ड' ने डा० धर्म तेजा से चन्दे के रूप में 10 लाख रुपये मांगे थे और उन्होंने उक्त धन देने से इन्कार कर दिया था। यदि उन्होंने उक्त धन दे दिया होता।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों से डा० तेजा को अमरीका में अपना मामला मजबूत बनाने के लिये बल मिलेगा। वह कहेंगे कि मुझसे धन मांगा गया था जिसे देने से मैंने इन्कार कर दिया और इसलिए भारत सरकार ने मेरे खिलाफ यह मामला बनाया है। सचाई जो भी हो, वह ऐसा कहेंगे (**व्यवधान**)। डा० राव।

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : विरोधी दलों के अनेक माननीय सदस्यों के मन में यह सन्देह है कि सरकार जानबूझ कर डा० तेजा के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना चाहती थी। ऐसा आरोप लगाया गया है कि सरकार डा० धर्मतेजा को गिरफ्तार कर सकती थी किन्तु उसने उन्हें बाहर जाने की अनुमति दी और जब वह स्वेच्छा से भारत लौटना चाहते थे तो उन्हें यहां वापस न आने की सलाह दी गई। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि सरकार प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाहियों में विलम्ब करवा रही है और वह यह चाहती है कि श्री तथा श्रीमती तेजा भारत वापस न आयें क्योंकि उसे यह भ्रम है कि यदि उन्हें किसी न्यायालय का सामना करना पड़े, तो हो सकता है वे कोई ऐसा भेद खोल दें जिससे कि केन्द्र में कांग्रेस सरकार की स्थिति डावाडोल हो जाये।

मैंने यह बात पहले भी स्पष्ट की है और अब भी पूर्णतः स्पष्ट कर रहा हूं कि भारत सरकार को इस बात की कतई चिन्ता नहीं है कि डा० तेजा और श्रीमती तेजा भारतीय न्यायालय में क्या कुछ आरोप लगाते हैं। सरकार उन्हें वापस बुलाने के लिये बहुत आतुर है, जब से मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। मैं हमेशा इस बात के लिये प्रयत्नशील रहा हूं कि तेजा परिवार को वापस बुलाने में सर्वाधिक कार्य-कुशलता बरती जाये।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि वर्ष 1966 के आरम्भ से ही तेजा परिवार के बारे में अनेकों शिकायतें की जा रही थी। किन्तु अध्ययन से यह पता लगा कि नौवहन में लगे कुछ पार्टियों ने डा० तेजा की सफलता पर जल-भूनकर ये शिकायतें की थीं, बाद में ऐसा बहुत सन्देह फैला गया कि डा० तेजा बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं और कुछ लोगों की राय यह थी कि वह धन हड़प कर रहे थे। किन्तु ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, फिर भी सरकार जांच कर रही थी। जहां तक कुछ ऐसे दस्तावेजों का सम्बन्ध है, जिन पर हस्ताक्षर नहीं थे और जिन्हें मानने से इन्कार किया गया है, 7 मई को कुछ दस्तावेज जांच के लिये गृह मंत्रालय को सौंपे गये थे और गृह-कार्य मंत्री ने इन दस्तावेजों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो के माध्यम से तुरन्त जांच करवाई जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने बताया कि मामला दर्ज करने के लिये पर्याप्त सामग्री नहीं है। इसके साथ ही, ये दस्तावेज वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय को भेजे गये थे और उनकी जांच करने पर उक्त निदेशालय को भी मालूम हुआ कि इन दस्तावेजों के आधार पर वे डा०

तेजा के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं कर सकते। 19 मई को इस सम्बन्ध में तत्कालीन गृह-कार्य मंत्री श्री नन्दा जी ने भी इस सभा में यही वक्तव्य दिया था कि डा० धर्म तेजा के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा दायर करने के लिये कोई प्रमाण नहीं हैं।

26 अथवा 27 मई को डा० तेजा भारत आये थे और 3 जून को चले गये थे, स्थिति ऐसी थी कि 3 जून तक बल्कि वास्तव में 4 अगस्त तक ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी जिससे कि भारत सरकार उनके विरुद्ध फौजदारी का मामला दर्ज करती। 6 जून को विधि मंत्री, परिवहन मंत्री तथा वित्त मंत्री काफी विचार-विमर्श तथा सोच विचार के इस नतीजे पर पहुंचे कि सरकार के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वह कम्पनी को अपने हाथ में ले लें। और अन्ततोगत्वा सरकार ने जयन्ती शिपिंग कम्पनी को अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद ही दस्तावेज प्राप्त हो सके हैं। ज्यों ही 25 जुलाई को पर्याप्त दस्तावेज प्राप्त हुए, सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सूचना दी कि डा० तेजा के विरुद्ध मामला चलाने के लिये हमें पर्याप्त जानकारी मिल गई है। यह भी पता चला कि डा० तेजा ने विदेशों में सौदे किये हुए हैं और विदेशों में हर जगह उनके अधिकारी तथा एजेन्ट हैं। हमारे खुफिया अधिकारियों को इस बात का पता लगाने के लिये सब जगह जाना पड़ा और वे यथासंभव जानकारी एकत्रित करके लौट आये। पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होते ही अदालत में मामला दर्ज कर दिया गया।

जहां तक श्री टी० एन० कौल का सम्बन्ध है, इस बारे में हमने जांच की है और हमारी जानकारी के अनुसार श्री कौल न तो तेजा परिवार से मिले हैं और न ही कोई ऐसा अवसर आया था जबकि उन्होंने उन्हें कोई सलाह दी हो।

जहां तक श्री तथा श्रीमती तेजा का स्वेच्छा से वापस आने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उन्होंने मुझे तथा उप-प्रधान मंत्री को जो पत्र लिखे हैं उनसे यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि वे अपनी इच्छा से स्वदेश वापस आना चाहते हैं जब तक कि उन्हें एक स्वतंत्र आदमी घोषित न किया जाये—जो कि असम्भव है। यदि डा० तेजा चाहें तो वह प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाहियों को यह कहकर तुरन्त संक्षिप्त कर सकते हैं कि 'मुझे और कोई प्रश्न पूछने नहीं हैं और मुझे तुरन्त अपने देश वापस भेज दिया जाये।'

जहां तक संसदीय समिति बनाने का प्रश्न है, सरकार इस सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं है। इस मामले की न्यूयार्क के एक न्यायालय में पहले से ही जांच हो रही है और हमें आशा है कि हम उन्हें जल्दी ही वापस बुला सकेंगे ताकि वे उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही चलाई जा सके। मैं डा० लोहिया से एक बार फिर अपील करता हूं कि इस मामले को चर्चा अथवा विचार-विमर्श के लिये इस सभा में इस समय उठाना ठीक नहीं है।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 26 जुलाई, 1967/4 श्रावण 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday. The 26th July, 1967/4 Sravana 1889 (Saka)